

आपदा प्रबन्धन कार्य योजना वर्ष 2019–20



जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद – बागेश्वर

Part - 01

दूरभाष – 05963–220197 220196 ,टोल फ्री न० 1077 (बी०एस०एन०एल० उपभोक्ताओं हेतु)

मोबाईल नम्बर –9634912152, 8859223535 ,7536827373

Email id – deoc.bag@ gmail.com

-:: विवरणिका ::-

क्र०सं०	कार्यक्रम विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय- 01		
1.1	प्रस्तावना	04
	जनपद व तहसीलों के मानचित्र	05-13
	जनपद बागेश्वर संक्षिप्त परिचय	14-15
	जनपद बागेश्वर एक दृष्टि में	16
	जिला आपदा प्रबन्धन समिति	17
	आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005	18 -20
अध्याय- 02 (आपदा जोखिम एवं संवेदनशीलता)		
2.1	जनपद में आपदावार आपदा जोखिम न्यूनीकरण का विवरण	21
2.2	जनपद के खतरे एवं घातकता वाले क्षेत्र/संरचना ::	21
2.3	जनपद में पूर्व में घटित आपदाये व उनका विवरण	22-23
2.4	जनपद में तहसीलों विकास खण्डों, थानों/चौकी, का विवरण	23
2.5	विकासखण्डवार ग्राम पंचायत /न्याय पंचायत विवरण	23
2.6	जनपद में आयोजित होने वाले मेले/त्यौहार/ग्रामीण मेला एवं अन्य आयोजनों का विवरण	24
2.7	चिन्हित संवेदनशील स्थानों हेतु लो०नि०वि० द्वारा वैकल्पिक मार्गों	25
2.8	जनपद अन्तर्गत संवेदनशील मोटर मार्गों का विवरण	25
अध्याय - 03 (पूर्व तैयारी)		
3.1	संस्थागत ढाँचा	26
3.2	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के कार्य	27
3.3	मानसून अवधि के दौरान जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का अन्यत्र स्थान में स्थानांतरण की सूची वर्ष 2018-2019 जनपद-बागेश्वर।	27-29
3.4	बागेश्वर अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों/परिवारों की तहसील वार एवं श्रेणीवार सूची	29-30
3.5	जनपद अन्तर्गत चिन्हित संवेदनशील मोटर मार्ग/वैकल्पिक मार्गों	30-31
3.6	जनपद अन्तर्गत विभागीय संसाधनों का विवरण	31-33
3.7	एस०डी०आर०एफ टीम के पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण	33
3.8	जनपद अन्तर्गत संचार व्यवस्था का विवरण	33-35
3.9	जनपद नैनीताल में परिवहन विभाग में पंजीकृत क्रेनों का विवरण-	35-36
3.10	जनपद अन्तर्गत खोज-बचाव एवं राहत उपकरणों का तहसील एवं थानेवार विवरण	37-40
अध्याय - 04 (क्षमता विकास कार्य)		
4.1	आपदा प्रबन्धन कार्य प्रणाली	41-42
4.2	मॉक अभ्यास सम्बन्धित विवरण	42
4.3	आपदा संवेदनशील स्थानों में जनजागरूकता कार्यक्रम	43
4.4	आपदा निकासी कार्ययोजना	43-44

4.5	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के कार्यदायित्व	45
अध्याय –05 (त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र)		
5.1	जनपद स्तर पर इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम में नामित अधिकारियों का विवरण	46–47
5.2	इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम में नामित अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व	48–55
5.3	जनपद में आपदा के समय वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हैलीपैड स्थल चयन की सूची ::	56
5.4	जनपद अन्तर्गत चयनित आश्रय स्थल	57–62
5.5	जनपद में विश्राम गृह एवं डाक बंगल की संख्या	62
5.6	जनपद के भूतपूर्व सैनिकों का विवरण	63–65
5.7	जनपद बागेश्वर में स्थित होटल/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस की सूची	65–67
5.8	जनपद अन्तर्गत बी0एस0एन0एल0 मोबाईल टावर का विवरण	67–68
अध्याय – 06 (विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना)		
6.1	सिचाई विभाग	69–74
6.2	पुलिस विभाग	75–81
6.3	चिकित्सा विभाग	82–95
6.4	पशुपालन विभाग	69–101
6.5	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग	102–112
6.6	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0	113
6.7	खाद्य विभाग	114–117
6.8	वन विभाग	118–135
6.9	नगर पालिका विभाग	136–143
6.10	कृषि विभाग	144–146
6.11	उद्यान विभाग	147–148
7.0	क्या करे क्या न करें	149–150
7.1	आई0आर0एस0 से सम्बन्धित पत्र /अन्य प्रारूप	151–165

1.1 :: प्रस्तावना ::

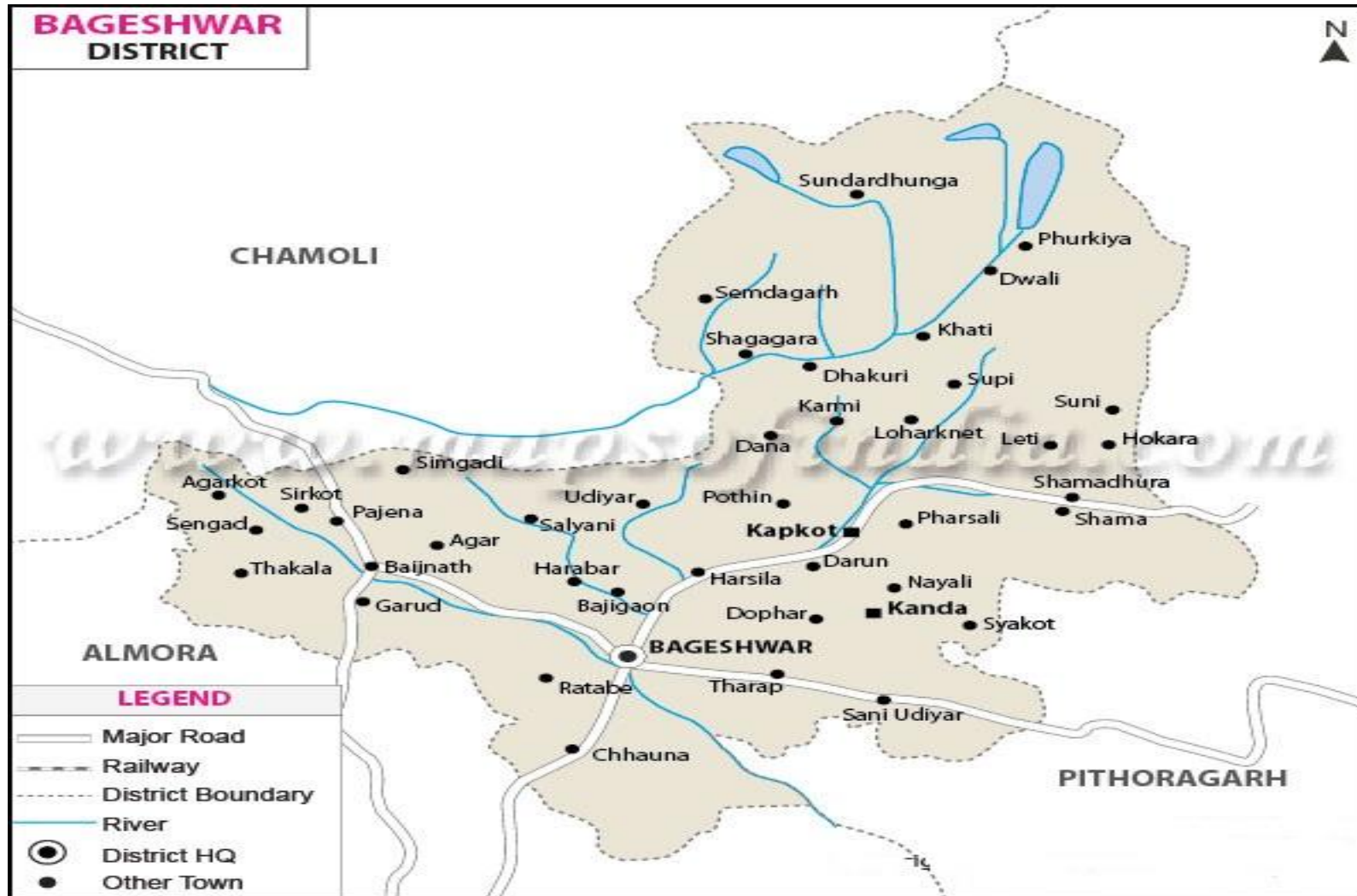
बागेश्वर नगर उत्तराखण्ड का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक, पौराणिक एवं पर्यटन स्थल है। जनपद बागेश्वर भूकम्प की दृष्टि से जोन 5 में स्थित होने के कारण बाढ़, अकाल, चक्रवात, भूस्खलन एवं भूकम्प जैसी आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। यह आपदायें आकस्मिक होती हैं जिनसे जान-मान एवं सम्पत्ति का नुकसान होता है। इन आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पूर्व तैयारी अत्यन्त आवश्यक है। आपदा प्रबन्धन कार्य योजना इसी पूर्व तैयारी का एक हिस्सा है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

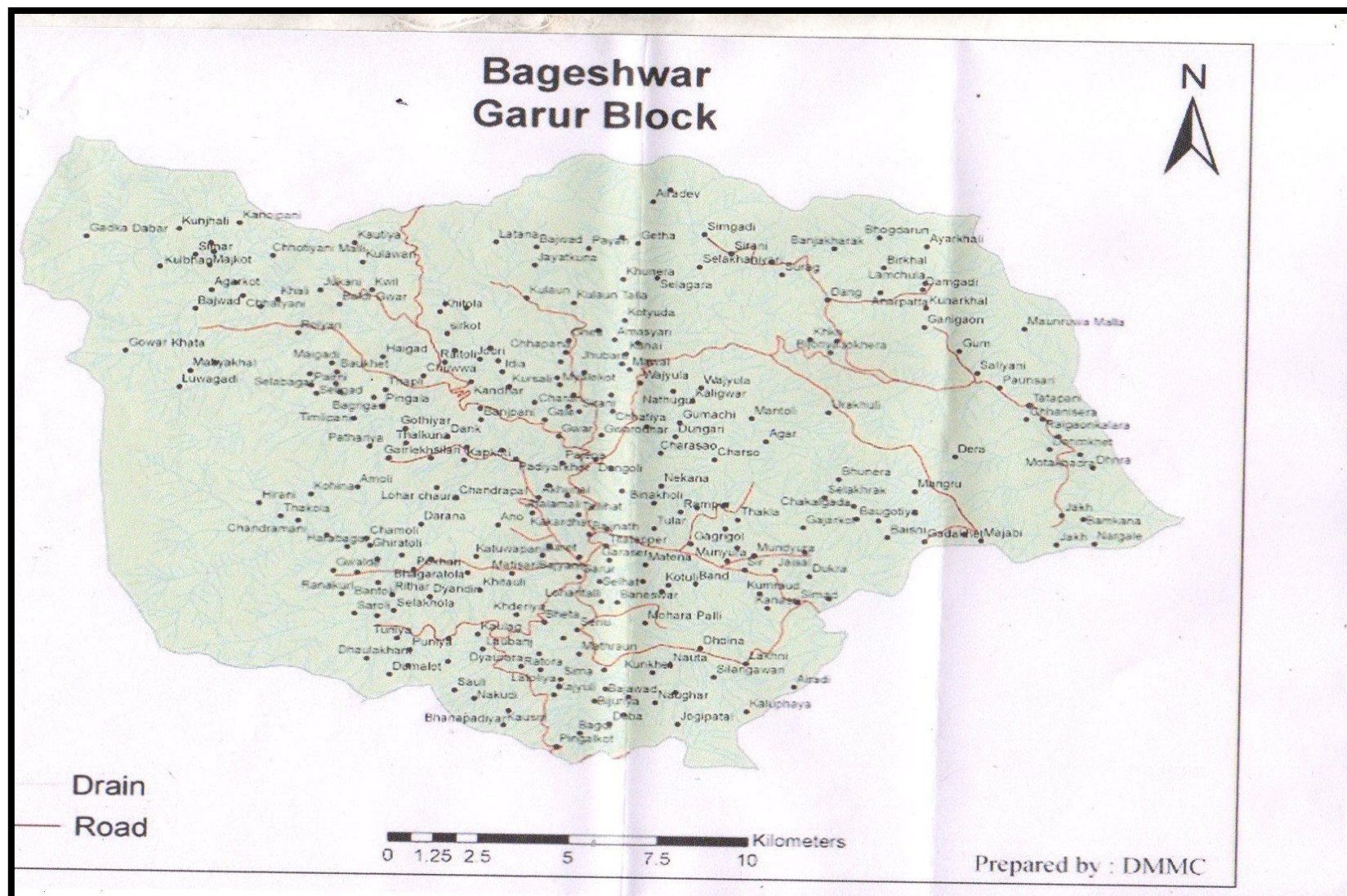
जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा 2006 से प्रतिवर्ष आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का संकलन किया गया है। तथा प्रति वर्ष इस कार्य योजना को अद्यतन (अपडेट) किया जाता है। पूर्व में आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के अन्तर्गत 7 डेस्क सिस्टम के आधार पर आपदा सम्बन्धी खोज-बचाव कार्यों का सम्पादन किया जाता था। 1. परिचालन डेस्क, 2. सर्विस डेस्क, 3. अवस्थापना डेस्क, 4. स्वास्थ्य डेस्क, 5. लॉजिस्टिक डेस्क, 6. संचार एवं सूचना डेस्क, 7. रिसोर्स डेस्क ।

प्रतिवर्ष इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को (2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 (इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम) अद्यतन (अपडेट) किया गया है।

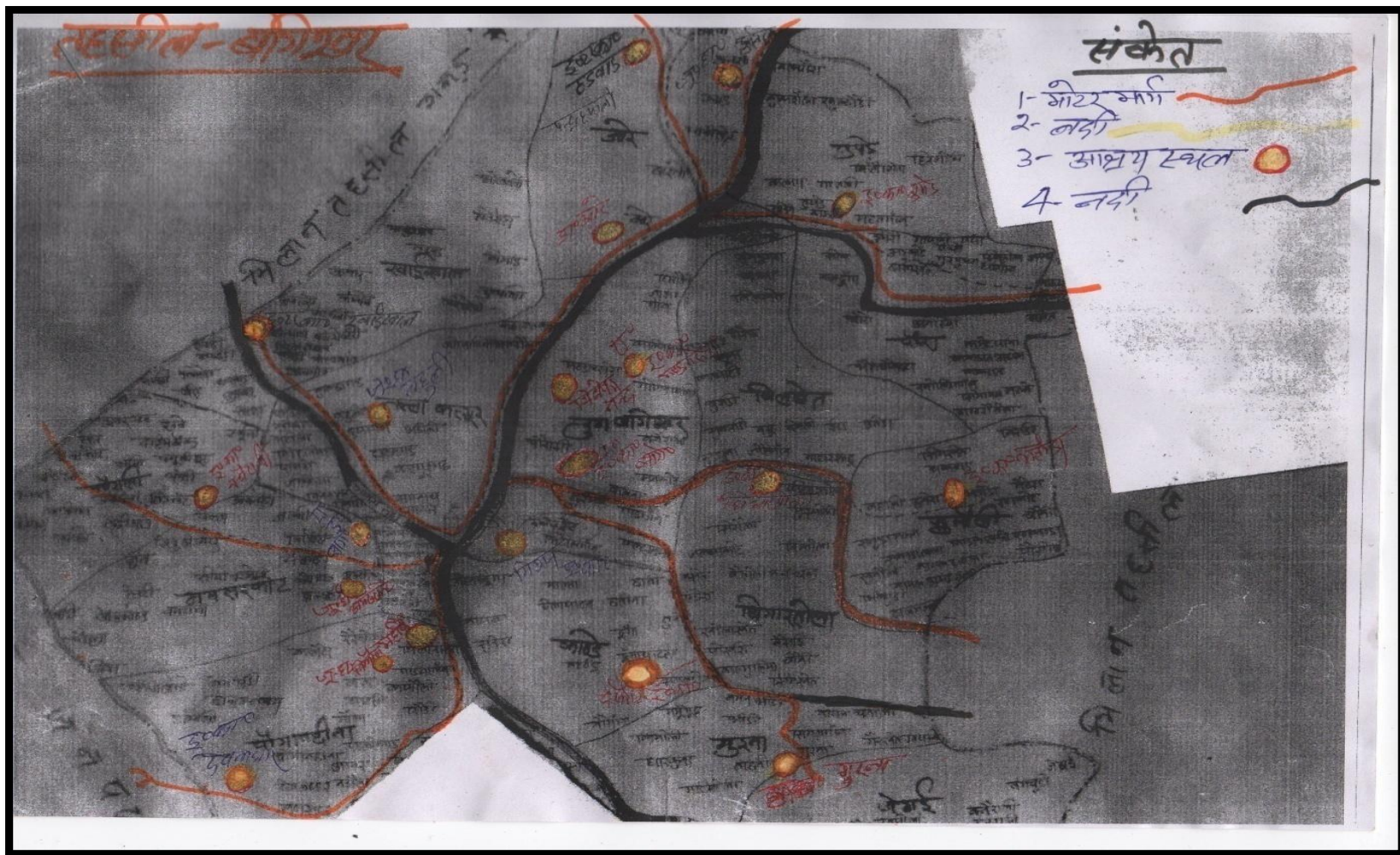
वर्तमान में जनपद की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एन0डी0एम0ए0 द्वारा प्रतिपादित आई0आर0एस0 सिस्टम (इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम) के आधार पर बनाई गयी है। इस कार्ययोजना का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष आने वाली आपदाओं और गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए भी किया जाना होगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहे।

1.2 ::जनपद बागेश्वर का मानचित्र ::

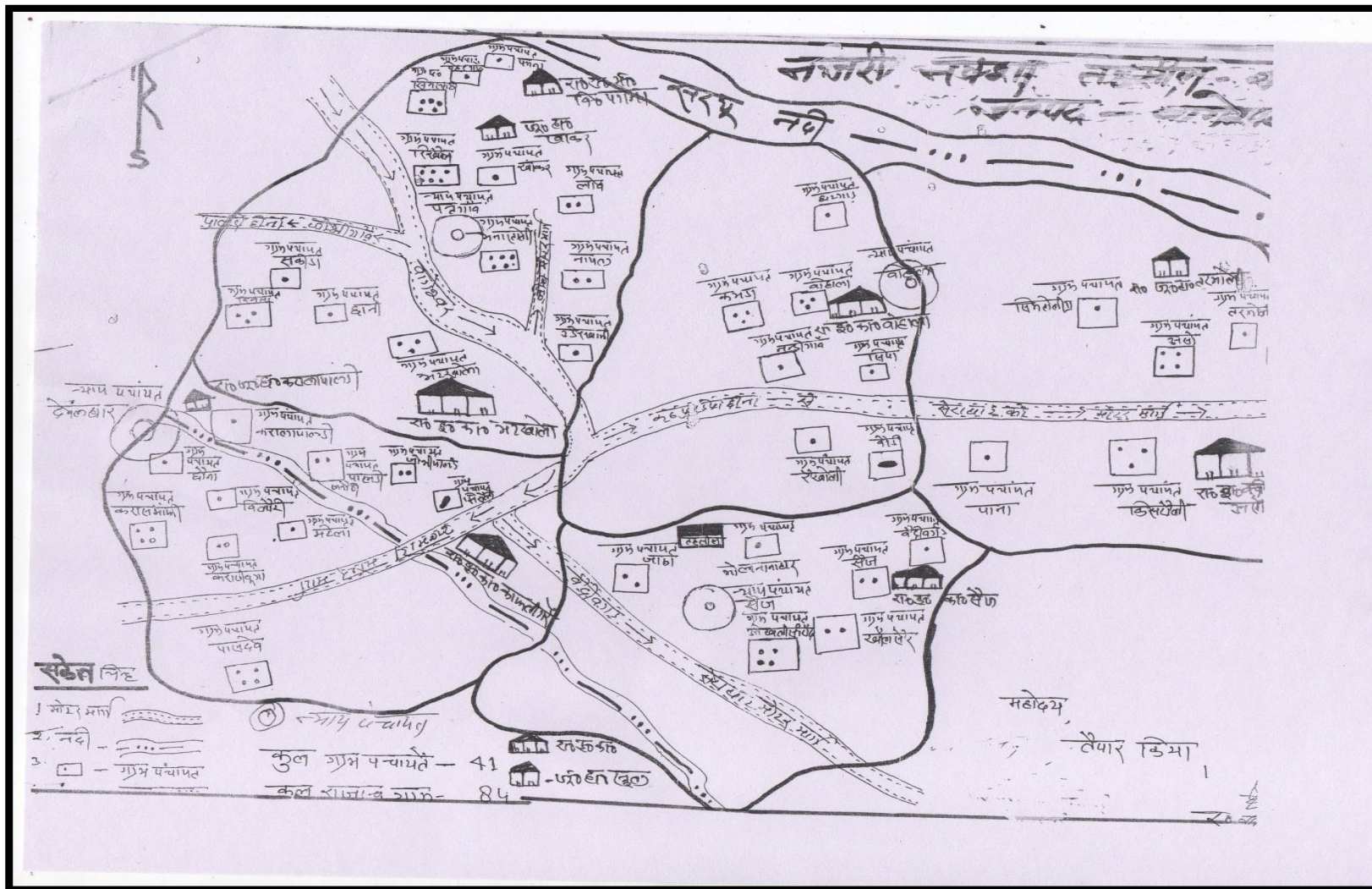




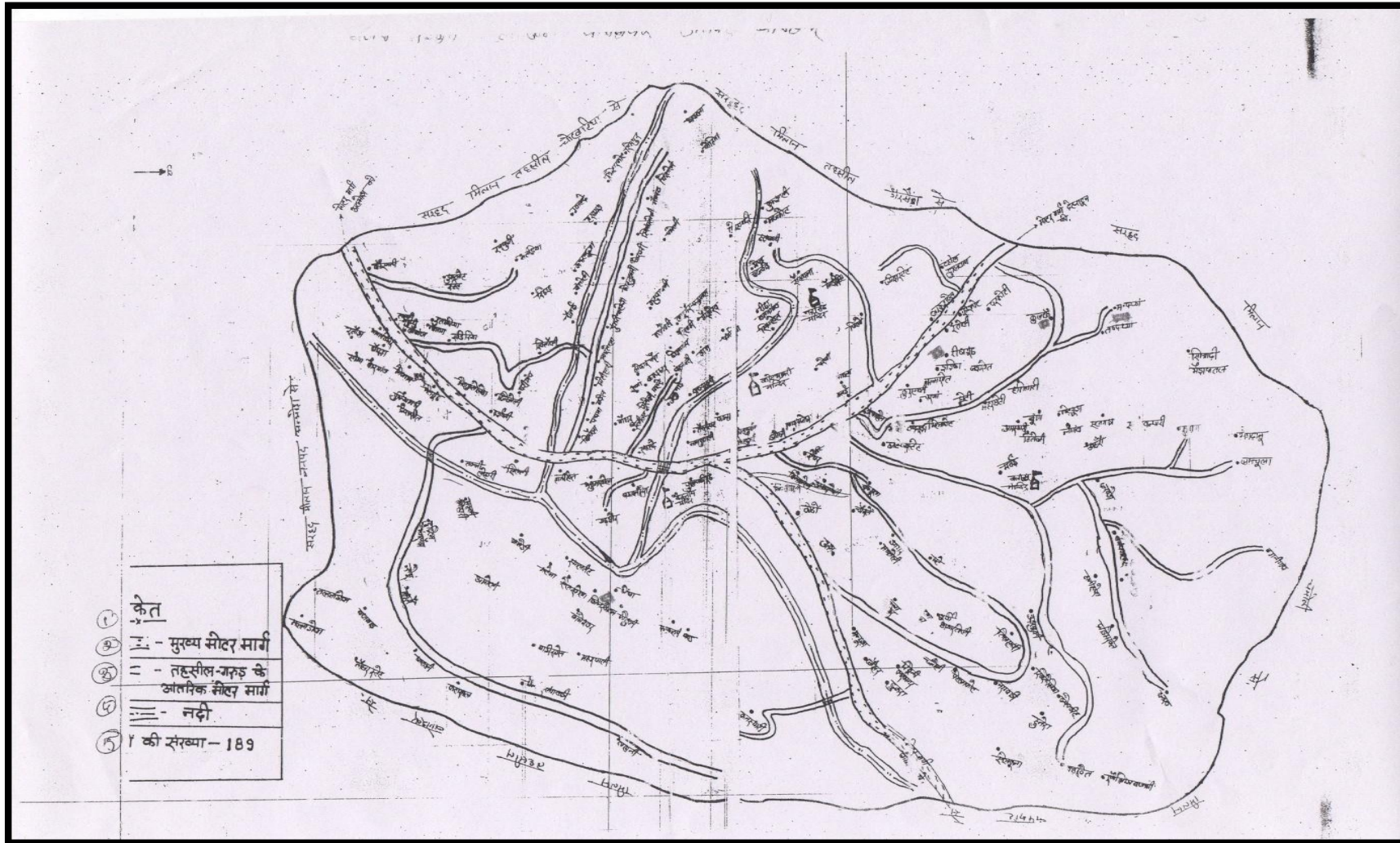


तहसील बागेश्वर

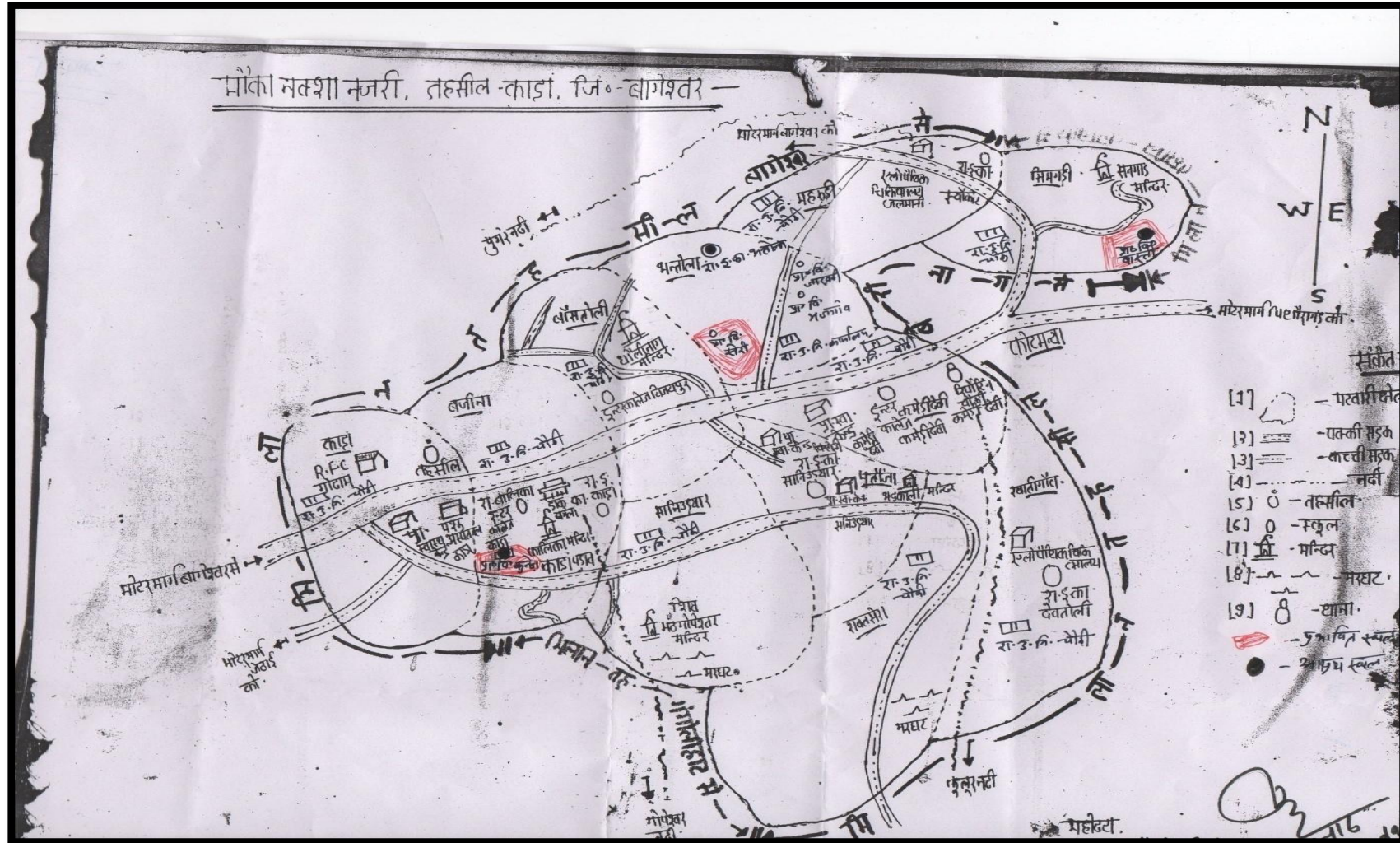
तहसील काफलीगैर



तहसील गरुड़



तहसील काण्डा



तहसील कपकोट



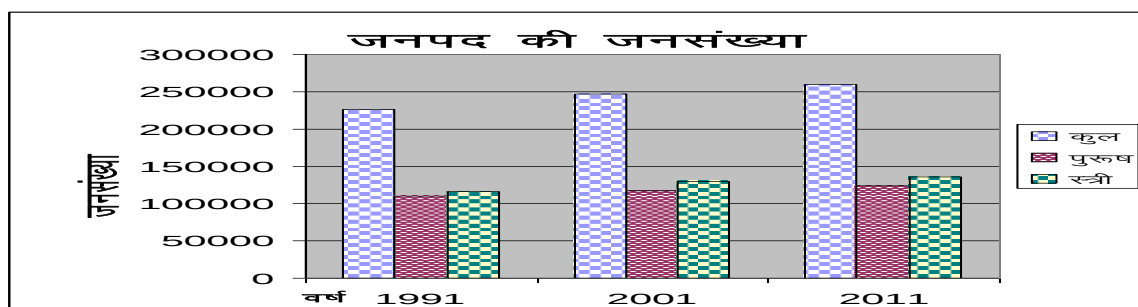
1.3 :: जनपद बागेश्वर संक्षिप्त परिचय ::

जनपद की स्थिति :-

बागेश्वर जनपद उत्तराखण्ड का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक, पौराणिक एवं पर्यटन स्थल है जो कि जनपद बागेश्वर का एक मात्र नगरीय क्षेत्र है। वर्तमान में अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत तथा बागेश्वर जनपद कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत आते हैं। यहाँ कभी 14 परगने तथा 80 पट्टियाँ थी तो वैकेट ने इनकी संख्या में वृद्धि कर 19 परगने तथा 116 पट्टियाँ फिर 125 पट्टियों में विभक्त किया। दानपुर परगना अर्थात् वर्तमान बागेश्वर जनपद उन्हीं 19 परगनों में से एक परगना है। इसके अन्तर्गत तीन विकास खण्ड बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट हैं। जनपद बागेश्वर 29°42'40" अक्षांश से 30°18'56" उत्तरी अक्षांश तथा 79°28" पूर्वी देशान्तर में 80°09'42" पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है। बागेश्वर जनपद के उत्तर-पश्चिम में चमोली जनपद, दक्षिण में अल्मोड़ा तथा दक्षिण पूर्व में पिथौरागढ़ जनपद स्थित है।

क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक विभाजन :-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत 06 तहसील एवं 01 उपतहसील शामिल हैं। बागेश्वर जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2246 वर्ग किमी० है। जिसे अल्मोड़ा जनपद से 37.5 प्रतिशत भाग को अलग कर सृजित किया गया है। यह सम्पूर्ण कुमाऊँ के 11 प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुए है। जनपद बागेश्वर में 06 तहसीलें क्रमशः बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, काण्डा, काफलीगैर एवं दुग नाकुरी एक उपतहसील शामिल तथा 3 विकास खण्ड हैं जो कि क्रमशः कपकोट, बागेश्वर, गरुड़ प्रशासनिक इकाईयाँ हैं। जनपद में एक नगरपालिका परिषद जनपद मुख्यालय बागेश्वर में तथा तहसील कपकोट में एक नगर पंचायत का सृजन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद बागेश्वर में 947 कुल ग्राम हैं। जिनमें से 73 ग्राम गैर आबाद हैं। कुल ग्रामों में 47 ग्राम वन ग्राम हैं। अवशेष 900 ग्रामों में से 854 आबाद ग्राम व 46 गैर आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के पश्चात् नगर पंचायत कपकोट का गठन हुआ है जिसमें 5 ग्राम पूर्ण रूप से तथा तीन ग्राम आंशिक रूप से सम्मिलित किये गये हैं। 31 मार्च 2015 तक जनपद के विकास खण्ड कपकोट में 118 ग्राम पंचायत तथा 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य संख्या हैं। तथा विकासखण्ड बागेश्वर में 192 ग्राम पंचायत एवं 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य संख्या है। जबकि विकासखण्ड गरुड़ में 106 ग्राम पंचायत व 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य संख्या है। जनपद बागेश्वर में कुल 35 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें विकास खण्ड कपकोट में 12, बागेश्वर में 16 तथा गरुड़ विकास खण्ड में 7 न्याय पंचायतें हैं। जनपद बागेश्वर में दो विधानसभा सीटें क्रमशः कपकोट तथा बागेश्वर हैं। इससे पूर्व जनपद में तीन विधान सभा क्षेत्र थे किन्तु निर्वाचन आयोग के नये परिसीमन के फलस्वरूप दो ही विधान सभा क्षेत्र रह गये हैं। जनपद में पुलिस अधीक्षक के अधीन 06 थानों क्रमशः बागेश्वर, गरुड़-बैजनाथ, झिरोली, कौसानी, काण्डा व कपकोट तथा 03 चौकियां कमेड़ीदेवी, रीमा, व डंगोली में कार्यरत हैं।



जलवायु :-

जनपद बागेश्वर समुद्र सतह से 800 मी० से लेकर 6000 मी० से ऊँचाई वाले भू-भाग में फैला है, लेकिन आबादी का अधिकांश भाग समुद्र से 12 मी० तक ऊँची नदी वेदिकाओं में बसा है। मौसम की दृष्टि

से जनपद की नदी घाटियां अत्यन्त गर्मी तथा उमस वाली है तो ऊंचे क्षेत्र अत्यन्त ठंडे। तापमान जहां घाटियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो ऊंचे क्षेत्रों में शून्य से नीचे चला जाता है। यहां पर अधिकांश आबादी नदी घाटियों में बसी हुई है तथा उत्तरी उच्च क्षेत्र विरल आबादी वाला है।

भौतिक विशेषता तथा भूमि उपयोग :-

जनपद का अधिकांश क्षेत्र केवल दो जलागम सरयू तथा गोमती क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि कुछ गांव पिण्डर तथा कुछ पूर्वी रामगंगा जलागम क्षेत्र में बसे हुए हैं। सरयू तथा गोमती दोनों ही छोटी-छोटी जल धाराओं से मिलकर बनी हैं इन जल धाराओं ने छोटी-छोटी लेकिन उपजाऊ वेदिकाओं का निर्माण किया है जिससे यह क्षेत्र धनधान्य पूर्ण है। विस्तृत तथा उबड़-खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यहां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पायी जाती हैं मिट्टी का स्वरूप मूलतः अपनी मूल चट्टान पर निर्भर करता है। नदी घाटियों या बगड़ों में नवीन जलोढ़ मिट्टी तो खड़िया, डोलामाईट तथा चूनी पत्थर के क्षेत्रों में बलुवी सफेद मिट्टी पायी जाती है। कहीं दोमट लाल मिट्टी भी पायी जाती है।

1.4 :: जनपद बागेश्वर एक दृष्टि में ::

आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य :-

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनपद की जनसंख्या 259898 थी, जिसमें 124326 पुरुष तथा 135572 महिलायें हैं। इस जनपद की कुल आबादी एक तिहाई से कम (30 प्रतिशत) आबादी कर्मकारों की श्रेणी में आते हैं। शेष के पास जनगणनानुसार कोई काम नहीं है। तृतीय श्रेणी के व्यवसाय सेवा नौकरी के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाएँ, अस्पताल, वन, भूमि संरक्षण, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, विद्युत, दूरसंचार, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, फौज आदि से सम्बन्धित कार्यालयों में 16 प्रतिशत लोग काम करते हैं। उद्योगों की कमी के कारण यहां द्वितीयक श्रेणी के कर्मकारों की संख्या 2 प्रतिशत से कम है। पूरे जनपद में 30 से 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति शिल्पकार तथा अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हैं। अनुसूचित जातियों में तांबे के कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक होने के साथ-साथ अपने व्यवसाय में इनका पूरे प्रदेश में अग्रणीय स्थान है। जनजातियां मुख्य रूप से जौहार मिले क्षेत्र में निवास करती है।

भू-विज्ञान एवं भू-आकृतिकी :-

उत्तराखण्ड उत्तर-पश्चिम में उत्तर-पूर्व तक फैले विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है। हिमालय के मध्य भाग में स्थित होने के कारण उत्तराखण्ड भू-वैज्ञानिकीय दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण हिमालय को चार हिस्सों में बांटा गया है। 1. शिवालिक पर्वत श्रृंखला 2. लघु हिमालय 3. उच्च हिमालय 4. टेटथीस हिमालय ये सभी भाग सीमान्त भ्रंशों द्वारा विभक्त हैं। जिनमें प्रमुख हैं— 1. मुख्य सीमान्ती भ्रंश 2. मुख्य केन्द्रीय भ्रंश तथा 3. हिमाद्रि भ्रंश।

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश हिस्सा लघु तथा उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। हिमालय के इसी क्षेत्र में इन सीमान्त भ्रंशों के अलावा कई अन्य छोटे-छोटे भ्रंश हैं जो सम्पूर्ण क्षेत्र में एक जाल का रूप बनाते हैं। भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से लगातार टकराने के कारण यह सभी भ्रंश विवर्तनिकी रूप से गतिशील हो गये हैं जो कि इस क्षेत्र में भूकम्प, भू-स्खलन तथा अन्य घटनाओं के कारण है। इन भ्रंशों की गतिशीलता तथा भूकम्प की संवेदनशीलता के अनुसार सम्पूर्ण हिमालय को विभिन्न जोनों में बांटा गया है। जनपद बागेश्वर लघु हिमालय में तथा भूकम्पीय दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र जोन-5 (Zone-5) में स्थित है। यह जनपद दो अति गतिशील भ्रंशों, मुख्य केन्द्रीय भ्रंश तथा उत्तरी अल्मोड़ा भ्रंश के मध्य स्थित होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। इन भ्रंशों के अलावा जनपद में कई अन्य भ्रंश भी स्थित हैं। जिसमें बैजनाथ भ्रंश, बेरीनाग भ्रंश तथा मुनस्यारी भ्रंश प्रमुख है यह सभी भ्रंश अत्यन्त गतिशील हैं।

जनपद में मुख्यतः जोनसार ग्रुप के नागथाट, बेरीनाग फार्मेशन, अल्मोड़ा ग्रुप के ग्रेनाईट, ग्रेनोडायोराइट तथा आगन नाईस तथा तेजम ग्रुप के देवन तथा मढ़ाली फार्मेशन की चट्टानें हैं। इस क्षेत्र में नवविवर्तनिकी क्रियाओं की गतिशीलता के कारण सभी मुख्य भ्रंश भी गतिशील हो गये हैं जो कि तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों से होने वाले भू-स्खलन, मलवा गिरना तथा बड़े पत्थरों के लुढ़कने का मुख्य कारण हैं इन भ्रंशों के गतिमान होने के कारण इस क्षेत्र की भू-आकृतिकी लगातार बदल रही है। गोमती तथा सरयू नदी द्वारा लगातार पथ बदलना, इन नदियों की मिआनड्रिंग तथा इन नदियों की घाटियों में पुराने तथा नए भू-स्खलन के मलवे का फैलना तथा किन रूप में मिलना इस बात का संकेत है कि विवर्तनिकी क्रियाएं इस क्षेत्र की आकृति में विशेष भूमिका निभा रही है।

1.5 :: जिला आपदा प्रबन्धन समिति ::

जिला आपदा प्रबन्धन समिति— जिला आपदा प्रबन्ध समिति, जिसमें जिले के सभी अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संस्थायें शामिल होंगी, जिला अधिकारी को निम्न कार्यों में सहयोग करेंगी—

- जिले में सम्भावित आपदाओं को खतरों का विश्लेषण कराना।
- जिले में सम्भावित आपदाओं की घातकता का विश्लेषण कराना।
- पूर्व तैयारी का मूल्यांकन कराना।
- जिला आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना का मूल्यांकन एवं सुझावों द्वारा उनमें परिवर्तन करना।

समिति के सदस्य—

क्र०सं०	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
1	जिला पंचायत अध्यक्ष, बागेश्वर	सह अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बागेश्वर	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
4	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर	सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर	सदस्य

आपदा प्राधिकरणों की बैठकों में समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ जनपद स्तरीय अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

जनप्रतिनिधि—

क्र०सं०	जनप्रतिनिधि	
1—	मा० सांसद अल्मोड़ा/बागेश्वर	सदस्य
2—	मा० विधायक बागेश्वर	सदस्य
3—	मा० विधायक कपकोट	सदस्य
4—	मा० अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर	सदस्य
5—	मा० ब्लाक प्रमुख बागेश्वर/कपकोट	सदस्य

जिला कोर ग्रुप के सदस्य—

- 1—जिलाधिकारी, बागेश्वर
- 2—पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर
- 3—प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
- 4—मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
- 5—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर
- 6—अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई
- 7—उप जिलाधिकारी, गरुड़
- 8—अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
- 9—अधिशासी अभियन्ता, उ०पा०कार्पो०, बागेश्वर
- 10—जिला विद्यालय निरीक्षक, बागेश्वर
- 11—अधि०अभि०, जल निगम निर्माण/प्राकल्प शाखा
- 12—जिला पूर्ति अधिकारी
- 13—मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर

1.6 :: आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 ::

1. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-25)

1. जनपद का जिलाधिकारी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष।
2. स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि प्राधिकरण का पदेन सह-अध्यक्ष।
3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य।
4. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य।
6. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम 02 जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य शासनादेश संख्या-1501&13/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 04.12.2007 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित।

2. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा-30)

1. जनपद प्रतिवादन योजना को समावेशित करते हुये आपदा प्रबन्धन योजना का विकास।
2. राष्ट्रीय नीति राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वयन व पर्यवेक्षण।
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हाकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन।
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन हेतु निर्गत मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश।
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हेतु मार्ग निर्देश।
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर का अनुश्रवण।
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशा निर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता।
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण।
10. आपदा की परिस्थितियों सामना करने के लिये क्षमताओं की समीक्षा व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण दिशा-निर्देश।
11. पूर्व तैयारी के स्तर की समीक्षा एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा-निर्देश।
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कर्मियों व स्वयं सेवी बचाव कर्मियों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों का आयोजन।
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर-सरकारी सस्थाओं के सहयोग से सामूदायिक समता विकास व जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

14. आपदा चेतावनी तन्त्र व जनसूचना तन्त्र विकसित किया जाना एवं इसका रख-रखाव उच्चीकरण किया जाना
 15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन योजना मार्ग निर्देशिका का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण।
 16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये।
 17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये।
 18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एवं जनपद सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
 19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों निकायों स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यों में समन्वयन।
 20. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वय व आवश्यक दिशा-निर्देश।
 21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।
 22. विकास योजनओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा।
 23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं मानकों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
 24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरो के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
 25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंडारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
 26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना।
 27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना।
 28. सुनिश्चित किया जाय कि संचार तंत्र कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं।
 29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यों का सम्पादन।
3. आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-34)
1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश।
 2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध।
 3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध।

4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य।
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था।
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार व्यवस्था की स्थापना।
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था।
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने के निर्देश।
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से सलाह।
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकता अनुसार आपूर्ति।
11. अस्थायी पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त किया जाना।
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन।

जनपद आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-31)

जनपद स्तरीय योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जाना है:

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों व क्षेत्रों का चिन्हांकन व विवरण।
2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य।
3. त्वरित एवं प्रभावी आपदा प्रतिवादन के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता।
4. विकास एवं पूर्व तैयारी हेतु जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य।
4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति के लिये प्रतिवादन योजना एवं कार्यविधियों:
 1. जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
 2. आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एवं तत्कालिक राहत।
 3. आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति।
 4. संचार तंत्र की स्थापना।
 5. जन साधारण के लिये सूचनाओं का प्रसारण।
 6. राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारीयों।

5. जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा-32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्ग-दर्शन में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी है:

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाले आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों हेतु व्यवस्थायें एवं संसाधन।
2. जनपद योजना के अनुरूप क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यवस्थायें।
3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये प्रतिवादन योजना व कार्यविधियाँ।

अध्याय –02

आपदा जोखिम एवं संवेदनशीलता

2.1 जनपद में आपदावार आपदा जोखिम न्यूनीकरण का विवरण—

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों एवं विभागों के माध्यम समन्वय होना अत्यन्त आवश्यक एवं उनकी भूमिका से निर्दिष्ट करना आवश्यक है। स्थानीय एवं जिला स्तर पर हितधारकों एवं विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना है। भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत जनपद निम्न आपदाओं से प्रभावित है –

1. त्वरित बाढ़
2. भूकम्प
3. भूस्खलन/हिमस्खलन
4. सूखा
5. वनाग्नि
6. अतिवृष्टि/बज्रपात

2.2 :: जनपद के खतरे एवं घातकता वाले क्षेत्र/संरचना ::

संवेदनशील ग्राम –

विकास खण्ड कपकोट –बघर, दोबाड़, कर्मी, ढोक्टीगाँव, लीती(तोक कीमू), बोरवलड़ा, किलपारा, वाछम, बदियाकोट, रिखाड़ी, बमसेरा (तोक खाईबगड़), कैचुवा, गैरखेत (तोक घुरतुवा)

अति संवेदनशील ग्राम – कुँवारी

विकास खण्ड काण्डा –ग्राम सेरी क्षेत्र भन्तोला।

विकास खण्ड बागेश्वर – देवलचौरा (आंशिक भाग),ग्वाड (आंशिक भाग), मटियोली,बहोली।

विकास खण्ड गरूड– जिनखोला, कुलाऊँ,सिमखेत।

2.3 जनपद में पूर्व में घटित आपदायें व उनका का विवरण—

क्र० सं०	तहसील	वर्ष	घटना का दिनांक/स्थान	प्रभावित व्यक्ति			अन्य विवरण
				मृतक	घायल	लापता	
	बागेश्वर	2013	बागेश्वर	—	02	—	—
		2014	बागेश्वर	—	—	—	—
		2015	बागेश्वर	—	—	—	—
		2016	बागेश्वर	01	01	—	—
		2017	बागेश्वर	01	—	—	—
	कुल			02	03		
2-	कपकोट	2013	1. बमसेरा	03	—	—	बादल फटना/ नाले में बहने एवं मलबे में दबने से
			2 .पोथिंग	03	—	—	
			3.जगथाना	01	—	—	
		2014	1. शामा	03	—	—	बादल फटना / नाले में बहने एवं मलबे में दबने से
			2. ठेली	01	—	—	
			3.नानी पन्याली	01	—	—	
			4.असो	01	—	—	
			5.गोगीना	01	—	—	
		2015	—	—	—	—	—
		2016	—	—	—	—	—
		2017	—	—	—	—	—
	कुल			14			
3-	गरुड़	2013	जखेड़ा	01	—	—	—
		2014		—	—	—	—
		2015		—	—	—	—
		2016	डंगोली	01			—
		2017	हरबगड़	01	—	—	बहने के कारण
	कुल			03			
4-	काण्डा	2013	—	—	—	—	—
		2014	पोखरी	—	01	—	
		2015	—	—	—	—	—
		2016	—	—	—	—	—
		2017	मृतक—ढोलगाँव , नायल	02	01 (उत्तर		—

					दुग)		
	कुल			02	02	—	—
5-	दुगनाकुरी	2014	—	—	—	—	—
		2015	—	—	—	—	—
		2016	—	—	—	—	—
		2017	—	—	—	—	—
6-	काफलीगैर	2014	—	—	—	—	—
		2015	—	—	—	—	—
		2016	—	—	—	—	—
		2017	लोब	01	—	—	ब्रजपात
	कुल			01			
	कुल योग			22	05		

2.4 जनपद की तहसीलों, विकास खण्डों, थानों/चौकी, का विवरण

क्र०सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	थाने का नाम	चौकी का नाम
1.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	कमेड़ी देवी
2.	काण्डा		काण्डा	
3.	काफलीगैर		झिरौली	
4.	दुगनाकुरी			
5.	गरुड़	गरुड़	बैजनाथ	डंगोली
			कौसानी	
6.	कपकोट	कपकोट	कपकोट	शामा
				रीमा

2.5 जनपद अन्तर्गत विकासखण्डवार का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	कुल क्षेत्रफल(वर्ग कि०मी०)	परिवार की संख्या	जनसंख्या		
				स्त्री	पुरुष	कुल
1	बागेश्वर	76025 वर्ग कि०मी०	21181	52639	49394	102033
2	गरुड़	141.07 वर्ग कि०मी०	15,192	36,817	31,800	68,670
3	कपकोट	593.50वर्ग कि०मी०	16,542	39,203	35,751	74,954

जनपद अन्तर्गत न्याय पंचायत/ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बागेश्वर	16	182
2.	गरुड़	07	106
3.	कपकोट	12	118
	कुल	35	406

जनपद अन्तर्गत पंजीकृत महिला एवं युवक मंगल दलों के प्रशिक्षण का विवरण

क्र० सं०	विकास खण्ड	गैर सरकारी संगठन	प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं युवक मंगल दल
1	बागेश्वर	उत्तरांचल ग्रामीण विकास समिति, बनखोला, बागेश्वर	आरे, बांजीरौठ, अनर्सा, मटेला, नरगोली, रिखायल, छौना, जोशीपालड़ी, थकलाड़, फटगली
2	कपकोट	एडवैन्चर लवर्स सोसाईटी, पिथौरागढ़	पोलिंग, असों, मल्खाडुंगर्चा, शामा, भनार, कर्मी, तोली, पोथिंग, किरौली
3		जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर	जालेख, चौड़ा, लीती, लाथी, हाम्टीकापड़ी, फरसाली पल्ली, खाती, सलिंग, काफलीकमेड़ा, नौकोडी
4		नचिकेता ज्ञान एवं सेवा समिति, द्वाराहाट	गुलमपरगढ़, पनौरा, बडीपन्याली, दियालीकुरौली, तरसाल, रिखाड़ी, लाहुर, रैथल
5	गरुड़	नव प्रभात सामाजिक एवं पर्यावरण विकास समिति, सोमेश्वर	गलई, अयारतोली, ग्वाड़पजेणा, अमोली, फुलवाडीगूँठ, जिनखोला, मटेना, हरीनगरी, घेटी
6		यू०बी०टैड० स्वायत्त सहकारिता, अल्मोड़ा	मजकोट, पाये, पोखरी, पचना, तल्लानाकुरी
प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं युवक मंगल दलों की कुल संख्या			51

2.6 जनपद में आयोजित होने वाले मेले/त्योहारों/ग्रामीण मेले /अन्य आयोजनों का विवरण

क्र० सं०	मेले/त्योहारों/अन्य आयोजन का नाम	आयोजन स्थल	तहसील	एकत्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	अन्य विवरण
1.	उत्तरायणी मेला	भरड़ी	कपकोट	लगभग-5,000	दिन का मेला
2.	पोथिंग माँ भगवती मेला	पोथिंग	कपकोट	लगभग-3,000	दिन एवं रात्रि का
3.	भनार मन्दिर मेला	भनार	कपकोट	लगभग-3,000	दिन एवं रात्रि का
4.	मूल नारायण मेला	शिखर	कपकोट	लगभग-3,000	दिन का मेला
5.	कर्मी माँ भगवती मेला	बदियाकोट	कपकोट	लगभग-3,000	दिन का मेला
6.	लीती मन्दिर मेला	लीती	कपकोट	लगभग-2,000	दिन का मेला
7.	सनगाड़ मेला	सनगाड़	काण्डा	लगभग-2,000	—
8.	दशमी मेला कालिका मन्दिर	काण्डा पड़ाव	काण्डा	लगभग-3,000	—
9.	धौलिनाग मन्दिर मेला	विजयपूर	काण्डा	लगभग-2,000	—
10.	भद्रकाली मन्दिर मेला	भद्रकाली	काण्डा	लगभग-2500	—
11.	श्री 1008 मूल नारायण	बनलेख बजार	दुगनाकुरी	लगभग-1200	प्रत्येक माह नवम्बर में आयोजित
12.	माँ नन्दा देवी	दोफाड	दुगनाकुरी	लगभग-1500	प्रत्येक माह अगस्त में आयोजित
		जुनायल		लगभग-1000	
		सनेती		लगभग-4,000	
13.	सातु-आटु	असों	काफलीगैर	लगभग-200-250	—
14.	सातु-आटु	बोहाला	काफलीगैर	लगभग-200-250	—
15.	उत्तरायणी मेला	बागेनाथ मन्दिर परिसर/	बागेश्वर	लगभग-500-4,000	—

		नुमाईशखेत मैदान			
16	शिवरात्रि	बागनाथ मन्दिर नीलेश्वर धाम	बागेश्वर	लगभग-500-1,000	—
17	चेत्राष्टमी	कोटभ्रामरी डंगोली	गरुड़	लगभग-10,000	—
18	भाद्रपदाअष्टमी (नन्दाष्टमी)	कोटभ्रामरी डंगोली	गरुड़	लगभग-10,000	—
19	महाशिवरात्रि	बैजनाथ / जैसर	गरुड़	लगभग-2,000	—
20	श्री कृष्ण जनमाष्टमी	पिंगलों / कौसानी / डंगोली	गरुड़	लगभग-5,000	—

जनपद बागेश्वर में मुख्य मार्गों के बन्द होने पर वैकल्पिक मार्गों —:

क्र० स०	मोटर मार्ग का नाम	अधिशाली अभियन्ता का नाम/मो०नं०	सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मो० नं०	मार्ग खोलने हेतु जे०सी०बी० आपरेटर का नाम/मो० नं०	वैकल्पिक मोटर मार्ग का नाम	सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मो० नं०	मार्ग खोलने हेतु जे०सी०बी० आपरेटर का नाम/मो० नं०	अधिशाली अभियन्ता का नाम/मो०नं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्मोड़ा-ताकुला- बागेश्वर मोटर मार्ग।	इं० बी०आर०टम्टा मो०नं०- 9411289401	श्री हितेश काण्डपाल, मो०नं०-8126431438 श्री अजय पाल सिंह निराला, मो०नं०-7300798207	श्री केदार सिंह मो०नं०- 7500710784	बागेश्वर-गिरेछीना मोटर मार्ग बैजनाथ-कौसानी मोटर मार्ग	श्री भुवन चन्द्र जोशी, मो०नं०-9412906505 श्री दानिश अख्तर मो०नं०-9410457466	श्री सुन्दर सिंह मो०नं०- 9411760834	इं० उमेश चन्द्र पन्त मो०नं०- 9412909894
2	बागेश्वर-कपकोट- शामा- तेजम मोटर मार्ग(एस०एच०-60)	इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059	श्री राहुल आर्या मो०नं०- 9760934270 श्री गोविन्द सिंह मो०नं०- 9634314599		1- किमी० 11-24 मे मोटर मार्ग बन्द होता है, तो वैकल्पिक मोटर मार्ग के रूप मे किमी० 18 से बैडा पाखड होते हुए दोफाड रीमा बागेश्वर जाया जा सकता है जो बालीघाट के पास निकलता है। 2- शामा से भराडी तक यदि मार्ग बन्द होता ह तो वैकल्पिक मार्ग के रूप मे विनायक हरसिंगियाबगड भानी	श्री राहुल आर्या मो०नं०- 9760934270 श्री गोविन्द सिंह मो०नं०- 9634314599		इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059

					होते हुए जाया जा सकता है। 3- रामगंगा से शामा तक यदि मार्ग बंद होता है तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में तेजम होते हुए आया जा सकता है।			
3	बागेश्वर-काण्डा-कोटमन्यामोटर मार्ग।	इं० बी०आर०टम्टा मो०नं०- 9411289401	श्री हितेश काण्डपाल, मो०नं०-8126431438 श्री अजय पाल सिंह निराला, मो०नं०-7300798207	श्री धीरेन्द्र सिंह मो०नं०- 7248019641,	बागेश्वर-दोफाड़-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग	श्री गजेन्द्र सिंह मो०नं०-9568334620 श्री सन्तोष कुमार मो०नं०- 8057590150	श्री उदय वीर यादव मो०नं०- 8126238642	इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059
4	बालीघाट-दोफाड़-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग (एस०एच०-40)	इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059	श्री गजेन्द्र सिंह मो०नं०-9568334620 श्री सन्तोष कुमार मो०नं०- 9917806556		बागेश्वर-काण्डा-कोटमन्या- बेरीनाग मोटर मार्ग (एन०एच० 309 ए०)	श्री गजेन्द्र सिंह मो०नं०-9568334620 श्री सन्तोष कुमार 9917806556		इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059
5	कपकोट-पिण्डारी-रलेशियर मोटर मार्ग लम्बाई- 18. किमी०	इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059	श्री राहुल आर्या मो०नं०- 9760934270 श्री गोविन्द सिंह मो०नं०- 9634314599		कपकोट-कर्मी-रिखाडी-वाछम मोटर मार्ग	श्री राहुल आर्या मो०नं०- 9760934270 श्री गोविन्द सिंह 9634314599		इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059
6	बागेश्वर-बालीघाट मोटर मार्ग।	इं० चतुर लाल मो०नं०- 9412410779	श्री के०एस० बसेड़ा मो०नं०- 9412980535 श्री जे०के० टम्टा मो०नं०- 9758169105	श्री दीवान सिंह परिहार मो०नं०- 9412100574	बागेश्वर-कमेडीदेवी-स्याकोट-दोफाड़- बालीघाट मोटर मार्ग।	श्री हीरा बल्लभ भट्ट मो०नं०- 9412930156 श्री ईश्वर जोशी 9411197550	श्री शेर सिंह मो०नं०- 9012156857	इं० एस०के० पाण्डेय मो०नं०- 9719471059

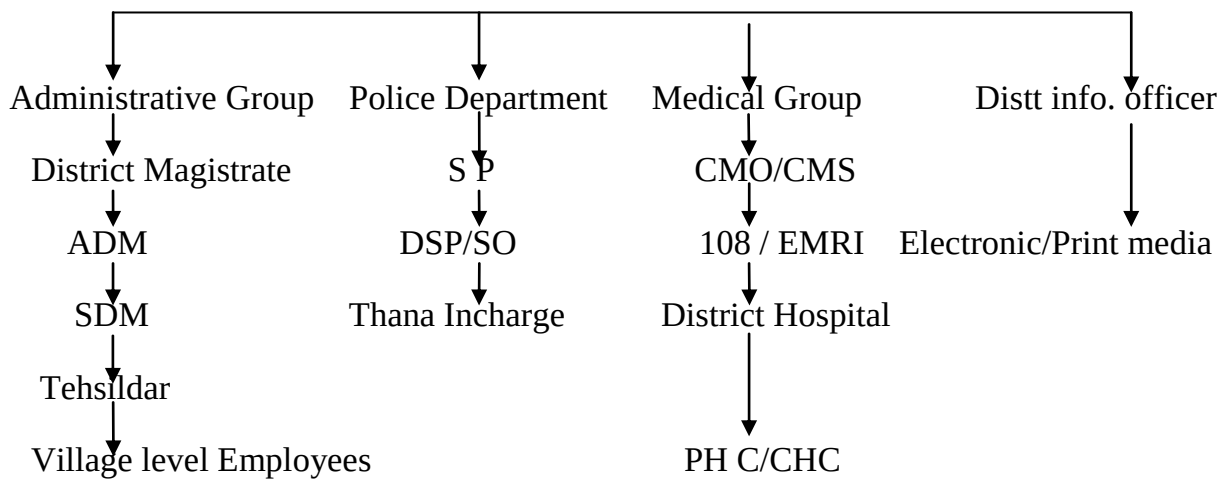
					बागेश्वर-डंगोली-सैलानी -दाड़िमखेत- हरबाड- पन्द्रहपाली-बालीघाट मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र मो0नं0- 9759419177 श्री इन्द्र कुँवर 9412949790	श्री महेश चन्द्र मो0नं0- 9411482898	इं0 एस0के0 पाण्डेय मो0नं0- 9719471059
7	कपकोट-भराडी-सौ ग-रिखाडी- बाछम-बदियाकोट मोटर मार्ग।	इं0 राजेन्द्र प्रसाद मो0नं0- 9412951292	श्री मनोज भट्ट मो0नं0- 9412930380 श्री देवेन्द्र कुमार मो0नं0- 9411525725	श्री विक्रम सिंह रावत मो0नं0- 9412945997	कपकोट-कर्मी-बदियाको ट मोटर मार्ग।	श्री मनोज भट्ट मो0नं0- 9412930380 श्री देवेन्द्र कुमार 9411525725	श्री विक्रम सिंह रावत मो0नं0- 9412945997	इं0 राजेन्द्र प्रसाद मो0नं0- 9412951292
8	काफलीगैर-कठपुडिय ाछीना-पौडीघार मोटर मार्ग।	इं0 उमेश चन्द्र पन्त मो0नं0- 9412909894	श्री आनन्द सिंह विष्ट मो0नं0- 9412410629 श्री आर0पी0टम्टा मो0नं0- 9411132811	श्री नरेन्द्र सिंह मो0नं0-75006 36970	काफलीगैर-झिरौली-देव ार-पौडीघार मोटर मार्ग।	श्री जे0के0 टम्टा मो0नं0- 9758169105	श्री दीवान सिंह परिहार मो0नं0- 9412100574	इं0 चतुर लाल मो0नं0- 9412410779
9	बागेश्वर-गिरेछीना- सोमेश्वर मोटर मार्ग	इं0 उमेश चन्द्र पन्त मो0नं0- 9412909894	श्री दिनेश चन्द्र जोशी मो0नं0- 9568514190 दानिश अख्तर मो0नं0-9927700308	श्री सुन्दर सिंह मो0नं0- 9411760834	बागेश्वर-बैजनाथ-सोमेश वर मोटर मार्ग।	श्री नवल किशोर द्विवेदी मो0नं0-9719974196 दीपिका 9410143687	श्री सुन्दर सिंह मो0नं0- 9411760834	इं0 उमेश चन्द्र पन्त मो0नं0- 9412909894
10	बैजनाथ-ग्वालदम मोटर मार्ग।	इं0 उमेश चन्द्र पन्त मो0नं0- 9412909894	श्री नवल किशोर द्विवेदी मो0नं0-9719974196 श्री विरेन्द्र कुमार मो0नं0- 9927268673	श्री नीरज कार्की मो0नं0- 7055975055	बैजनाथ-हरिनगरी-कुला ऊ-ग्वालदम मोटर मार्ग।	श्री नवल किशोर द्विवेदी मो0नं0-9719974196 श्री विरेन्द्र कुमार 9927268673	निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।	इं0 उमेश चन्द्र पन्त मो0नं0- 9412909894

अध्याय –03

आपदा पूर्व तैयारी एवं कार्यवाही

3.1 संस्थागत ढांचा — आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (i) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये आपदा प्रबन्धन की याजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22(2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्रविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार जनपद में आपदाकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग, जी०एस०आई० एवं सी०डब्लू०सी से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा। मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे, अपरान्ह में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई-मेल, डी०एस०पी०टी० फोन तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वट्सएप के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

जिला स्तरीय सूचना तंत्र



सायरन — जनपद आपदाकालीन परिचालन केन्द्र तथा यू०जे०वी०एन०एल के सायरन से एलर्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर हैड आपरेट सायरन से एलर्ट किया जाता है। पुलिस, अग्निशम तथा अन्य विभागों गाडियों में स्थापित सायरन से एलर्ट किया जाता है। जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूचित संकलित की गया है जिससे आपदा के समय उनको उपयोग किया जा सके।

3.2:: जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, बागेश्वर ::

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र जिला अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा। यह नियन्त्रण कक्ष आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी कार्यों को सफलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से क्रियान्वित करने का एक मुख्य केन्द्र होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र के कार्य –

- आपातकालीन परिचालन केन्द्र, में तैनात कर्मचारियों द्वारा 24×7 की तर्ज पर कार्य किया जाना।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात किये गये कर्मचारियों द्वारा बाहर से आने वाली समस्त सूचनाओं का संकलन कर सम्बन्धितों को प्रेषित किया जायेगा तथा कंट्रोल रूम में अवस्थित पंजिका में भी दर्ज किया जाना।
- उक्त कर्मचारियों द्वारा आपदा नियन्त्रण कक्ष में स्थापित वाकी-टॉकी सैट तथा सैटेलाईट सैट का संचालन किया जाना।
- सभी चेतावनी यन्त्रों तथा खोज –बचाव उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।
- जिले के सभी विभागों से नियन्त्रित रूप से तहसीलों तथा विकासखण्डों की घातकता सम्बन्धी सूचना एकत्र करना।
- पूर्व तैयारी सम्बन्धी विभिन्न विभागों से मांगी गयी रिपोर्ट का विश्लेषण कर उन्हें आपातकालीन परिचालन केन्द्र (EOC), आयुक्त आपदा प्रबन्ध (Commissioner, Disaster Management), आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र (DMMC) एवं मण्डलायुक्त (Commissioner) को भेजना।
- जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना (DDMAP), को बदलते परिवेश में बदलना तथा विभिन्न श्रोतों का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा अपनायी गयी पूर्व तैयारी का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना।
- जिला आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना को जिले के विभिन्न स्तरों पर लागू करना।
- विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को सामुदायिक पूर्व तैयारी के लिये तैयार करना।
- आपदा दलों का गठन करना।
- जिले की आपदा सम्बन्धी दस्तावेज एवं रिपोर्ट तैयार करना तथा आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सौंपना।

3.3 मानसून अवधि के दौरान जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का अन्यत्र स्थान में स्थानांतरण की सूची वर्ष 2018–2019 जनपद-बागेश्वर।

:: बरसात के मौसम में आपदा के अर्न्तगत सम्भावित स्थानान्तरित होने वाले विद्यालयों का विवरण ::

क्र० स०	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	संचालित किये जाने वाले विद्यालय/स्थान का नाम	विकास खण्ड का नाम	मो०न०
1.	रा०प्रा०वि० बेहरगाँव		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
2.	रा०प्रा०वि० ओखलसौं (जिला योजना द्वारा निर्माणधीन)		रा०प्रा०उ०वि० ओखलसौं	बागेश्वर	
3.	रा०प्रा०वि० जल्थाकोट		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
4.	रा०प्रा०वि० सिया (जिला योजना द्वारा निर्माणधीन)		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
5.	रा०प्रा०वि० नैलकट्यूर		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
6.	रा०प्रा०वि० करास		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
7.	रा०प्रा०वि० गडैरा		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
8.	रा०प्रा०वि० साता		पंचायत घर	बागेश्वर	
9.	रा०प्रा०वि० पोखरी		रा०प्रा०वि० खन्तोली	बागेश्वर	
10.	रा०प्रा०वि० तोकगडिया		पंचायत घर	बागेश्वर	
11.	रा०प्रा०वि० दाडिमथोक		पंचायत घर	बागेश्वर	
12.	रा०प्रा०वि० ग्वाड (जिला योजना)		पंचायत घर	बागेश्वर	

13.	रा0प्रा0वि0 सन(जिला योजना द्वारा निमार्णाधीन)		पंचायत घर	बागेश्वर	
14.	रा0प्रा0वि0 कमोल		निजी आवास	बागेश्वर	
15.	रा0प्रा0उ0वि0 खबडोली		पंचायत घर	बागेश्वर	
16.	रा0प्रा0वि0 छाती		जू0हा0 छाती	बागेश्वर	
17.	रा0प्रा0वि0 सिरौली		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	बागेश्वर	
18.	रा0प्रा0वि0 मिकिला		पंचायत घर	कपकोट	
19.	रा0प्रा0वि0 चनुली		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
20.	रा0प्रा0वि0 कीमू		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
21.	रा0प्रा0वि0 नानीपन्याली		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
22.	रा0प्रा0वि0 बड़ेत (जिला योजना द्वारा निमार्णाधीन)		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
23.	रा0प्रा0वि0 किरौली		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
24.	रा0प्रा0वि0 जालेख		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
25.	रा0प्रा0वि0 सेरी		पंचायत घर	कपकोट	
26.	रा0प्रा0वि0 समडर(जिला योजना द्वारा निमार्णाधीन)		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
27.	रा0प्रा0वि0 बघर (एस0एस0ए0 द्वारा निमार्णाधीन)		पंचायत घर	कपकोट	
28.	रा0प्रा0वि0 पटाक (एस0एस0ए0 द्वारा निमार्णाधीन)		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
29.	रा0प्रा0वि0 तीख (एस0एस0ए0 द्वारा निमार्णाधीन)		पंचायत घर	कपकोट	
30.	रा0प्रा0वि0 सिलकानी		पंचायत घर	कपकोट	
31.	रा0प्रा0वि0 बाफिलागाँव (जिला योजना द्वारा निमार्णाधीन)		रा0उ0प्रा0वि0 सिरालागाँव	कपकोट	
32.	रा0प्रा0वि0 जुबरा		गाँव में वैकल्पिक व्यवस्था	कपकोट	
33.	रा0प्रा0वि0 घेटी (जिला योजना)		पंचायत घर	गरुड़	
34.	रा0प्रा0वि0 बच्चाड		निःशुल्क निजी आवास	गरुड़	
35.	रा0प्रा0वि0 लाखनीबगीचा (जिला योजना)		रा0प्रा0वि0 लाखनी	गरुड़	
36.	रा0प्रा0वि0 गनीगाँव		पंचायत घर	गरुड़	
37.	रा0प्रा0वि0 सिमगड़ी (जिला योजना)		रा0प्रा0वि0 दाबू	गरुड़	
38.	रा0प्रा0वि0 हरबगड (जिला योजना)		रा0प्रा0वि0 कफलदूंगा	गरुड़	
39.	रा0प्रा0वि0 घटकनेला		रा0प्रा0वि0 द्योनाई	गरुड़	
40.	रा0प्रा0वि0 रौल्याना (जिला योजना)		रा0उ0प्रा0वि0 रौल्याना	गरुड़	
41.	रा0प्रा0वि0 मजकोट		रा0प्रा0वि0 सिमारमजकोट	गरुड़	
42.	रा0प्रा0वि0 ग्वाड(जिला योजना)		निःशुल्क निजी आवास	गरुड़	
43.	रा0उ0प्रा0वि0 मालदेय		पंचायत भवन	गरुड़	
44.	रा0उ0प्रा0वि0 मटीना		रा0प्रा0वि0 मटीना	गरुड़	
45.	रा0प्रा0वि0 किलापखेत		निःशुल्क निजी आवास	गरुड़	
46.	रा0प्रा0वि0 बन्तौली		रा0इ0का0 बन्तौली	गरुड़	
47.	रा0प्रा0वि0 रडपुडी		रा0प्रा0वि0 सरोली	गरुड़	
48.	रा0प्रा0वि0 लछियागैर		रा0उ0प्रा0वि0 कफलदूंगा	गरुड़	
49.	रा0प्रा0वि0सेलकूना		निःशुल्क निजी आवास	गरुड़	
50.	रा0प्रा0वि0 पचना		पंचायत भवन	गरुड़	
51.	रा0प्रा0वि0 रैतोली		रा0उ0प्रा0वि0 रैतोली	गरुड़	
52.	रा0प्रा0वि0 मल्लापयां		रा0प्रा0वि0 पयां	गरुड़	
53.	रा0उ0प्रा0वि0 पिगलों (जिला योजना द्वारा निमार्णाधीन)		पंचायत भवन	गरुड़	

3.4: बागेश्वर अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों/परिवारों की तहसील वार एवं श्रेणीवार सूची जिन्हें अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है ::

क्र० सं०	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	विस्थापित किये जाने का कारण	अत्यधिक संवेदनशील परिवारों की संख्या (कालम 4 के सापेक्ष)	अधिक संवेदनशील परिवारों की संख्या	संवेदनशील परिवारों की संख्या	चयनित भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्थिति	ग्राम का पूर्ण आंशिक भाग
1.	कपकोट	दोबाड़	13	भूस्खलन से खतरा	13	—	—	नही	आंशिक भाग
2.		बड़ेत	16	भूस्खलन/ कटाव	11	—	05	हाँ	आंशिक भाग
3.		लीती	13	भूस्खलन से खतरा	—	—	13	हाँ	आंशिक भाग
4.		बघर	13	भूस्खलन से खतरा	—	—	13	हाँ	आंशिक भाग
5.		कर्मी	12	भूस्खलन से खतरा	—	—	12	हाँ	आंशिक भाग
6.		सीरी	06	भूस्खलन/ नदी कटाव	—	—	06	हाँ	आंशिक भाग
7.		नौकोड़ी	18	भूस्खलन से खतरा	—	—	18	हाँ	आंशिक भाग
8.		गैरखेत	04	भूस्खलन से खतरा	—	—	04	हाँ	आंशिक भाग
9.		बमसेरा	03	भूकटाव से खतरा	—	—	03	हाँ	आंशिक भाग
10.		बाछम	22	भूस्खलन से खतरा	—	—	22	हाँ	आंशिक भाग
11.		किलपार I	10	भूस्खलन से खतरा	—	—	10	हाँ	आंशिक भाग
12.		तोली	07	भूस्खलन से खतरा	—	—	07	नही	आंशिक भाग
13.		लामाघर	08	भूधसाव से खतरा	—	—	08	हाँ	आंशिक भाग
14.		गुण्ठी	08	भूस्खलन से खतरा	—	—	08	हाँ	आंशिक भाग
15.		कालापैर कापड़ी	13	भूस्खलन से खतरा	—	—	13	हाँ	आंशिक भाग
16.		पोथिंग	43	भूस्खलन से खतरा	—	02	41	हाँ	आंशिक भाग
17.		स्यूणीद लाणी	18	भूस्खलन से खतरा	—	—	18	नही	आंशिक भाग
		योग:-	227	भूस्खलन से खतरा	24	02	201		
18.	काण्डा	सेरी	13	भूस्खलन से खतरा	07	—	06	नही	आंशिक भाग

	योग:-	13	भूखलन से खतरा	07	—	06	
	सम्पूर्ण योग:-	240	भूखलन से खतरा	31	02	207	

3.5 जनपद अन्तर्गत चिन्हित संवदेनशील मोटर मार्ग / वैकल्पिक मार्गों

:: भूखलन प्रभावित / सम्भावित क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण / मशीनों की उपलब्धता ::

क्र०स०	उपकरण एवं सयंत्र का नाम	संचालक का नाम	पदनाम	मो०न०	मुख्यालय
1	जे०सी०बी०	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	चालक	9456158707	बागेश्वर
2	जे०सी०बी०	श्री सुन्दर सिंह कोरंगा	चालक	9411760834	बागेश्वर
3	डोजर	श्री रमेश चन्द्र	आपरेटर	9917276037	बागेश्वर
4	टिप्पर	श्री प्रमोद	चालक	9690714185	बागेश्वर
5	जे०सी०बी०	श्री केशर सिंह कोरंगा	चालक	9411308496	कपकोट
6	जे०सी०बी०	श्री प्रकाश चन्द्र सिंह	चालक	9410744033	कपकोट
7	टिप्पर	श्री मदन सिंह गडिया	चालक	7579223628	कपकोट
8	टिप्पर	श्री शोबन सिंह खेतवाल	चालक	7830149283	कपकोट

लो०नि०वि० के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट मशीनें हैं

क्र०स०	मशीन का नाम	फर्म / संस्था का नाम	मशीन की संख्या	लोकेशन	मो०न०
1	जे०सी०बी०	श्री गोपाल सिंह खेतवाल	1	बागेश्वर	8449954562
2	टिप्पर	श्री एम०एम० कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9410304153
3	जे०सी०बी०	मै०एम०एम० कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9410304153
4	चेन डोजर(हिटेची)	मै० एम०एम० कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9410304153
5	जे०सी०बी०	मै० भौर्याल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	1	रीमा	9927755499
6	जे०सी०बी०	कान्तिबल्लभ पाठक	1	स्याकोट	8057541845
7	चेन डोजर(हिटेची)	मै० भौर्याल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	1	रीमा	9927755499
8	जे०सी०बी०	श्री आनन्द सिंह मेहता	1	बागेश्वर	8859598202
9	जे०सी०बी०	श्री आनन्द सिंह दानू	1	बागेश्वर	9412930053
10	जे०सी०बी०	मै० एम०एस० एशोसियेट	1	बागेश्वर	9457889439
11	चेन डोजर(हिटेची)	मै० एम०एस० एशोसियेट	1	बागेश्वर	9457889439
12	जे०सी०बी०	श्री राजेन्द्र सिंह टगडिया	2	बागेश्वर	7351285303
13	जे०सी०बी०	श्री मदन सिंह विष्ट	1	गरुड	9456813374
14	जे०सी०बी०	श्री पूरन सिंह परिहार	2	गरुड	9917751662
15	जे०सी०बी०	श्री मनोहर सिंह गडिया	1	गरुड	9412106295
16	जे०सी०बी०	मै० डसीला कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9412389328
17	डम्पर	मै० डसीला कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9412389328
18	ट्रैक्टर / कम्प्रेसर	मै० डसीला कन्स्ट्रक्शन	1	बागेश्वर	9412389328
19	जे०सी०बी०	मै० परिहार कन्स्ट्रक्शन	1	कपकोट	9412100574
20	जे०सी०बी०	श्री मनोज कपकोट	1	कपकोट	9917738880

21	जे0से0बी0	श्री रणजीत सिंह धर्मशत्तू	1	शामा	9412996786
22	जे0सी0बी0	श्री रमेश गडिश	1	कपकोट	9456104899
23	जे0सी0बी0	श्री हुकम सिंह दानू	1	कपकोट	9412925961
24	जे0सी0बी0	श्री भूपाल सिंह सत्याल	1	धरमघर	9756076114

3.6 जनपद अन्तर्गत विभागीय संसाधनों का विवरण—

क्र0स0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	कुल संख्या
1.	जल संस्थान, बागेश्वर	पानी का टैंकर	01
	लोक निर्माण विभाग बागेश्वर	बुलडोजर	01
		जे0सी0बी0	02
		वुडकटर	02
		रॉबोट	01
		टिप्पर	01
		डंपर	01
		कम्प्रेसर	01
		इवैक्वेटर कम लोडर	01
		लोडर	01
		रोलर	01
		कम्प्रेसर	01
3.	लोक निर्माण विभाग कपकोट	टिप्पर	02
		जे0सी0बी0	02
		रॉबोट	01
		वुडकटर	02
		रोलर	02
		कम्प्रेसर	01
		जी0पी0एस0 हैड सैट	33
4.	वन विभाग बागेश्वर	वुड कटर	01
5.	फायर ब्रिगेट बागेश्वर/कपकोट	पोर्टेबल पम्प	02
		एम्बुलेन्स	03
6.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय बागेश्वर	एम्बुलेन्स(परिवहन विभाग में पंजीकृत)	04

फायर स्टेशन बागेश्वर में अग्निशमन वाहन/मशीनों को विवरण (बागेश्वर)

क्र0सं0	नाम वाहन/मशीन	उपलब्ध संख्या	स्थिति
1	वाटर टेण्डर	02	संतोषजनक
2	फोम टेण्डर	01	संतोषजनक
3	जीप बोलेरो	01	संतोषजनक
4	टाटा जिनोन (पिकप)	01	संतोषजनक
5	टाटा एम्बुलेन्स	01	संतोषजनक
6	बैक पैक सैल (बाइकबुलेट)	01	संतोषजनक
7	पोर्टेबल पम्प	01	संतोषजनक
8	फायर बीटर	01	संतोषजनक

9	सर्कलर सा कटर	01	संतोषजनक
10	उड़न कटर	01	संतोषजनक

तहसील गरुड़ अन्तर्गत वाहन/मशीनो का विवरण

क्र०सं०	नाम वाहन/मशीन	उपलब्ध संख्या	स्थिति
1	एफ०एफ०इ०	01	संतोषजनक
2	एम्बुलैन्स	01	संतोषजनक
3	पम्प	01	संतोषजनक

तहसील कपकोट अन्तर्गत वाहन/मशीनो का विवरण

क्र०सं०	नाम वाहन/मशीन	उपलब्ध संख्या	स्थिति
1	एफ०एफ०इ०	01	संतोषजनक
2	रायजूनन	01	संतोषजनक
3	मीनीवाटर टैंकर	01	संतोषजनक
4	डायमंड चैन	01	संतोषजनक
5	हाईड्रोलिक आयरन कटर	01	संतोषजनक

3.7 एस०डी०आर०एफ टीम के पास उपलब्ध उपकरणो का विवरण –

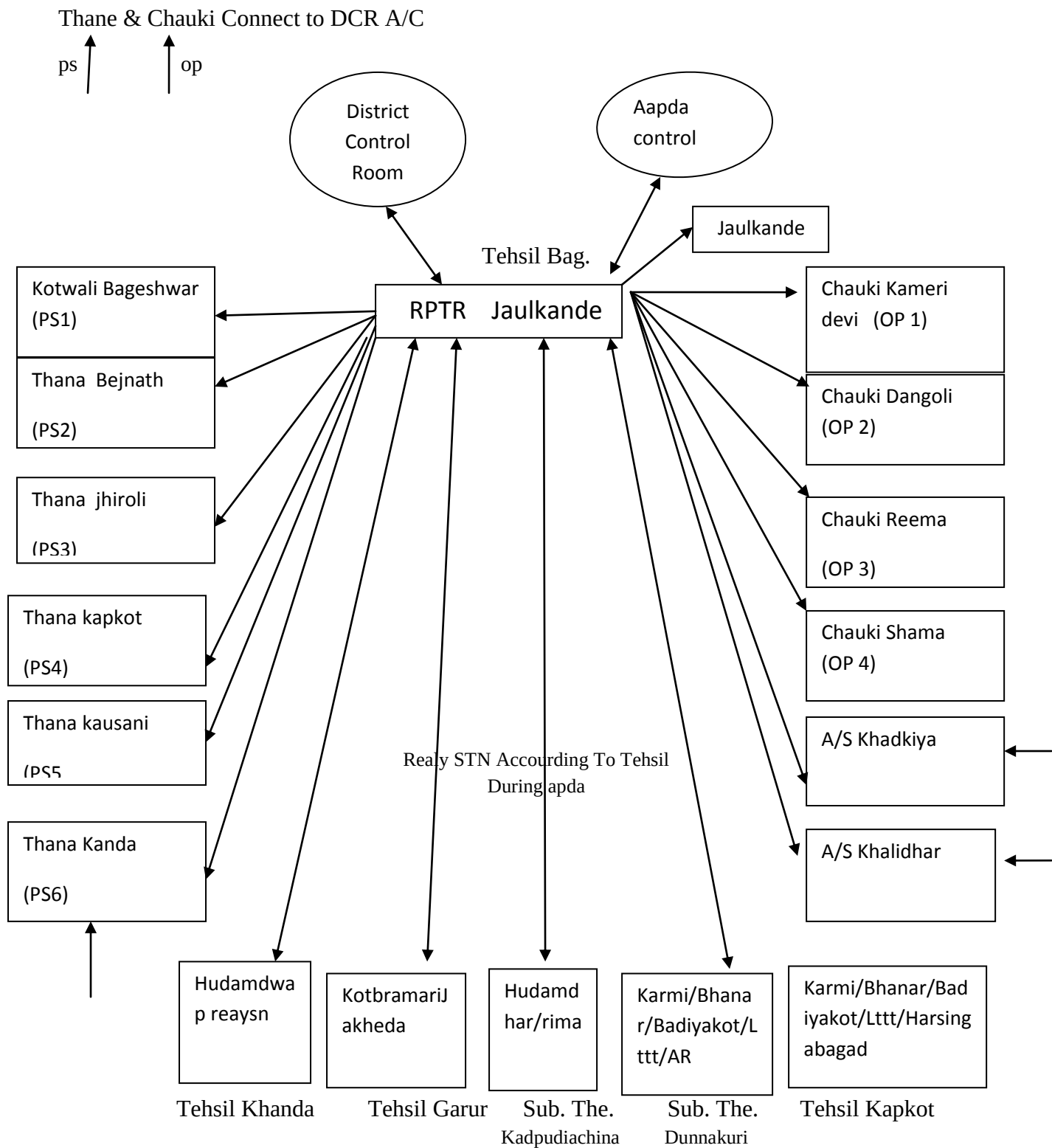
क्र०सं०	उपकरण के नाम	कुल संख्या
1.	आर०आर० सॉ	01
2.	कार्बाइट चैन सॉ	01
3.	बॉल्ट कटर	01
4.	मल्टी पर्पज रोप 100मीटर/50 मीटर	02
5.	सीट हार्नेस	01
6.	कैराविनर	10
7.	डिसेन्डर	03
8.	पुली सिगल	01
9.	मिटन	05
10.	लॉग सिलिंग	06
11.	टेप सिलिंग	01
12.	जुमार	01 जोड़ा
13.	आस्का लाईट	01
14.	बॉडी बैग	06
15.	ड्रैगन लाईट	01
16.	लुसी लाईट	01
17.	जनरेटर (03 के०वी०)	03
18.	फस्टेड किट	01

3.8 जनपद अन्तर्गत संचार व्यवस्था का विवरण—

रेडियो अनुरक्षण विभाग के का विवरण

क्र०स०	थाना / चौकी का नाम	संचार उपकरण का नाम	कुल संख्या
1	बागेश्वर	स्टैटिक सैट	01
2	बैजनाथ	स्टैटिक सैट	01
3	झिरौली	स्टैटिक सैट	01
4	कपकोट	स्टैटिक सैट	01
5	कौसानी	स्टैटिक सैट	01
6	काण्डा	स्टैटिक सैट	01
7	फायर स्टेशन बागेश्वर	स्टैटिक सैट	01
8	फायर स्टेशन कपकोट	स्टैटिक सैट	01
9	फायर स्टेशन गरुड़	हैण्ड हैड सैट	01
10	जल पुलिस	स्टैटिक सैट	01
11	पुलिस लाईन	स्टैटिक सैट	01
12	आपदा केन्द्र	स्टैटिक सैट	01

नोट – मानसून काल में संचार व्यवस्था हेतु 04 स्टैटिक सैट एवं 10 हैण्ड हैड सैट मय सहवर्ती उपकरणों के रिजर्व में रखे गये हैं।



क्र०स०	तहसील	रिले०केन्द्र हेतु चयनित स्थान	विवरण
1.	कपकोट	ग्राम लीती	
		कु०म०वि०नि०खलीधार	
		विनायक धार/बदियाकोट	
		भगदानू(खड़किया)	
		हरसिंगियाबगड़	
		कर्मी	
		भनार	

2.	काण्डा	हुडमधार	
3.	उप0त0दुगनाकुरी	हुडमधार	
		रीमा	
4.	उप0त0कठपुडियाछीना	उप0त0कठपुडियाछीना	
5.	गरुड़	कोटभ्रमरी	
		जखेड़ा	
6.	बागेश्वर	जौलकाण्डे	

पुलिस विभाग

क्र0स0	उपकरण	कुल उपलब्ध	आवंटित	अवशेष	आवश्यकता
1.	वीएचएफ स्टैटिक सैट	60	45	15	05
2.	वीएफएफ हैन्ड हैल्ट सैट	68	58	10	10
3.	12 वोल्ट हैवी ड्यटी बैट्री फार स्टैटिक	60	48	12	10
4.	एन0आई0सी0डी0 बैट्री फार हैन्ड —हैल्टसैट	169	90	79	20
	कुल	357	241	116	45

3.9 जनपद नैनीताल में परिवहन विभाग में पंजीकृत क्रेनों का विवरण—

परगना : हल्द्वानी

क्र.सं	वाहन पंजीयन न.	स्वामी/संस्था का नाम	पता	मोबाइल नं.
1	यू.ए. 03 0378	मोहम्मद अफसर	39 वार्ड बम्बलपुरा हल्द्वानी।	9837010435
2	यू.के. 02 सी. ए.0013	सरद षाह	180 मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी।	9410588777
3	यू.पी. 24 4654	मोहम्मद हनीफ	आजाद नगर हल्द्वानी।	—
4	यूटीफ 2796	रसिया बानू	बरसातीनगर तिकोनिया हल्द्वानी।	—
5	एच आर 38 4140	सबाना परवीन	लाइन आजाद नगर हल्द्वानी।	—
6	यू.पी. 06 1973	राजेश कुमार	बरेली रोड हल्द्वानी	—
7	यू.पी. 43 6241	सुनील चन्द्र	किशनपुर मोटाहल्दू हल्द्वानी।	—
8	डीआई जी 8858	मनजीत सिंह	रामपुर रोड हल्द्वानी।	—
9	एच.आर 55टी. 6959	मे.सहिद	नई बस्ती बम्बलपुरा हल्द्वानी।	9927850223
10	यूटीडी 6768	मनजीत सिंह	लाइन नं.6 रामपुर रोड हल्द्वानी।	—
11	एच.आर 37 बी.9394	मे. अफसर	हा नं. 39 वार्ड नं हल्द्वानी।	9837104354

12	एच.आर 74 0416	प्रताप सिंह	बिषन सिंह धोनी, हल्द्वानी	9837289416
13	यू.ए0 1 1680	सुनील कुमार भट्ट	किषनपुर, हल्द्वानी	9758345307
14	यू.आर.एन. 1508	सुषील कुमार	गौजाजाली तल्ली, हल्द्वानी	9458921747
15	एच.आर.38 पी 0910	मंजीत सिंह	किषनपुर सकुलिया हाथीखान लालकुआं	—
16	एच.आर. 69 8942	सुनील कुमार भट्ट	किषनपुर सर्किल हाथीखाल लालकुआं	—
17	यूपी.14 इ.टी. 0094	एम.एस. लिमिटेड	नब ब्लाक गौलापार हल्द्वानी	7535806209
18	यू.ए.04डी. 1861	सापूरजी पलोनजी एण्ड को लिमिटेड	टाटा मोर्टस प्रोजेक्ट सिडकूल पंतनगर रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	

परगना : रामनगर

क्र.सं	वाहन पंजीयन न.	स्वामी/संस्था का नाम	पता	मोबाइल नम्बर
1.	एच.आर. 38जे. 1612	रामनगर स्टोन कॉ	काषीपुर रोड रामनगर	—

परगना : नैनीताल

क्र.सं	वाहन पंजीयन न.	स्वामी/संस्था का नाम	पता	मोबाइल नम्बर
1.	यू.के04जी. ए. 0028	एस.एस. पी, नैनीताल।	एस.एस.पी, नैनीताल।	—

3.10 जनपद अन्तर्गत खोज-बचाव एवं राहत उपकरणों का तहसील एवं थानेवार विवरण-

क्र०सं०	उपकरणों का नाम	कुल	तहसीलों में वितरित उपकरणों का विवरण							पुलिस थानों में वितरित उपकरणों का विवरण								फायर सर्विस	आपदा कं०रुम	कुवारी गांव
		संख्या	बागेश्वर	कपकोट	गरुड़	काण्डा	काफलीगैर	दुगनाकुरी	सामा	बागेश्वर	कपकोट	बैजनाथ	झिरौली	काण्डा	कौसानी	रीमा	पुलिस लाईन			
1	क्लैम्बिंग हेलमेट विथ टार्च	97	6	21	6	17	2	2	—	1	1	13	13	—	—	—	—	1	14	-
2	रेन सूट	112	7	20	7	19	1	2	—	4	4	16	16	—	—	—	—	4	12	-
3	मिटन	112	4	16	4	16	3	3	3	4	4	16	16	3	3	3	3	3	8	-
4	कैरी मैट (3X6 फिट)	48	—	12	—	12	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	-
5	स्टील बाक्स बड़ा एवं 4X2.5 फिट	33	2	5	2	4	1	2	1	1	1	3	3	1	1	2	1	1	2 (1.तहसील)	-
6	सर्च लाईट	48	4	3	2	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—	1	2	2	11(01 -adm)	13
7	रोप नाईलोन (11 एम०एम०)	16	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	-
8	माउटेनिंग रोप विथ पुली	8	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	-
9	टेप सीलिंग	80	2	14	2	14	2	2	2	2	2	14	14	2	1	1	2	2	2	-
10	रांप लेडर	24	1	3	1	2	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	-
11	रोप 11.5 एम०एम० 50 मी० रोल	48	2	8	2	5	1	—	—	2	2	3	4	—	—	—	—	6	13	-
12	कैराविनर	47	1	5	1	5	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	15	-
13	हैमर पिटन	32	—	8	—	8	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	-
14	सीट हार्नेस	61	2	8	2	8	2	2	2	2	2	8	8	2	2	2	2	2	5	-
15	जुमार	48	1	8	1	8	1	1	1	1	1	8	8	1	1	1	1	1	4	-
16	डिसेन्डर (फीगर आफ 8)	69	4	10	2	8	2	2	2	2	2	10	10	2	2	2	2	2	5	-
17	लाईफ जैकेट	68	2	14	1	13	1	1	—	2	2	14	14	—	—	—	—	2	2	-
18	डायमण्ड चैन सा कटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	-
19	सरकुलर सा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	-
20	हायड्रोलिक रेस्क्यू कटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	-
21	हायड्रोलिक प्रेसर स्पीडर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	-
22	हैन्ड लॉड स्पीकर	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	3	-
23	आस्का पोर्टेबल लाईट	5	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	-

24	टेन्ट 04 मैन छोटा डोम	7	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
25	टेन्ट बड़ा 12X12	7	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
26	रुक-सुक बैग	34	1	1	1	1	2	1	—	1	2	2	2	1	1	—	—	—	17	1
27	बुडन कटर	07	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	-
28	आयरन कटर	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	-
29	फोल्डिंग स्टेचर 03 फोल्ड	26	3	3	3	3	2	1	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	3	-
30	हैन्ड हैल्ड वाकी-टाकी	20	—	6	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6(01 adm)	-
31	सोलर लालटेन	45	3	4	2	—	4	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	13	11
32	फोल्डिंग सोवेल	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	-
33	हैड लैम्प	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	-
34	स्लीपिंग बैग	37	2	—	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	—	—	9	3
35	टेन्ट 02 मैन छोटा डोम	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	2
36	टेन्ट 02 मैन बड़ा डोम	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
37	आरा बड़ा	34	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	-
38	बणायोट (दराती)	36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	-
39	फायर इस्टिंग्यूसर सीओ2 9 ली0	20	3	3	3	3	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	-
40	फायर इस्टिंग्यूसर मैकेनिकल फॉम 9 ली0	20	3	3	3	3	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	-
41	फायर इस्टिंग्यूसर डी0सी0पी0 9 ली0	20	3	3	3	3	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	-
42	स्टील बाल्टी	20	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	-
43	आरी छोटी 2 फिट	10	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-
44	गम बूट साईज 6, 7 एवं 8	160	9	9	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	8	9	9	17	2
45	जनरेटर पोर्टेबल 2000 वाट्स	6	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
46	कंकरीट कटर	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
47	हैमर (घन) 10 पौण्ड	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
48	डेग्ची बड़ी साईज 26"	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
49	प्रेशर कुकर हाकिन्स 10 ली0	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
50	पराद बड़ी साईज 28"	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-

51	डाढ़ू पल्टा बड़ा साईज	10	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-
52	जग स्टील	10	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-
53	टेन्ट 2 मैन कनवास	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
54	टेन्ट 4 मैन कनवास	20	—	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
55	रेन कोट	98	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	14	-
56	तारपोलियन कनवास 12X12	16	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
57	टेन्ट 6 मैन कनवास	12	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	4
58	पुली सिंगल	46	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	10	-
59	हैन्ड हैल्ड बाकी-टाकी एच0 250ए0	10	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	-
60	महिन्द्रा पिकअप	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-
61	क्रेन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	-
62	बुलेरो	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
63	महिन्द्रा सर्च लाईट	41	4	6	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18
64	Remote area light with extendable pole LUMENS (high) : 6000, weight 14.5 kg.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Remote area light with extendable pole.. LUMENS (high)12000 Maximum weight 27.7 kg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

66	Horizontal Double Mounting three Phase Siren range up to 08 kms.	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
67	माउटेनिंग रोप (As per international standered UIAA approved) 100 मीटर	500 मीटर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-
68	हार्ड बोर्ड फाईबर स्टेचर	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	-
69	सी0पी0आर0 मास्क As per CE Standards	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	-
70	लाईफ बॉय	20	2	2	2	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	2	2	2	-
71	एलिम्यूनियम लेडर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
72	डोम टेन्ट	16	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	3
73	किचन टेन्ट 8'x8'x7'	7	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
74	फैम्ली टेन्ट 12'x12'	28	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	-	2	1	-	1	1	8	4
75	मल्टी परपज रोप 11.5 एम0एम0 100 मीटर रोल (As per international standered UIAA approved)	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-
76	पुली डबल As per International Certification of UIAA	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	-
77	पी0ए0 सिस्टम	8	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
78	सैटेलाईट फोन	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
79	बॉडी बैग	20	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	-	1	-	1	3	-
80	ड्रोन कैमरा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

अध्याय – 04 (क्षमता विकास)

4.1 आपदा प्रबन्धन कार्य प्रणाली—

क्षमता विकास में आपदा प्रबन्धन के सभी विषयों को सामिल किया गया है। जिसमें मुख्यतः सभी स्तरों पर विभागों के बीच समन्वय अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता विकास एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संकलन किया गया। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र जिला अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा। यह नियन्त्रण कक्ष आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी कार्यों को सफलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से क्रियान्वित करने का एक मुख्य केन्द्र होगा।

- सभी चेतावनी यन्त्रों तथा अन्य उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।
- जिले के सभी विभागों से नियन्त्रित रूप से तहसीलों तथा विकासखण्डों की घातकता सम्बन्धी सूचना एकत्र करना।

1. कई गांवों को प्रभावित कर सकती है।
2. कई मकानों को प्रभावित कर सकती है।
3. अगर काफी बड़े क्षेत्र में तथा कई स्थानों में आपदा घटित हुई है तो

(अ) उचित प्रबन्ध करने में मुश्किल होगी।

(ब) राहत कार्यों का विकेंद्रीकरण करने पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र की क्षमता बढ़ेगी।

(स) स्थल परिचालन केन्द्र व राहत शिविरों की स्थापना से राहत कार्य सुचारु ढंग से होंगे।

आपदा के स्वभाव एवं नुकसान की प्रवृत्ति को देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि स्थल परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों की स्थापना की जाये। इस स्थिति में—

- 1— जिला अधिकारी आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष द्वारा आपदा के उचित प्रबन्ध हेतु दुर्घटना स्थल के आसपास एक स्थल परिचालन केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।
- 2— आपदा प्रभावित क्षेत्र एवं राहत शिविरों की संख्या को देखते हुये जिलाधिकारी एक से ज्यादा परिचालन केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।
- 3— राहत एवं पुर्नवास कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों को बंद किया जा सकता है।

- 4— स्थल परिचालन केन्द्र का कार्य उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्क किया जाता है कि वे किसी भी आपदा से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में जागरूक रहें। जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है अथवा आने की सम्भावना हो तो उस सूचना को अविलम्ब क्षेत्र के परगना अधिकारी/तहसीलदार/पटवारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देंगे जिसका दूरभाष नं० 05963-220197 एवं 220196 ट्रोल फ्री नम्बर 1077 (केवल बी०एस०एन०एल० उपभोक्ता हेतु) मो० नं० 7536827373, 9634912152, व 8859223534 है। किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना के आदान प्रदान हेतु पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग अविलम्ब कार्य करेंगे तथा सूचना तुरन्त जिलाधिकारी को दी जायेगी तथा जिला अधिकारी तुरन्त जिला आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष के नोडल अधिकारियों को सूचित करेंगे। नोडल अधिकारी नियन्त्रण कक्ष में आकर विभिन्न डेस्कों का कार्य देखेंगे तथा प्रभावित क्षेत्र की सूचना

के अनुसार जिला अधिकारी क्षेत्रों में स्थल परिचालन केन्द्र की स्थापना करवायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी प्रभावित लोगों से प्राप्त सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय के आपातकालीन परिचालन केन्द्र के उपलब्ध करायेंगे और इन सूचनाओं के आधार पर ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना की जायेगी। परिचालन केन्द्र का मुख्य कार्य जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों के माध्य सूचना एवं संचार तथा राहत कार्यों का सामंजस्य स्थापित करना है।

4.2 मॉक अभ्यास सम्बन्धित विवरण—

जनपद पर आई0आर0एस0 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय व तहसील स्तरीय आई0आर0टी0 का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। विभागीय समन्वय के सहयोग से किये गये मॉक अभ्यासों का विवरण इस प्रकार है—

क्र0स0	दिनांक	मॉक अभ्यास का प्रकार
1	22 फरवरी, 2017	भूकम्प सम्बन्धित मॉक अभ्यास
2	20 अप्रैल 2017	वनाग्नि सम्बन्धित मॉक अभ्यास
3	13 अक्टूबर 2017	भूकम्प सम्बन्धित मॉक अभ्यास

❖ वर्ष 2018 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर आयोजित मॉक अभ्यासों का विवरण —

क्र0स0	दिनांक	मॉक अभ्यास का प्रकार
1	27. मई, 2018	भूकम्प सम्बन्धित मॉक अभ्यास
2	04 जून, 2018	भूस्खलन से सम्बन्धित मॉक अभ्यास

जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास में प्राप्त सुझाव—

1. उपलब्ध संसाधनों की सूची तथा रख-रखाव अपडेट रखा जाना आवश्यक है।
2. आपदा के समय वाहनों को उचित स्थान पर पार्किंग करने की व्यवस्था चिन्हित किया जाना।
3. पुलिस वायरलेस सिस्टम में अलग-अलग चैनल आवंटित होने चाहिए।
4. इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा की गयी मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. टास्क फोर्स के डिस्पेच में कम से कम समय लगना चाहिये।
6. राहत-बचाव कार्यों में पूर्व से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये।
7. नियमावली हिन्दी वर्जन में टंकित होनी आवश्यक है, ताकि जन सामान्य के उपयोग में सरलता हो।
8. भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग लिया जाना। 9. आशा कार्यकर्त्रियों का सहयोग लिया जाना।

भूकम्प मॉक अभ्यास से प्राप्त अनुभव

- 1— जनपद में उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता, सुदृढीकरण तथा रख-रखाव का अनुभव तथा उक्त संसाधनों के सफल संचालन/उपयोग का अनुभव का प्राप्त होना।
- 2— सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढ़ा है एवं टीम भावना का विकास हुआ है।
- 3— भूकम्प के समय सफल राहत-बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) अनुरूप नामित अधिकारियों एवं समन्वयक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान होना।

4.3 आपदा सम्बन्धी जनजागरूकता कार्यक्रमों का विवरण—

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अन्तर्गत ग्राम स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रथम चरण में चयनित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आपदा से प्रभावित अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील ग्रामों/विद्यालयों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कराये गये प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रमों का विवरण—

जनपद अन्तर्गत वर्ष 2017 में एस0डी0आर0एफ0 द्वारा विकासखण्डवार प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का विवरण—

क्रम0सं	दिनांक	विकासखण्ड का नाम	प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या
1.	06 से 09 मार्च, 2017	कपकोट	169
2.	15 से 18 मार्च, 2017	बागेश्वर	180
3.	19 से 22 मार्च, 2017	गरुड़	172
		कुल संख्या	521

जनपद अन्तर्गत विकासखण्डवार 15 विद्यालयों में एक दिवसीय आपदा जनजागरूकता कार्यक्रम—

क्रम0सं 0	विकासखण्ड का नाम	दिनांक	प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं की संख्या	प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षेणन्तर व अन्य की संख्या
1.	कपकोट	13.12.2017 से 18.12.2017	367	84
2.	गरुड़	19.12.2017 से 23.12.2017	362	98
3.	बागेश्वर	25.12.2017 से 30.12.2017	371	112
	कुल		1100	294

4.4 आपदा निकासी कार्ययोजना (Evacuation Plan) ::

जनपद के संवेदनशील स्थलों/ग्रामों के विस्थापन हेतु राहत शिविर चिन्हित कर लिए गए हैं। आपदा की स्थिति में इसीडेण्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के अन्तर्गत प्रभावित लोगों को चिन्हित किए गए राहत शिविरों में विस्थापित किया जाएगा। राहत शिविरों का संचालन निम्नालिखित विभागों के कार्मिकों द्वारा किया जाएगा :-

1. राजस्व विभाग : राजस्व विभाग प्रभावित ग्रामों/लोगों की संवेदनशील क्षेत्रों से निकासी कराते हुए प्रभावित समुदाय को राहत शिविरों में विस्थापित करने का कार्य करेगा। राजस्व विभाग द्वारा राहत शिविरों में निम्न व्यवस्थाएं की जाएंगी -

(क) प्रभावितों का पंजीयन

(ख) प्रभावितों के आवास हेतु राहत शिविरों में कक्ष/अस्थाई टेण्ट, बिस्तर की व्यवस्था करना।

(ग) राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति (वयस्क/अवयस्क) तथा प्रति पुश निर्धारित दरों के अनुसार भोजन/पेयजल की आवश्यकता का आंकलन करते हुए सम्बन्धित विभाग को सामग्री की उपलब्धता/आपूर्ति किए जाने हेतु मांग किया जाना।

(घ) राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार प्रभावितों को अहैतुक/गृह/अनुग्रह अनुदान मद में तत्काल राहत सहायता प्रदान करना।

1. पुलिस विभाग : पुलिस विभाग क्षेत्रों से लोगों की निकासी हेतु लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित करते हुए प्रभावितों को राहत शिविरों में विस्थापित करेगा। विभाग के निम्न दायित्व होंगे –
 - (क) आपदा सम्बन्धी चेतावनी का क्षेत्रों में प्रसारण।
 - (ख) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों/वाहनों से प्रभावितों की राहत शिविरों/सुरक्षित स्थलों पर शीघ्र निकासी कराया जाना।
 - (ग) विस्थापन/निकासी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
 - (घ) राहत एवं अन्य सामग्री के परिवहन एवं वितरण में सुरक्षा प्रदान करना
 - (च) राहत शिविरों में वायरलेस संचार व्यवस्था स्थापित किया जाना।
2. आपूर्ति विभाग : आपूर्ति विभाग चिन्हित राहत शिविरों के निकट अवस्थित खाद्य गोदामों की दुकानों में आवश्यक सामग्री का स्टॉक रखना सुनिश्चित करेगा। आपूर्ति विभाग के निम्न दायित्व होंगे –
 - (क) राजस्व विभाग की मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की आपूर्ति तथा वितरण हेतु व्यवस्थाएं किया जाना।
 - (ख) खाद्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सामग्री यथा—गुड़, चना, बिस्कुट, मिनरल वाटर, मोमबत्ती, दियासलाई, ईंधन आदि की आवश्यकतानुसार आपूर्ति किया जाना।
 - (ग) सामुदायिक भोजनालय के संचालन हेतु सामग्री एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाना।
3. चिकित्सा विभाग : चिकित्सा विभाग चिन्हित राहत शिविरों के निकट अवस्थित चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयों तथा स्टाफ की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करेगा। चिकित्सा विभाग के निम्न दायित्व होंगे –
 - (क) राहत शिविर में चिकित्सकीय कैम्प के माध्यम से विस्थापित लोगों का टीकाकरण, चिकित्सकीय परीक्षण तथा ईलाज किया जाना।
 - (ख) प्रभावितों को उच्च सेंटर्स में रेफर किया जाना।
4. पशुपालन विभाग : पशुपालन विभाग चिन्हित राहत शिविरों के निकट पशु शिविरों को संचालित करेगा तथा पशु शिविरों में उपलब्ध पशुओं हेतु चारा, पेयजल, टीकाकरण तथा बीमार पशुओं हेतु दवा उपलब्ध कराएगा।
5. पेयजल विभाग : पेयजल विभाग संचालित राहत शिविरों तथा पशु शिविरों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराएगा।
6. नगर पालिका विभाग : राहत शिविरों के निकट के सम्बन्धित नगर निकाय राहत शिविरों के परिसर/शौचालयों में स्वच्छता व्यवस्था कराएंगे एवं बीमारियों पर नियंत्रण हेतु विसंक्रमण छिड़काव कराएंगे।
7. विद्युत विभाग : विद्युत विभाग संचालित राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। विद्युत आपूर्ति/लाईनें क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में राहत शिविरों में जनरेटरों के माध्यम से वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
8. परिवहन विभाग : परिवहन विभाग प्रभावितों को राहत शिविरों में विस्थापित किए जाने हेतु तहसील/पुलिस विभाग की मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध कराएगा।

4.4:: जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के कार्यदायित्व ::

चिकित्सा विभाग (मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर)–

किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में अपना कैम्प लगाकर घायल परिवारों का प्राथमिक उपचार किया जाना। घायलों को दवाइयों का वितरण किया जाना तथा गम्भीर रूप से घायलों को एम्बुलेन्स के द्वारा स्थानीय चिकित्सालय में पहुंचाना। घटना में हताहत हुए शवों को पंचनामा कराकर उनके अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक कार्यवाही कराना।

पशुपालन (मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)–

किसी भी आपदा से प्रभावित क्षेत्र में घायल पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, तथा गम्भीर रूप से घायल पशुओं को विशेष वाहन द्वारा पशु चिकित्सालय तक पहुंचाना। आपदा में मृत पशुओं का आपदा प्रभावित क्षेत्र से निकालकर उनका निस्तारण (दफनाने) किया जाना। जिससे मृत पशुओं में सड़ने-गलने से प्रभावित क्षेत्र में महामारी ना फैले सके।

लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रखण्ड बागेश्वर–

किसी भी आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खोज एवं बचाव दल को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने के लिए वाहनो की आवाजाही सुचारु रूप से कराना। मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में बैकल्पिक रूट को सुचारु करना।

पेयजल/जल संस्थान (अधिशासी अभियन्ता, पेयजल/जल संस्थान)–

किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। आवश्यकता के अनुरूप जल संस्थान के वाटर टैंकों के माध्यम से भी स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रभावितों तक पहुंचाना। कैम्प शिविरों में भी स्वच्छ जल की आपूर्ति करना।

पूर्ति विभाग (जिला पूर्ति अधिकारी)–

किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री जैसे ब्रेड, डबल रोटी, बेकरी, बिस्कुट प्रकाश व्यवस्था हेतु मोमबत्ती इत्यादि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराना। जन जीवन सामान्य होने तक कैम्प शिविरों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।

संचार विभाग (जे०टी०ओ० बी०एस०एन०एल०)–

किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुचारु रूप से करना, प्रभावित क्षेत्र के बारे में सूचनाये प्रसारित करना, ऑकड़ों को एकत्रित करना, आवश्यकतानुसार संन्देशों का आदान प्रदान करना। आवश्यक सूचनाये जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराना।

विद्युत विभाग (अधिशासी अभियन्ता)–

किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारु कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना, प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था कराना इत्यादि।

फाईनैस शाखा (वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर) –

फाईनैस शाखा किसी भी आपदा की स्थिति में अपने सहयोगी यूनिट के साथ मिलकर कार्य करेंगे तथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य माध्यमों से आने वाली राहत सहायता को तहसील स्तर की टीमों द्वारा मांग के अनुसार वितरण करेंगे तथा प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त क्षति पूर्ति हेतु शासन स्तर पर मांग करेंगे।

अध्याय – 05 त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र

5.1 जनपद बागेश्वर की इन्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) टीम ::

क्र0सं0	आई0आर0एस0 में नामित पद	आई0आर0एस0 में नामित अधिकारी	अधिकारी का नाम	सम्पर्क सूत्र	आवास का पता
जनरल स्टाफ					
1.	आर0 ओ0	जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्रा0, बागेश्वर	श्रीमती रंजना राजगुरु	7351722222 / 9412007777	कलैक्ट्रेट बागेश्वर
1.1	डिप्टी आर0ओ0	पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर	श्री लोकेश्वर सिंह	9411111952 / 05963220382	बागेश्वर
2.0	कमाण्ड स्टाफ				
2.1	इन्सीडेंट कमाण्डर	अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर	श्री राहुल कुमार गोयल	9997972664 / 05963221868	कलैक्ट्रेट परिसर बागेश्वर
2.2	इन्फार्मेशन ऑफिसर	जिला सूचना अधिकारी बागेश्वर	श्री रति लाल आर्या	9456176718	बागेश्वर
2.3	लाईजन ऑफिसर	अधिशाली अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर	श्री राजदेव जायसी, अधि0 अधिकारी	7409739149	नगरपालिका परिसर बागेश्वर
2.4	सेपटी ऑफिसर	पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर	श्री महेश चन्द्र जोशी, पुलिस उपाधीक्षक	9412557462 / 05963220381	चण्डिका पूल्ड हाउस बागेश्वर
		अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर	श्री महेश चन्द्र	9411110037 / 9627781618	—
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बागेश्वर	डॉ सक्सेना ,उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	9012165158	बिलौना बागेश्वर
		लोक निर्माण विभाग बागेश्वर	श्री बी0सी0 जोशी सहायक अभियन्ता	9412906505 / 05963220006	लो0नि0वि0कलोनीकठायतबाड़ा
2.5	नोडल ऑफिसर (एयर ऑफिसर)	वन विभाग बागेश्वर	श्री ए0डी0पाण्डे वनक्षेत्राधिकारी बागेश्वर	9412105827	बागेश्वर।
		अधीक्षण अभिन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर	श्री पी0एस0बृजवाल	8938082074	बागेश्वर
3.0	ऑपरेशन सेक्शन				
3.1	ऑपरेशन सेक्शन चीफ	पुलिस अधीक्षक बागेश्वर (भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ आदि के लिए), प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर (वनाग्नि के लिए), अग्निशमन अधिकारी (आग की घटना घटित होने पर)	श्री लोकेश्वर सिंह	9411111952 / 05963220382	बागेश्वर
			श्री बलवन्त सिंह शाही प्रभागीय वनाधिकारी	8958721188	फोरेस्ट कालोनी बागेश्वर
			श्री महेश चन्द्र अग्निशमन अधिकारी	9411110037 / 9627781618	बागेश्वर
3.2	स्टेजिंग ऐरिया प्रबन्धक	उपजिलाधिकारी सदर बागेश्वर	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	9412936953	तहसील बागेश्वर
		पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर	श्री महेश चन्द्र जोशी,, पुलिस उपाधीक्षक	9412557462 / 05963220381	चण्डिका पूल्ड हाउस बागेश्वर
		टी0एस0आई0 बागेश्वर	श्री भूपेश पाण्डे	83930356	तहसील रोड
3.3	प्रतिक्रिया शाखा प्रबन्धक	अधीक्षण अभिन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर	श्री मोहन चन्द्र शर्मा	9412095554	बागेश्वर
3.4	साईड चीफ ऑन साईड उपजिलाधिकारी सदर बागेश्वर		श्री राकेश चन्द्र तिवारी	9412936953	तहसील बागेश्वर
			श्री आलोक भण्डारी खण्ड विकास अधिकारी, बागे0	9456312102	बागेश्वर
3.5	ट्रान्सपोर्ट शाखा प्रबन्धक	ए0आर0टी0ओ बागेश्वर	श्री कृष्ण चन्द्र पलडियॉ	8265835754	निकटआर0टी0ओ0 कार्यालय
3.6	रोड ऑपरेशन(समूहप्रभारी)	अधिशाली अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 बागेश्वर,	श्री यू0सी0पंत	9536407711	ले0नि0वि0 कलोनी कठायतबाड़ा
4.0	प्लानिंग सेक्शन				
4.1	प्लानिंग सेक्शन चीफ	जिला विकास अधिकारी बागेश्वर	श्री कैलाश नाथ तेवाड़ी	9411130889 / 05963221256	कठायतबाड़ा ब्लाक बागेश्वर
4.2	रिसोर्स यूनिट लीडर	आपदा प्रबन्धन अधिकारी बागेश्वर	कु0 शिखा सुयाल,	9412097805	तुनेरा कलैक्ट्रेट बाईपास
4.3	परिस्थिति यूनिट लीडर	जिला पंचायत राज अधिकारी बागेश्वर	श्रीमती पूनम पाठक	8395889144	चण्डिका बागेश्वर
4.4	अभिलेखीकरण यूनिट लीडर	अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, बागेश्वर	श्री देवेन्द्र नाथ गोस्वामी, अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी,	7055316928	तहसील रोड बागेश्वर
4.5	डिमोबलाईजेशन यूनिट लीडर	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	श्री वी0पी0 मौर्य मुख्य कृषि अधिकारी,	9453628450 / 8958790234	निकट विकास भवन

		जिला उद्यान अधिकारी बागेश्वर।	श्री तेजपाल सिंह	8449596004 / 7409763477	भराडी टैक्सी स्टेन्ड
5.0		लॉजिस्टिक / फाईनेंस सेक्शन			
5.1	लॉजिस्टिक / फाईनेंस सेक्शन चीफ	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	श्री एस0एस0 पांगती	9412097890 / 05963220858	कठायतबाड़ा ब्लाक बागेश्वर
5.2	सर्विस शाखा प्रबन्धक	सहायक परियोजना निदेशक ग्राम्या विकास अधिकरण	श्रीमती शिल्पी पंत	9460024680	चण्डिका बागेश्वर
5.2.1	संचार शाखा प्रबन्धक	उपखण्ड अधिकारी दूर संचार बागेश्वर	श्री मोहन चन्द्र लोहनी	9411333777	तहसील रोड बागेश्वर
		रेडियो अनुरक्षण अधिकारी बागेश्वर	गीता बर्थवाल	9411116567	बागेश्वर
5.2.2	रेस्टोरेशन यूनिट	अधीक्षण अभिन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर	श्री पी0एस0बृजवाल	8938082074	बागेश्वर
		अधिशाली अभियन्ता पेयजल निगम बागेश्वर	श्री सी0पी0एस0 गंगवार	9411006129 / 05963220011	पेयजल कालोनी
		अधिशाली अभियन्ता उ0पा0कां0लि0 बागेश्वर	श्री भाष्कर पाण्डे	9412093016 / 05963221339	चण्डिका पूल्ड हाउस बागेश्वर
		अधिशाली अभियन्ता जल संस्थान बागेश्वर	श्री मनोज कुमार टम्टा	9412094559	बस स्टेशन रोड बागेश्वर
5.2.2	मेडिकल यूनिट लीडर	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।	डॉ0 जे0सी0मण्डल मुख्य चिकित्साधिकारी	8449704405 / 05963221026	बिलौना बागेश्वर
		मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बागेश्वर	डॉ0 उदय शंकर	9412038233 / 05963221475	बिलौना बागेश्वर
		जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	डॉ0 महेन्द्र पाल	9411818255	बिलौना बागेश्वर
		जिला होम्योपैथिक अधिकारी	श्री बाबू राम धनकड़, जिला होम्योपैथिक अधिकारी	9412903112	तहसील रोड बागेश्वर
5.2.3	खाद्यान यूनिट लीडर	जिला पूर्ति अधिकारी बागेश्वर	श्री अरुण कुमार वर्मा	9536807814	तहसील रोड सैंज बागेश्वर
5.3	सपोर्ट शाखा प्रबन्धक	मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	9997492606 / 05963220417	शिक्षा विभाग कालोनी
5.3.1	रिसोर्स प्रोविजनिंग यूनिट	ए0आर0काॅपरेटिव बागेश्वर	श्री मनोहर सिंह मर्तोलिया	8958504166	बागेश्वर।
		सहायक खण्ड विकास अधिकारी बागेश्वर	श्री मोहन नाथ गोस्वामी	8449630704 / 05963220055	गरुड़ बागेश्वर
5.3.2	फैसिलिटी यूनिट	खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर	श्री आलोक भण्डारी	9456312102	बागेश्वर
		अधिशाली अभियन्ता उ0पा0कां0लि0 बागेश्वर	श्री भाष्कर पाण्डे	9412093016 / 05963221339	चण्डिका पूल्ड हाउस बागेश्वर
		अधिशाली अभियन्ता जल संस्थान बागेश्वर	श्री मनोज कुमार टम्टा	9412094559	बस स्टेशन रोड बागेश्वर
		अधिशाली अभियन्ता पेयजल निगम बागेश्वर	श्री सी0पी0एस0 गंगवार	9411006129 / 05963220011	पेयजल कालोनी
5.3.3	ग्राउंड स्पोर्ट यूनिट	अधिशाली अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0	श्री राजेन्द्र प्रसाद	9412951292	बागेश्वर
5.4	फाईनेंस शाखा प्रबन्धक	वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर	कु0 नीतू भण्डारी वरिष्ठ कोषाधिकारी,	7617588612 / 05963220543	बागेश्वर
5.4.1	टाईम यूनिट लीडर	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय	श्रीमती लक्ष्मी डंगवाल	9528565560	तहसील रोड सैंज बागेश्वर
5.4.2	कम्पेनशेन यूनिट लीडर	मुख्य राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय	श्रीमती सुनीता	9456750564 / 05963220134	कलेक्ट्रेट आवास बागेश्वर
5.4.3	प्रोक्यूरमेंट यूनिट लीडर	प्रशासनिक अधिकारी नजारत जिला कार्यालय	श्री बालम सिंह बिष्ट	9412044905	बागेश्वर
5.4.4	लागत यूनिट लीडर	सहायक कोषाधिकारी, बागेश्वर	श्रीमती हेमा जोशी	9410347986	बागेश्वर

5.2 आई0 आर0 एस0 टीम के कार्य व दायित्व ::

आर0ओ0 की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
2. आपदा प्रबन्धन हेतु इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) के आधार पर जनपद में गठित इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स टीम (आई0आर0टी0) को सक्रिय कर प्रभावी नियंत्रण।
3. सभी प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का पूर्ण दोहन।
4. इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान (आई0ए0पी0) को आई0सी0 के माध्यम से तैयार एवं क्रियान्वित।
5. जनपद की अधीनस्थ टीमों को सक्रिय कर प्रभावी नियंत्रण।

इंसीडेन्ट कमान्डर की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :-

- 1 संसाधनों की आवश्यकता जैसे- स्टेजिंग एरिया, घटना स्थल में राहत सामग्री का वितरण।
- 2 परिस्थिति के अनुसार खोज एवं बचाव और राहत वितरण हेतु रणनीति।
3. घटना स्थल पर कानून एवं यातायात व्यवस्था का प्रबन्धन।
4. अतिरिक्त संसाधनों की खरीद व सम्बन्धित अनुभागों को वितरण।
5. घटना स्थल में सक्रिय सशस्त्र बल, स्वयंसेवी दलों के साथ समन्वय।
6. जनपद की इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स टीम के साथ समन्वय।
7. शिविर स्थल में राहत सामग्री वितरण।
8. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

सूचना और मीडिया अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां :-

1. घटना के सम्बन्ध में सूचना तैयार कर मीडिया अभिकरणों को जारी करना।
2. मीडिया रिपोर्ट की मॉनीटरिंग।
3. आई0एम0डी0 द्वारा दिये गये मौसम की अद्यतन रिपोर्ट को जारी करना।
4. घटना के पैमाने के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों की मांग।
5. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 (अनुबन्ध-4) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

लाईजनिंग अधिकारी (एल.ओ.) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :-

1. चयनित विभागों एजेसियों और उनके विभिन्न स्थानों पर तैनात प्रतिनिधियों की सूची बनाएंगे।
2. एन.डी.आर.एफ, भारतीय सेना तथा लाईन विभागों के बीच मेलजोल रखेंगे।
3. विभिन्न विभागों के बीच होने वाली कठिनाई का निरीक्षण करेंगे।
4. आवश्यक होने पर समर्थन की मांग करेंगे।
5. सरकारी विभाग व गैर सरकारी संगठनों की सूचना आई.सी. को भेजेगे।
6. आई.सी. के साथ सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के ब्रीफिंग सत्र का आयोजन करेंगे।
7. आई.आर.एस विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाए रखेंगे फॉर्म-004 के संलग्न के मुताबित सम्बन्धित को प्रेषित करेंगे।

सुरक्षा अधिकारी (सेफ्टी ऑफिसर) की भूमिका और उत्तरदायित्व –

1. खतरनाक तथा असुरक्षित स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर कार्मिकों की सुरक्षा हेतु उपाय।
2. सहायकों की मांग कर उन्हें जिम्मेदारियों सौंपें।
3. आई.ए.पी के तैयारियों के लिए बैठक में भाग लें।
4. नितान्त सुरक्षा के लिए आई.ए.पी की समीक्षा करेंगे।
5. घटनास्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं का विवरण प्राप्त करेंगे तथा आई.सी के उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।
6. आवश्यक होने पर सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
7. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Operation Section (परिचालन अनुभाग)

आपरेशन एक्सन चीफ (OSC) की भूमिका और उत्तरदायित्व –

- 1 सक्रिय किये गये मुख्य अनुभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
- 2 समान अनुभागों को ब्रीफिंग उनकी क्षमतानुसार कार्यदायित्व सौंपेंगे।
3. कार्य को ध्यान में रखते हुए उचित कार्मिकों को उनकी क्षमतानुसार परिचालन में उपयोग करेंगे।
4. परिचालन की अवधि के प्रारम्भ में परिचालन अनुभाग के कार्मिकों को संक्षेप समझाएंगे।
5. यदि आवश्यक हो तो इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान (आई0ए0पी0) के अनुसार अनुभाग के परिचालन सम्बन्धी योजना तैयार करेंगे।
6. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकताओं को निर्धारित करेंगे और तदनुसार माँग रखेंगे।
7. शाखाओं के सदस्यों की गतिविधियों का रिकार्ड रखेंगे।
8. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे एवं आई0आर0एस0 फॉर्म-003 में इनका अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
9. आर0ओ0/आई0सी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Staging Area Manager (एस0ए0एम0) के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- 1 स्टेजिंग एरिया की उचित व्यवस्था करेंगे तथा इसे व्यवस्थित रूप में बनाये रखना और यह सुनिश्चित करना कि वाहनों, संसाधनों आदि के आवागमन में कोई बाधा न आये।
- 2 प्राप्त संसाधनों के भंडारण और प्रेषण हेतु व्यवस्था एवं Incident Action Plan आई0ए0पी0 के अनुसार उन्हें प्रेषित करना।
- 3 सुविधा अनुसार चेक-इन-फंक्शन स्थापित करना।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

रिस्पॉन्स ब्रान्च डायरेक्टर (आर0बी0डी0) के कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

- 1 आपरेशन एक्सन चीफ (ओ0एस0सी0) के पर्यवेक्षणाधीन सौंपे गये कार्य करेंगे।
- 2 आपरेशन एक्सन चीफ (ओ0एस0सी0) द्वारा आवश्यकतानुसार योजना सम्बन्धित बैठकों में भाग लेंगे।
- 3 विभिन्न परिचालन क्षेत्रों को एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और कार्यबल सहायता प्रदान करेंगे।
- 4 शाखा के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 5 Incident Action Plan (आई0ए0पी0) में यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता, शेष संसाधन की उपलब्धता व उल्लेखित घटना होने पर ओ0एस0सी0 को रिपोर्ट करेंगे।
- 6 अधीनस्थों द्वारा सूचित किये गये विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
- 7 ओ0एस0सी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों को पूरा करेंगे।
8. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Transport Branch Director (परिवहन शाखा निदेशक) की भूमिका व उत्तरदायित्व :-

1. **Logistic Section** (एल0एस0) के सहयोग के साथ अपने ग्रुप में अलग शाखाओं को सक्रिय करेंगे।
2. रेलवे, रोडवेज, वाटर बेस, हवाई अड्डे के अधिकारियों से समन्वय करेंगे।
3. रेल व पानी परिचालन समूहों का सड़क परिवहन के साथ सहायता करेंगे।
4. हवाई आपरेशनों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
5. घटना के प्रतिक्रिया से संभावित अपनी शाखा से सम्बन्धित सभी कर्मियों की सुरक्षा करेंगे।
6. यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में चलने वाले सारे यूनिट नक्शे और स्थानीय गौड द्वारा क्षेत्र से परिचित हो।
7. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता तथा उनके उपयोग हेतु उचित जगह तय करेंगे।
8. काम पर रखे संसाधनों का रख-रखाव, उपयोग, तथा समय पर रिलीज सुनिश्चित करेंगे।
9. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

सड़क परिचालन समन्वयक की भूमिका व उत्तरदायित्व :-

1. घटना स्थल पर परिवहन संसाधन की उपलब्धता।
2. अतिरिक्त कार्मिकों की मांग व पूर्ति।
3. वाहन की मरम्मत की व्यवस्था एवं तेल की पर्याप्त उपलब्धता।
4. घटना स्थल पर लगे वाहनों की संख्या का पूर्ण रिकार्ड।
5. घटना स्थल का सर्वेक्षण कर आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

वायु परिचालन (नोडल ऑफिसर) की भूमिका व उत्तरदायित्व :-

1. राहत संसाधनों को शीघ्र घटना स्थल तक पहुंचना।
2. घटना स्थल पर खोज-बचाव कार्य।
3. स्थाई/अस्थायी हैलीपैड व उनके कार्डिनेट्स तथा हैलीकाप्टर की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाकर त्वरित कार्यवाही।
4. हवाई परिचालन सम्बन्धी क्रियाकलापों के बारे में आर0ओ0 को सूचित करना।
5. आर0ओ0 तथा आई0सी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

Planning section (योजना अनुभाग)

Planning Section Chief (पी0एस0सी0) –भूमिका एवं उत्तरदायित्व :-

1. क्षति और खतरे की प्रारम्भिक सूचना और निर्धारण।
2. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण एवं आई0ए0पी0 की समीक्षा।
3. आई0सी0 के साथ परामर्श करेंगे, योजना बनाने और **Incident Action Plan** (आई0ए0पी0) तैयार करने के लिए सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करेंगे।
4. सुनिश्चित करेंगे कि आकस्मिक आपदाओं के मामले में, जब पी0एस0 सक्रिय नहीं किए गए थे, लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश **Information and Media Officer** (आई0एम0ओ0) से प्राप्त किए जाए और उन्हें **Incident Action Plan** (आई0ए0पी0) में सम्मिलित किया जाए।
5. संबंधित विभागों और अन्य स्रोतों से मौसम, पर्यावरण में विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित घटनाओं के बारे में सूचना के संग्रहण, मूल्यांकन और प्रसार को सुनिश्चित करेंगे। पी0एस0 के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके स्थानों सहित समस्त सूचनाएँ रखेंगे।
6. वह आई0ए0पी0 तैयार करके वर्तमान स्थिति के निर्धारण, घटना की संभाव्य दिशा का अनुमान करके और प्रचालनों के लिए वैकल्पिक रणनीतियाँ तैयार करके समन्वय करेंगे।
7. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Resource Unit Leader (आर0यू0एल0) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :- 1. समस्त संसाधनों का डाटा बैंक तैयार कर आवश्यकतानुसार आवंटन।

2. घटना स्थल पर चैक-इन कार्य।
3. घटना स्थल पर उपलब्ध संसाधनों के संबंध में आई0सी0 एवं पी0एस0सी0 (प्लानिंग सेक्शन चीफ) को समय-समय पर अद्यतन (अपडेट) करना।
4. शीघ्र खराब होने वाले संसाधनों का उचित समय से प्रयोग।
5. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Situation Unit Leader (एस0यू0एल0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :-

1. घटना स्थल की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसका विश्लेषण।
2. घटना की प्रगति पर भावी पूर्वानुमान (यदि आवश्यक हो तो मानचित्र सहित) तैयार करेंगे और Planning Section Chief पी0एस0सी0 तथा आई0सी0 को सूचित करते रहेंगे।
3. स्थिति और संसाधन प्रस्थिति रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपेक्षानुसार उन्हें प्रचारित-प्रसारित करेंगे।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Documentation Unit Leader (डी0यू0एल0)- भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:- 1. सुनिश्चित करेंगे, कि अपेक्षित फार्म और लेखन-सामग्री प्राप्त कर ली जाए तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों समूहों और इकाइयों को जारी कर दी जाए।

2. घटना से संबंधी सभी जानकारी और रिपोर्ट संकलित करेंगे।
3. रिकॉर्डों और विभिन्न आई0आर0एस0 फॉर्मों का पुनरीक्षण और समीक्षा करेंगे।
4. घटनाउपरांत विश्लेषण के लिए फाइलों का सही तरीके से संग्रह किया जाएं।

Demobilization Unit Leader (डीमोब0यू0एल0)- भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. आई0आर0एस0 फॉर्म-010 के अनुसार घटना अलामबंदी योजना (आई0डी0पी0) बनाएंगे।
2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करेंगे और Planning Section Chief (पी0एस0सी0) के साथ परामर्श करके एक अनंतिम (टेन्टेटिव) आई.डी.पी. तैयार करेंगे।
3. सभी अनुभागों के साथ परामर्श करके अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना चेक-आउट फंक्शन शुरू करेंगे और Planning Section (पी0एस0) को भेजेंगे।
4. Logistic Section (एल0एस0) के साथ परामर्श करके घटना अलामबंदी के लिए संभार-तंत्र और परिवहन सहायता हेतु योजना बनाएंगे।
5. सुनिश्चित करेंगे कि सभी अनुभागों, इकाइयों टीमों और संसाधनों को अपनी-अपनी विशिष्ट घटना अलामबंदी जिम्मेदारियों की पूर्णरूप से समझ है।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Logistics & Finance Section संभार-तंत्र और वित्त अनुभाग (एल0एण्ड एफ0एस0)

Logistic & Finance Section Chief (एल0एण्ड एफ0एस0सी0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :-

1. सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय।
2. Incident Action Plan आई0ए0पी0 के विकल्प एवं क्रियान्वयन में भागीदारी।
3. घटनास्थल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की मात्रा एवं प्रकार का विवरण।
4. सक्रिय इकाइयों का पर्यवेक्षण।
5. क्षमतानुसार कार्मिकों को कार्य दायित्व सौंपना।
6. घटना स्थल पर कार्यवाही संबंधी कार्यकलापों की लागत संबंधी पूर्ण विश्लेषण।
7. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Service Branch Director (एस0बी0डी0)-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. **Logistic & Finance Section Chief** के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करेंगे।
2. संचार, चिकित्सा एवं खाद्य इकाई जैसी सक्रिय शाखाओं का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करेंगे।
3. अपेक्षित सामग्रियों और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडरों से चर्चा करेंगे और **Logistic & Finance Section Chief** के अनुसार, कार्मिक, टीम संसाधन, आदि का उचित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. समनुदेशन सूची, यदि अपेक्षित हो, तैयार करेंगे।
5. सेवा शाखा की समस्या, यदि कोई हो, को सुलझाएंगे।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजेगे।

Communication Unit Leader (कॉम0यू0एल)-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. **Service Branch Director** (एस0बी0डी0) के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
2. संचार सुविधा, जब कभी अपेक्षित हो उपलब्ध कराएंगे।
3. यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण चालू स्थिति में हैं और नेटवर्क सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
4. क्षेत्र में लगाए गए सभी संचार उपकरण का रिकॉर्ड रखेंगे।
5. सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित खराबी की स्थिति में निष्पादन के लिए वैकल्पिक संचार योजना तैयार करेंगे। वैकल्पिक संचार नेटवर्क में वायरलेस सैट, सैटेलाइट फोन, सेल फोन, एच0ए0एम0 रेडियो, आदि होंगे।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Medical Unit Leader (एम0यू0एल0)-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. **Service Branch Director** (एस0बी0डी0) के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे।
2. चिकित्सा योजना तैयार कर अपेक्षित संसाधनों का आवंटन करेंगे।
3. चिकित्सा कार्मिकों की सूची तैयार करना।
4. घटना स्थल पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधनों की मांग।
5. पीड़ित व्यक्तियों को ससमय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए सड़क-मार्ग मानचित्र की पूर्ण जानकारी।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार लिए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Food Unit Leader (एफ0यू0एल0)-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. **Service Branch Director** (एस0बी0डी0) के पर्यवेक्षाधीन कार्य करेंगे।
2. राहत कैम्पों में पीड़ितों हेतु खाद्य आपूर्ति।
3. संसाधनों की प्राप्ति व प्रेषण की सूची तैयार करेंगे।
4. खाद्य और पेयजल की सुविधा ससमय उपलब्ध कराने हेतु परिवहन की उचित व्यवस्था।
5. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Support Branch Director (सपोर्ट बी0डी0) -भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:-

1. संसाधन व्यवस्था, सुविधा एवं स्थल सहायता इकाईयों का पर्यवेक्षण।
2. अनुभाग प्रमुख की सहमति से अपेक्षित संसाधन प्राप्त कर प्रेषित करेंगे।
3. सहायता शाखा के विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय।
4. संसाधनों के वितरण में निगरानी।
5. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।
6. **Logistic & Finance Section Chief** (एल0एण्ड0एफ0एस0सी0) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Resource Provisioning Unit Leader (आर0पी0यू0एल0)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. घटनास्थल पर कार्मिकों व उपकरणों की सूची एवं आपूर्ति का रिकार्ड।
2. उपलब्ध वस्तुओं की आपूर्ति की गुणवत्ता एवं मात्रा की मानीटरिंग।
3. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधनों की मांग।
4. आई.आर.एस. फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।
5. Logistic & Finance Section Chief (एल.एण्ड एफ.एस.सी.) या सहायता शाखा निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Facilities Unit Leader (फैसिलिटी.यू0एल0)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. घटना स्थल में सुविधायें यथा- घटना शिविर स्थल, राहत शिविर में आवश्यकतानुसार सुविधायें उपलब्ध कराना।
2. बेस कैम्पों एवं राहत शिविरों की मानीटरिंग व प्रबन्धन।
3. घटनास्थल पर आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु मांग।
4. Support Branch Director को समय-समय पर रिपोर्ट करेंगे।
5. आई0आर0एस0फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।
6. Support Branch Director द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन।

Ground Support Unit Leader (जी0एस0यू0एल0)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. घटना स्थल में उपलब्ध संसाधनों की सूचना संसाधन इकाई लीडर को प्रेषित करेंगे।
2. घटना स्थल पर उपलब्ध एवं खराब संसाधनों की सूची तैयार करेंगे।
3. Transport Branch Director (टी0बी0डी0) से समन्वय बनाते हुए घटना स्थल में परिवहन की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।
4. यातायात योजना तैयार करेंगे।
5. वाहनों व उपकरणों की उपलब्धता को अद्यतन।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Finance Branch Director (एफ0बी0डी0)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. Incident Action Plan (आई0ए0पी0) के अनुसार एकत्रित, प्राप्त व किराए पर लिए गए संसाधनों का रिकार्ड रखेंगे।
2. वित्तीय मामलों से सम्बन्धित मुद्दों को आई0सी0 या Logistic & Finance Section Chief (एल.एण्ड एफ. एस.सी.) को ब्रीफ करेंगे।
3. घटना के समय एकत्रित सभी अनिवार्य दस्तावेजों का पूर्ण रिकार्ड।
4. घटना प्रतिक्रिया में होने वाले व्यय का पूर्वानुमान।
5. घटना के समय प्रयोग किए गए कार्मिकों का पूर्ण रिकार्ड।
6. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।

Time Unit Leader (टी0यू0एल0)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :-

1. घटना के दौरान प्रयोग किये गये उपकरणों व कार्मिकों का पूर्ण रिकार्ड रखते हुए लॉग बुक तैयार करना।
2. किराये पर लिये उपकरणों/संसाधनों का डिमोबिलाइजेशन से पूर्व सही तरीके से जांच।
3. आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त सहायता हेतु मांग करना।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।
5. Finance Branch Director (एफ.बी.डी.) द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Compensation /Claim unit -भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण ब्यौरा तैयार करेंगे।

2. माँग के अनुसार संसाधनों, वाहनों एवं अन्य जरूरतों की सूची सही दिनांक व समय के साथ तैयार कर पूर्ण ब्यौरा रखेंगे।
3. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध करायेगे।
4. पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
5. **Incident Response System**(आई0आर0एस0) फॉर्म-004 के अनुसार किये गये विविध क्रियाकलापों का रिकॉर्ड रखेंगे और एफ0बी0डी0 को भेजेगे।
6. **Finance Branch Officer**(एफ0बी0डी0) द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Procurement Unit Leader (पी0यू0एल0)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:–

1. मांग के अनुसार संसाधनों, वाहनों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सूची सही दिनांक व समय के साथ तैयार करना।
2. विक्रेताओं की सूची तैयार करना व समय-समय पर अद्यतन करना।
3. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधनों की मांग करना।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 (अनुबन्ध-03 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड एफ0बी0डी0 को भेजना।
5. **Finance Branch Director** एफ0बी0डी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

Cost Unit Leader (सी0यू0एल0)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व :-

1. लागत सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित कर लागत अनुमान का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे।
2. **Finance Branch Director** एफ0बी0डी0 को लागत-बचत सिफारिशें करेंगे।
3. अलामबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करेंगे।
4. आई0आर0एस0 फॉर्म-004 (अनुबंध-03 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखेंगे और एफ.बी.डी. को भेजेगे।
5. **Finance Branch Director** एफ0बी0डी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

5.3 जनपद में आपदा के समय वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हैलीपैड स्थल चयन की सूची ::

- तहसील बागेश्वर- 1 (पी0जी0 कालेज बागेश्वर)
- तहसील गरुड- 2 (आर्मी हैलीपैड कौसानी, गरुड मेलाडुंगरी)
- तहसील काण्डा- 3 (जी0जी0आई0सी0 काण्डा, देवतोली, खुनौली)
- तहसील कपकोट- 9 (कपकोट, कर्मी, बैसानी (मालूखेत) बदियाकोट, चौडास्थल, बैछमधार, सौराग, शामा ,खाती।
- तहसील दुगनाकुरी 2 (सनेती, बनलेख) कुल संख्या – 17

क्र0सं0	स्थान	अक्षांश	देशान्तर	कच्चा / पक्का	वर्तमान स्थिति
बागेश्वर क्षेत्र					
1	राजकीय महाविद्यालय हैलीपैड बागेश्वर।	29° 50' 45.04"	79° 46' 55.96"	पक्का	हैलीपैड की माप 30x30 मी0 पायी गयी है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
2	पुलिस लाईन बागेश्वर हैलीपैड।	29° 48' 50.17"	79° 46' 58.75"	कच्चा	हैलीपैड की माप 30x30 मी0 पायी गयी है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
गरुड क्षेत्र					
3	मेलाडुंगरी (गरुड)	29° 55' 5.5"	79° 36' 57.20"	पक्का	हैलीपैड की माप 50x40 मी0 पायी गयी है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
काण्डा क्षेत्र					
4	काण्डा (जी0जी0आई0सी0)	29° 49' 35.99"	79° 53' 25.40"	कच्चा	हैलीपैड की माप 50x30 मी0 पायी गयी है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
5	देवतोली	29° 47' 15.92"	79° 59' 33.44"	कच्चा	हैलीपैड की माप 60x30 मी0 पायी गयी है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
कपकोट क्षेत्र					
6	कपकोट (केदारीबगड़)	29°56'48"N	79°54'22" E	पक्का	हैलीपैड की माप 50x50 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
7	कर्मी	30° 00'55"N	79°53'47"E	कच्चा	हैलीपैड की माप 50x40 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
8	बैसानी(मालूखेत)	29° 58'14"N	79°45'28"E	कच्चा	निरीक्षण किया जाना है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।

<u>बदियाकोट क्षेत्र</u>					
1	बदियाकोट	30° 06'32"N	79°51'04"E	कच्चा	हैलपैड की माप 50x50 मी० पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
2	चौडास्थल	30° 01'48"N	79°58'05"E	कच्चा	हैलपैड की माप 50x50 मी० पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
4	बैछमधार	30° 05'00"N	79°58'38"E	कच्चा	निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
5	सोरांग	30° 8'146"N	79°52'45.24"E	कच्चा	हैलपैड की माप 40x20 मी० पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
<u>दोफाड—धरमधर क्षेत्र</u>					
1	सनेती	29° 53'54"N	79°58'25"E	कच्चा	निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
2	बनलेख	29° 50'19.98"N	79°55'24"E	कच्चा	निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
<u>शामा क्षेत्र</u>					
1	शामा	29° 58'30"N	80°01'19"E	कच्चा	निरीक्षण किया जाना है।मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।
<u>पिण्डारी क्षेत्र</u>					
1	खाती	30° 06'38"N	79°56'25"E	पक्का	हैलपैड की माप 40x40 मी० पायी गयी है। निरीक्षण किया जाना है। मिनी हैलीकॉप्टर योग्य मात्र।

5.4 जनपद बागेश्वर में निर्मित आश्रय स्थलों का विवरण

क्र० स०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	आश्रय स्थलों का नाम	बिजली / पानी की व्यवस्था	सामुदायिक /स्वास्थ्य केन्द्रों से दूरी	खान-पान व्यवस्था
1.	गरुड	गरुड	1-राजकीय इण्टर कालेज गरुड	हाँ	2.5 कि०मी० सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ	हाँ
			2-राजकीय इण्टर कालेज पाये	हाँ	1.5 कि०मी० सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ	—
			3-राजकीय इण्टर कालेज बन्तोली	हाँ	1.5 कि०मी० प्रा०स्वा०केन्द्र घनाई	—
			4-राजकीय इण्टर कालेज वज्यूला	हाँ	500मीटर	—
			5- इण्टर कालेज गागरीगोल	हाँ	03 कि०मी० सामु०स्वा० केन्द्र बैजनाथ	—
			6-इण्टर कालेज मैगड़ीस्टेट	हाँ	02 कि०मी० पिंगलो	—
			7-राजकीय इण्टर कालेज अमस्यारी	हाँ	01 कि०मी० घेटी	—
			8-राजकीय कन्या इण्टर कालेज धैना	हाँ	10 कि०मी० सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ	—
			9-राजकीय इण्टर कालेज कौसानी	हाँ	1.3 कि०मी० कौसानी प्रा०स्वा०केन्द्र बैजनाथ	—
			10-रा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैलानी	हाँ	05 कि०मी० सामु०स्वा०केन्द्र जखेड़ा	—
			उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें पानी की व्यवस्था के साथ -साथ मैदान भी है। जिनको अस्थाई आश्रय स्थल बनाया जा सकता है।			
2.	काण्डा	बागेश्वर	1.राजकीय प्राथमिक वि० स्याँकोट	हाँ	कक्ष संख्या 2	01 कि०मी० श्रीमती विमला पाठक श्रीमती नीमा देवी
			2. राजकीय प्राथमिक वि०जलमानी	हाँ	2	01 कि०मी० श्रीमती भागरथी देवी
			3. राजकीय प्राथमिक वि० सनगाड़	हाँ	2	14 कि०मी० कु० पुष्पा श्रीमती तारी देवी
			4.राजकीय प्राथमिक वि० बास्ती	हाँ	2	15 कि०मी० श्रीमती अम्बा देवी हेमन्ती देवी
			5. राजकीय प्राथमिक वि० सिमगड़ी	हाँ	2	08 कि०मी० श्रीमती जयन्ती देवी
			6 राजकीय प्राथमिक वि० मझेड़ा	हाँ	2	04 कि०मी० रमा पाठक
			7.राजकीय प्राथमिक वि० पातल	हाँ	2	03 कि०मी० श्रीमती पार्वती देवी
			8. राजकीय प्राथमिक वि० महरूड़ी	हाँ	2	04 कि०मी० श्रीमती कुशुमा देवी
			9. राजकीय प्राथमिक वि० दोसादा	हाँ	2	03 कि०मी० श्रीमती गोबिन्दी देवी
			10. राजकीय प्राथमिक वि०भन्तोला	हाँ	2	04 कि०मी० श्रीमती

					सरस्वतीदेवी
11. राजकीय प्राथमिक वि० झोंकरा	हाँ	2	05 कि०मी०	श्रीमती दीपा जोशी	
12. राजकीय प्राथमिक वि०जाखनी	हाँ	2	04 कि०मी०	श्रीमती देवती देवी	
13. राजकीय प्राथमिक वि०मलसूना	हाँ	2	05 कि०मी०	श्रीमती कला देवी	
14.राजकीय उ०प्रा०वि० टकनार	हाँ	2	07 कि०मी०	श्रीमती जानकी	
15. राजकीय प्राथमिक वि० कमेड़ीदेवी	हाँ	2	00 कि०मी०	श्रीमती रमा वर्मा	
16. राजकीय प्राथमिक वि० थाला	हाँ	2	02 कि०मी०	श्रीमती गंगा देवी	
17. राजकीय प्राथमिक वि०खान्तोली	हाँ	2	200मी०	श्रीमती कल्पना देवी	
18. राजकीय प्राथमिक वि० आगर	हाँ	2	03 कि०मी०	श्रीमती हंशी देवी	
19. राजकीय प्राथमिक वि० धपोलासेरा	हाँ	2	05 कि०मी०	श्रीमती नीमा धपोला	
20. राजकीय प्राथमिक वि०चन्तोला	हाँ	4	06 कि०मी०	श्रीमती राधिका देवी	
21. राजकीय प्राथमिक वि०देवतोली	हाँ	4	03 कि०मी०	श्रीमती गंगा देवी	
22.राजकीय प्राथमिक वि० धारी	हाँ	2	08 कि०मी०	श्रीमती मानुलीदेवी श्रीमती मुन्नी देवी	
23. राजकीय उ०प्रा०वि० उडेरिया	हाँ	4	05 कि०मी०	श्रीमती शान्ति देवी	
24. राजकीय प्राथमिक वि० दिघोली	—	2	02 कि०मी०	श्रीमती शान्ति देवी	
25. राजकीय प्राथमिक वि०रावतसेरा	हाँ	2	03 कि०मी०	श्रीमती देवकी देवी	
26. राजकीय प्राथमिक वि० पैठाढ़	हाँ	2	02 कि०मी०	श्रीमती बसन्ती देवी	
27. राजकीय प्राथमिक वि० भेटा	हाँ	2	02 कि०मी०	श्रीमती सुमन राठौर	
28. पंचायतघर खातीगाँव	हाँ	5	200मी०	—	
29. राजकीय प्राथमिक वि० बनेगाँव	हाँ	2	05 कि०मी०	श्री जगत सिंह	
30.राजकीय इन्टर कालेज सानीउडियार	हाँ	7	00 कि०मी०	श्रीमती लीला देवी	
31. राजकीय प्राथमिक वि० सिमकोना	हाँ	2	06 कि०मी०	श्रीमती पारवती देवी	
32. राजकीय प्राथमिक वि०टिटोली	हाँ	2	05 कि०मी०	श्रीमती तुलसी देवी	
33. इन्टर कालेज बाँजीरौट	हाँ	7	06 कि०मी०	श्रीमती	

						जानकी पन्त
		34. राजकीय प्राथमिक वि० पंगचौड़ा	हाँ	2	01 कि०मी०	श्रीमती मन्जू चन्दोला
		35. राजकीय प्राथमिक वि० मन्तोली	हाँ	2	06 कि०मी०	श्रीमती शोभा जोशी
		36. राजकीय प्राथमिक वि० काण्डा	हाँ	7	01 कि०मी०	श्रीमती हेमा देवी
		37. राजकीय प्राथमिक वि० नवीन पंगचौड़ा	हाँ	2	01 कि०मी०	श्रीमती पुष्पा देवी
		38. राजकीय प्राथमिक वि० कुनेडा	हाँ	2	02 कि०मी०	श्रीमती धनुली देवी
		39. राजकीय प्राथमिक वि० काण्डे कन्याल	हाँ	2	01 कि०मी०	श्रीमती नीरु देवी
		40. राजकीय प्राथमिक वि० बजीना	हाँ	2	04 कि०मी०	श्रीमती नीमा तिवारी
		41. राजकीय प्राथमिक वि० धपोली	हाँ	2	02 कि०मी०	आशा काण्डपाल
		42. राजकीय प्राथमिक वि० ढपटी	हाँ	2	07 कि०मी०	श्रीमती चम्पा देवी
		43. राजकीय उ०प्रा वि० गुडवा सिरमौली	हाँ	2	08 कि०मी०	श्रीमती कमला धपोला
3	कपकोट	1. राजकीय इन्टर कालेज वदियाकोट	हाँ		48 कि०मी०	हाँ
		2. राजकीय इन्टर कालेज कर्मी	हाँ		19 कि०मी०	हाँ
		3. राजकीय इन्टर कालेज शामा	हाँ		01 कि०मी०	हाँ
		4. राजकीय प्रा० वि० कर्मी	हाँ		18 कि०मी०	हाँ
		5. राजकीय इन्टरकालेजकपकोट	हाँ		01 कि०मी०	हाँ
		6. तहसील मुख्यालय कपकोट	हाँ		500 मी०	हाँ
		7. पंचायत भवन गोगिना	हाँ		50 मी०	हाँ
		8. पंचायत भवन मल्खाडुगर्चा	नहीं		03 कि०मी०	हाँ
		9. पंचायत भवन रातिरकेठी	नहीं		50 मी०	हाँ
		10. पंचायत भवन लीती	नहीं		12 कि०मी०	हाँ
		11. पंचायत भवन रमाड़ी	नहीं		12 कि०मी०	नही
		12. पंचायत भवन बड़ीपन्याली	नहीं		03 कि०मी०	नही
		13. पंचायत भवन शामा	नहीं		02 कि०मी०	नही
		14. पंचायत भवन सीरी	नहीं		04 कि०मी०	नही
		15. पंचायत भवन नौकोड़ी	नहीं		07 कि०मी०	नही
		16. पंचायत भवन बड़ेत	नहीं		12 कि०मी०	नही
		17. पंचायत भवन बमसेरा	नहीं		01 कि०मी०	नही
		18. पंचायत भवन भण्डारीगांव	नहीं		1.5 कि०मी०	नही
		19. पंचायत भवन ऐठाण	नहीं		01 कि०मी०	नही
		20. पंचायत भवन नरगड़ा	नही (पानी हाँ)		10 कि०मी०	नही
		21. पंचायत भवन भैसुड़ीकुटीर	नही (पानी हाँ)		05 कि०मी०	नही
		22. पंचायत भवन गुलमपरगड़	नही		05 कि०मी०	नही

			23. पंचायत भवन गडेरा	हाँ	12 कि०मी०	हाँ
			24. पंचायत भवन बसकूना	नहीं	10 कि०मी०	हाँ
			25. पंचायत भवन बटालगांव	हाँ	11 कि०मी०	नहीं
			26. पंचायत भवन बैड़ामझेड़ा	नहीं	12 कि०मी०	हाँ
			27. पंचायत भवन रैथल	नहीं (पानी हाँ)	08 कि०मी०	हाँ
			28. पंचायत भवन गोलना	हाँ	09 कि०मी०	हाँ
			29. पंचायत भवन बढियाकोट	नहीं (पानी हाँ)	48 कि०मी०	नहीं
			30. पंचायत भवन सोराग	नहीं	45 कि०मी०	नहीं
			31. पंचायत भवन बाछम	नहीं	40 कि०मी०	नहीं
			32. पंचायत भवन कुवारी	नहीं	55 कि०मी०	नहीं
			33. पंचायत भवन खाती	नहीं	15 कि०मी०	नहीं
			34. पंचायत भवन चौड़ा	नहीं	03 कि०मी०	नहीं
			35. पंचायत भवन सूडिंग	नहीं	02 कि०मी०	नहीं
			36. पंचायत भवन गासी	नहीं	05 कि०मी०	नहीं
			37. पंचायत भवन सुमगढ़	नहीं	07 कि०मी०	नहीं
			38. पंचायत भवन दुलम	नहीं	10 कि०मी०	नहीं
			39. पंचायत भवन ढोक्टीगांव	हाँ	21 कि०मी०	हाँ
			40. पंचायत भवन बघर	नहीं	18 कि०मी०	नहीं
			41. पंचायत भवन किलपारा	नहीं	52 कि०मी०	नहीं
			42. पंचायत भवन खर्ककानातोली	नहीं	15 कि०मी०	हाँ
			43. पंचायत भवन गुलेर	नहीं	15 कि०मी०	हाँ
			44. पंचायत भवन उत्तरौड़ा	नहीं (पानी हाँ)	03 कि०मी०	हाँ
			45. पंचायत भवन चलकाना	नहीं (पानी हाँ)	15 कि०मी०	हाँ
			46. पंचायत भवन जगथाना	हाँ	30 कि०मी०	हाँ
			47. पंचायत भवन माजखेत	नहीं	17 कि०मी०	नहीं
			48. पंचायत भवन झूनी	नहीं	35 कि०मी०	नहीं
4	बागेश्वर	बागेश्वर	1. महर्षि इंटर कालेज बिलौना	हाँ	04 कि०मी०	नहीं
			2. राजकीय बालिका इंटर कालेज बागेश्वर	हाँ	जिला अस्पताल बागेश्वर से 05 कि०मी०	नहीं
			3. राजकीय इंटर कालेज मण्डलसेरा	हाँ	जिला अस्पताल से 02 कि०मी०	नहीं
			4. जूनियर हाईस्कूल बिलौनासेरा	हाँ	06 कि०मी०	नहीं
			5. राजकीय इंटर कालेज दफौट	हाँ (पानी नहीं)	23 कि०मी० नहीं	
			6. जू०हा० अनर्सा	हाँ	10 कि०मी०	नहीं
			7. जू०हा० बहुली	हाँ	06 कि०मी०	स्थानीय दुकान
			8. जू०हा० गुरना	हाँ	—	—
			9. राजकीय इंटर कालेज डोबा	हाँ	12 कि०मी०	नहीं
			10. राजकीय इंटर कालेज तुपेड़	हाँ	10 कि०मी०	नहीं

	11. जू0हा0 गैराड	हाँ	12 कि0मी0	सामग्री उपलब्ध होने पर
	12. मिशन इण्टर कालेज बागेश्वर	हाँ	जिला बागेश्वर से 350 कि0मी0	
	13. राजकीय इण्टर कालेज बागेश्वर	हाँ	02 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	14. विवेकानन्द इ0का0 बागेश्वर	हाँ	जिला अस्पताल बागेश्वर 100 मीटर	नहीं
	15. रा0इ0का0 आरे	हाँ	05 कि0मी0	नहीं
	16. रा0इ0का0 रवाईखाल	हाँ	0.5 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	17. रा0इ0का0 घिघारतोला	हाँ	400 मीटर	नहीं
	18. रा0इ0का0 क्वैराली	हाँ	12 कि0मी0	नहीं
	19. रा0इ0का0 हड़बाड़	हाँ	12 कि0मी0	नहीं
	20. आई0टी0आई0 कमेड़ी	हाँ	02 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	21. रा0जू0हा0 अमसरकोट	हाँ	06 कि0मी0	नहीं
	22. रा0इ0का0 देवलधार	हाँ	15 कि0मी0	नहीं
	23. रा0जू0हा0 चौरा	हाँ	लगभग 200 मीटर	नहीं
	24. रा0जू0हा0 सात रतवे	हाँ	14 कि0मी0	नहीं
	25. हा0 शिशु मन्दिर बागेश्वर	हाँ	जिला अस्पताल से 01 कि0मी0	नहीं
	26. पंचायतघर छाती	हाँ(पानी नहीं)	10 कि0मी0	नहीं
	27. पंचायतघर देवलचौरा	नहीं	09 कि0मी0	—
	28. पंचायतघर अनर्सा	नहीं	10 कि0मी0	नहीं
	29. पंचायतघर पुरकोट	नहीं (पानी हों)	12 कि0मी0	नहीं
	30. पंचायतघर हरबाड़	नहीं	12 कि0मी0	नहीं
	31. पंचायतघर पन्द्रहपाली	नहीं	10 कि0मी0	नहीं
	32. पंचायतघर कठायतबाड़ा	हाँ	02 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	33. पंचायतघर द्यांगण	हाँ	3.5 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	34. पंचायतघर बहुली	हाँ	06 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	35. पंचायतघर फटगली	हाँ	0.5 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	36. रास0ना0महाविद्यालय बागेश्वर	हाँ	3.5 कि0मी0	स्थानीय दुकान
	37. पंचायतघर नाघरसाहू	हाँ (पानी ना)	01 कि0मी0	—
	38. पंचायतघर वुडगुना	हाँ (पानी ना)	1.5 क0मी0	सामग्री उपलब्ध होने पर

	39. पंचायतघर गैराड	हाँ	12 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	40. पंचायतघर वलना	हाँ (पानी नहीं)	12 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	41. ए०एन०एम० सेन्टर गैराड बिलखेत	हाँ	12 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	42. आई०टी०आई० कमेडी	हाँ	02 कि०मी०	नहीं
	43. बरातघर जोशी गाँव चौगाँवछीना	नहीं	15 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	44. पंचायतघर मूस्योली	हाँ (पानी नहीं)	2.5 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	45. पंचायतघर जलथाकोट	हाँ (पानी नहीं)	03 कि०मी०	सामग्री उपलब्ध होने पर
	46. नुमाईशखेत स्वराजभवन	हाँ	जिला बागेश्वर से 250 मीटर	नहीं
	47. राजकीय पोलटेक्निक काण्डा	नहीं	01 कि०मी० घिधारतोला	नहीं

5.5 जनपद बागेश्वर अन्तर्गत विश्राम गृह/डॉक बगलों का विवरण :-

क्र०सं०	विभाग का नाम	विश्राम गृह/डॉक बगला	संख्या
1.	लोक निर्माण विभाग बागेश्वर	बागेश्वर	01
	कपकोट	/कपकोट/लोहारखेत/ धाकुड़ी/खाती/फुरकिया/द्वाली	06
2.	वन विभाग बागेश्वर	कौसानी/वज्यूला/धरमघर/रैखोली	04

5.7 जनपद बागेश्वर में स्थित होटल/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस की सूची :-

क्र०सं०	इकाई का नाम	कक्ष सं०	शैय्या	दूरभाष नम्बर
1.	होटल सागर कौसानी	37	80	05962-258118
2.	होटल उत्तराखण्ड कौसानी	15	30	05962-258012
3.	होटल कृष्ण माउण्ट ब्यू कौसानी	30	60	05962-258022
4.	होटल प्रशान्त कौसानी	14	30	05962-258037
5.	होटल विशाखा पैलेस कौसानी	15	30	8057246177
6.	होटल जीतू कौसानी	17	34	05962-258023
7.	होटल सन एन स्नो कौसानी	14	28	05962-258010
8.	होटल हिमालया माउण्ट ब्यू कौसानी	13	26	05962-258080
9.	होटल नीलकंठ कौसानी	10	25	9453438731

10.	सुमन रायल रिसॉर्ट कौसानी	27	34	05962-258328
11.	होटल शिवम् कौसानी	8	16	05962-258231
12.	होटल माउण्ट विला कौसानी	12	24	05962-258016
13.	अमर होली डे होम कौसानी	05	10	05962-258015
14.	हिमवादी रिसॉर्ट कौसानी	11	22	05962-258265
15.	प्रतीक्षा होटल कौसानी	17	34	9412926056
16.	सेवरॉन इको लॉज कौसानी	12	24	05962-258267
17.	सुमित होटल कौसानी	10	20	9412962186
18.	होटल आश्रिया कौसानी	06	12	8755940016
19.	होटल शक्ति लॉज कौसानी	07	16	—
20.	नैचर्स वैली रिसॉर्ट कौसानी	19	38	—
21.	होटल ब्लॉसम कौसानी	10	20	05962-258113
22.	हिमालयन विलेज रिसॉर्ट कौसानी	10	20	05962-258064
23.	होटल ग्राण्ट नेशनल ब्यू प्वाइंट कौसानी	16	32	9412040242
24.	मेहरा पेंडिंग हाउस कौसानी	02	04	05962-258373
25.	शुभम् पेंडिंग गैस्ट कौसानी	06	12	05962-258084
26.	अमित पेंडिंग गैस्ट कौसानी	04	08	9410309451
27.	गिरीश पेंडिंग गैस्ट सौणधार कौसानी	04	08	9837576542
28.	दीपराज पेंडिंग गैस्ट कौसानी	06	12	9412417051
29.	विवेक पेंडिंग गैस्ट कौसानी	06	12	05962-258077
30.	स्नो ब्यू पेंडिंग गैस्ट कौसानी	03	06	05962-258216
31.	नन्दा देवी पेंडिंग गैस्ट कौसानी	04	08	9456376067
32.	बालाजी पेंडिंग गैस्ट कौसानी	04	08	9410183806
33.	होटल नेगी लॉज कौसानी	04	08	9458139843
34.	मोचक पेंडिंग गैस्ट कौसानी	03	06	9412017383
35.	होटल बुरॉस कौसानी	—	—	9411108997
36.	अनाशक्ति आश्रम कौसानी	23	86	05962-258028
37.	राजकीय अतिथि गृह कौसानी	03	06	—
38.	नेगी लॉज गरुड़	02	04	—
39.	अधिकारी होटल गरुड़	04	06	9456543155
40.	पर्यटक आवास गृह कौसानी	48	106	05962-258006
41.	राजदीप पेंडिंग गैस्ट बैजनाथ	10	20	9410163600
42.	पर्यटक आवास गृह बैजनाथ	09	22	05962-250101
43.	होटल लेक ब्यू बैजनाथ	08	16	9012842072
44.	प्रेम चैतन्य पेंडिंग गैस्ट बैजनाथ	06	12	9410095222
45.	शुभम् गैस्ट हाउस गागरीगोल गरुड़	02	04	7500925515
46.	होटल सिद्धार्थ बागेश्वर	23	54	05963-220114
47.	होटल अन्नपूर्णा बागेश्वर	24	50	05963-220109
48.	होटल राजदूत बागेश्वर	15	28	05963-220146
49.	होटल नीलेश्वर बागेश्वर	09	28	9412403403

50.	होटल विवेक बागेश्वर	11	16	05963-221777
51.	होटल मंगल पैलेस बागेश्वर	04	11	—
52.	होटल नरेन्द्रा पैलेस बागेश्वर	14	26	05963-220166
53.	होटल प्रशान्त बागेश्वर	14	28	9456394489
54.	होटल शिवांश गोमती पुल बागेश्वर	17	34	8126795594
55.	डॉक बंगला कौसानी	12	26	05963-258242
56.	चैस्ट नैट ग्रांज हिमालयन लॉज विजयपुर	05	10	9411706335
57.	होटल आँकार/नीलस कपकोट	10	36	—
58.	होटल हरिसन भराड़ी	07	14	—
59.	यूनाइटेड-21 नन्दादेवी माउण्टेन बिगुल, विजयपुर	19	38	—
60.	होटल सरयू कपकोट	10	20	—
61.	होटल आशीष बागेश्वर	—	—	8954715165
62.	होटल अम्बिका पैलेस	—	—	8937067000
63.	पाण्डे पेंडिंग गैस्ट हाउस गरुड़	—	—	9639287230
64.	राजेन्द्रा गैस्ट हाउस टानीखेत गरुड़	—	—	9457646818
65.	श्री बागनाथ दर्शन गैस्ट हाउस बागेश्वर	08	16	05963-220071
66.	नन्दा देवी होम स्टे कौसानी	03	06	—
67.	राज होम स्टे सुनारगाँव काण्डा	06	12	—
68.	परिहार होम स्टे बागेश्वर	05	10	—
69.	हट्स एण्ड हिल होम स्टे कौसानी	02	04	—
70.	तारा होम स्टे सूपी	05	10	—
71.	कुन्दन होम स्टे सूपी	06	12	—
72.	धर्मसक्तू होम स्टे धरमघर	03	06	—
73.	किशोरीलाल होम स्टे सूपी	05	10	—
74.	हिमांशु होट स्टे वलना कौसानी	06	12	—
75.	शुभम् होम स्टे कौसानी	03	06	—
76.	किशोरीलाल होम स्टे कौसानी	06	12	—
77.	गुरु होम स्टे मटेना गरुड़	04	04	—
78.	जगनाथ होम स्टे पिगलकोट कौसानी	04	08	—

5.7 जनपद अन्तर्गत बी0एस0एन0एल0 मोबाईल टावर का विवरण—

क्र0स	स्थान	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1	बागेश्वर मेन एक्वेज	श्री सुरेन्द्र	7351284061
2	बैजनाथ	श्री बलवन्त	9456104999
3	कपकोट	श्री पुरन	9411765605
4	काफलीगैर	श्री बलवन्त	9410958497
5	दाणोछीना	श्री तिवारी जी	9690320279

6	पालडीछीना	श्री चन्दन	9456759941
7	हरसीला	श्री मेहता जी	9410792600
8	फरसाली	श्री बंसत	9410568037
9	शामा	श्री कोरंगा जी	7351936957
10	नुमाइशखेत	श्री साहजी	9627781475
11	डिग्री कॉजेज	श्री कैलाश	9634958138
12	घिघारुतोला	श्री दफौटी जी	9410917888
13	सानिउडियार	श्री राठौर जी	7088934195
14	विजयपुर	श्री पंत जी	9412101203
15	कमेडीदेवी	श्री वर्मा जी	9568501784
16	रवाईखाल	श्री कालाकोटी जी	9105271352
17	रीमा	श्री गडिया जी	9756656312
18	गागरीगोल	—	9412106228
19	कर्मी	श्री जगत	9458151844
20	ओखलीटॉप	श्री महेन्द्र	9410774203
21	खलीधार	श्री पाण्डे जी	7351486637
22	बिलौना	श्री पन्त जी	9456106337
23	दोफाड़	श्री कुन्दन	7253997850
24	लीति	श्री कोरंगा जी	8991325423
25	लाहुरचौरा	श्री गोस्वामी जी	9837105171
26	भरारी मार्केट	श्री जमन	9917636572
27	जॉलकाण्डे	श्री जोशी जी	9536966882
28	शान्ति बाजार	श्री गोपाल	7409404231
29	सिरकोट	श्री बलवन्त	253099
30	खनकर	श्री भरत	9410926405
31	काण्डा	श्री हरीश	9411586900
32	व्ज्यूला	श्री जोशी जी	9411557094
33	सौराग	श्री चन्दन	9458164179
34	सूपी	श्री पवन	8859277702
35	चौड़ास्थल	श्री दानू	7409690167
36	मेहरुरी	श्री लक्ष्मण	9675444166
37	जेठाई	पाण्डे जी	7830122251
38	हवानतोली	जोशी जी	9457860779

अध्याय 06 विभागीय कार्ययोजना

6.1 सिंचाई विभाग, बागेश्वर

दैवीय आपदा घटनाओं से निपटने हेतु राजकीय सिंचाई बागेश्वर की कार्य योजना वर्ष 2019-20 एवं विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दूरभाष नम्बर की सूची—

(क)– राजकीय सिंचाई के जनपद बागेश्वर में दो खण्ड कार्यरत हैं, विवरण निम्नवत हैं—

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्थिति	अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या	अभियुक्ति
1	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बागेश्वर	कठायतबाड़ा	14	—
2	सहायक अभियन्ता, उपखण्ड प्रथम गरुड़	गरुड़	23	—
3	सहायक अभियन्ता, उपखण्ड द्वितीय बागेश्वर	कठायतबाड़ा	07	—
4	सहायक अभियन्ता, उपखण्ड तृतीय बागेश्वर	कठायतबाड़ा	11	—
5	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कपकोट	हिचौड़ी	22	—

(ख) सिंचाई खण्ड बागेश्वर में विभागीय वाहन उपलब्ध है, जो कि आपदा के समय उपयोग में लाया जायेगा— जीप बुलेरो संख्या यू0के0- 02/जी0ए0 0017।

(ग) उपखण्डीय कार्यालय गरुड़ एवं सिंचाई खण्ड कपकोट परिसर में भूमि उपलब्ध है, जो कि आपदा के समय उपयोग में लायी जा सकती है।

(घ) विभागीय वर्षामापी यंत्र कपकोट, गरुड़ एवं बागेश्वर कार्यालय परिसर में स्थित हैं। बागेश्वर मुख्यालय में सरयू एवं गोमती नदी के किनारे गेज साइट निर्मित हैं। दिनांक 15 जून से 15 अक्टूबर सूचना प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे दैवीय आपदा कन्ट्रोल रूम बागेश्वर एवं थाना कोतवाली बागेश्वर में प्रेषित की जाती है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप भी सूचना कन्ट्रोल रूम में प्रेषित की जाती है।

(ङ) तहसील कपकोट में सरयू नदी पर गेज साइट निर्मित है। वहां की सूचना तहसील कपकोट में प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे प्रेषित की जाती है।

(च) बैजनाथ में स्थित विभागीय बैजनाथ बैराज से भी गोमती नदी के डिस्चार्ज की सूचना प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे प्रेषित की जाती है। बैराज में सायरन की व्यवस्था की गयी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सायरन स्थानीय स्तर पर सूचना प्रसारित की जा सके।

(छ) विकास खण्ड कपकोट दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण के लिये आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के तहत विभागीय स्तर पर सिंचाई खण्ड कपकोट के खण्डीय कार्यालय में 24x7 कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है जिसका न० +915963253072 है कन्ट्रोल रूम में खण्डीय कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी जिसमें क्षति से सम्बन्धित आने वाली सभी सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। जिसकी सूचना प्रतिदिन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण बागेश्वर, बाढ़ नियंत्रण कक्ष देहरादून व अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल अल्मोडा को भेजी जायेगी।

दैवीय आपदा के प्रति चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण वर्ष 2018-19

क्र० सं०	विकास का नाम	खण्ड	ग्राम पंचायत	क्षेत्र का विवरण	अभ्युक्ति
1	बागेश्वर		फल्याँटी	ग्राम फल्याँटी	अमसरकोट गंधेरे के बाँये पार्श्व पर भूधसाव एवं गंधेरे से बैंक कटाव होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना के गठन की कार्यवाही गतिमान है।
2	बागेश्वर		खाती गाँव, रावतसेरा	ग्राम खाती गाँव से ग्राम रावतसेरा के मध्य	जगह-जगह पर कुलूर नदी से बैंक कटिंग की सम्भावना है। योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है।
3	बागेश्वर		—	ग्राम अकसोड़ा से	पुँगर नदी, नारी गंधेरा एवं गोरखेत गंधेरा से विभिन्न स्थलों

			बालीघाट के मध्य	पर भुकटाव की सम्भावना है। रोकथाम हेतु नाघर, चौरा, डुंगरी, सिन्तोला एवं चिभली तोक पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कर सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। गोरखेत एवं नारी गधेरों पर योजना स्वीकृत है। कार्य किया जाना है एवं कछ अन्य स्थलों पर जहाँ भुकटाव की सम्भावना है वहाँ योजना गठित की जा रही है।
4	गरुड़	सुराग	ग्राम सुराग	ग्राम जखेडा से अपस्ट्रीम में सुराग ग्राम के मध्य में स्थित नाले द्वारा भूधसाव एवं भूकटाव की सम्भावना है।
5	कपकोट	गुलेर,खडकू	भण्डारी खेत से गुलेर तक	भण्डारीखेत से गुलेर तक भूस्खलन की सम्भावना है।
6	कपकोट	लीथी	किमू	विगत वर्षों से भूस्खलन हो रहा है एवं जमीन धस रही है।
7	कपकोट	माजखेत	बोर गांव सिमाती तोक	भू-धसाव की स्थिति हो रही है।
8	कपकोट	परपटी	चीराबगड़	नाले से भूकटाव व भू-धसाव की सम्भावना है।
9	कपकोट	सुमगड़	सुमगड़	नाले से भूकटाव व भू-धसाव की सम्भावना है।
10	कपकोट	चेटाबगड़	ढोलडुगां	नाले से भूकटाव व भू-धसाव की सम्भावना है।
11	कपकोट	कर्मी	हयात गडेरा	भूमि कटाव व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र।
12	कपकोट	चीराबगड़	खाईबगड़	नाले से कटाव एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। वर्ष 2014-15 में इस नाले में आयी बाढ़ से आवासीय भवन एवं जान-माल की क्षति हुई थी।
13	कपकोट	गैरखेत	सीमार तोक	सरयू नदी की मुख्य धारा सीमार तोक की ओर से होने से ग्रामवासी भवनों को खतरा है।
14	कपकोट	गैरखेत	मल्ला पातल	दोगाड़ गधेरे से कटाव एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र आवासीय भवनों को खतरा है।
15	कपकोट	पोलिंग	पॉलिंग	सरयू नदी से भू-कटाव हो रहा है।
16	कपकोट	असौं	असौं बगजीवाला	सरयू नदी के बांये पार्श्व (बैंक) का लेवल कम होने के कारण बाढ़ की स्थिति में जल भराव की सम्भावना है।
17	कपकोट	कपकोट	कपकोट	भुरकुटी नाले से भू-कटाव हो रहा है।
18	कपकोट	क्वारी	क्वारी	शम्भू नदी से कटाव के कारण भूस्खलन हो रहा है एवं जमीन धस रही है तथा आवासीय भवनों को खतरा है।
19	कपकोट	—	चीराबगड़, खाईबगड़	वर्ष 2013-14 की आपदा में आवासीय भवन को क्षति भू-कटाव व जानमाल का नुकसान हुआ।
20	कपकोट	—	भूकुटी कपकोट	दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है
21	कपकोट	—	बदियाकोट	वर्ष 2013 की आपदा में क्षेत्र का संपर्क टूट गया था व हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य किया गया था।
22	कपकोट	—	कुजगाडी	दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है
23	कपकोट	—	भूकुटी	दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है
24	कपकोट	—	गैनाड	दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है

: जनपद बागेश्वर के तहसील गरुड़ में स्थित बैजनाथ बैराज/ झील की आपातकालीन कार्य योजना

1. बैजनाथ बैराज झील का विवरण :- गोमती नदी में बैजनाथ नामक स्थान पर बैजनाथ बैराज निर्मित है। इसकी लम्बाई 350 मीटर एवं औसत चौड़ाई 80 मीटर तथा गेटों की ऊंचाई 4.00 मीटर है। बैराज Ponding Capacity 56000 घ0मी0 है। बैराज का Bed Level 1112.00 मी0 Full Pond Level 1116.00 मी0 एवं High Flood Level 1117.00 मी0 है। उक्त बैराज का Maximum Discharge 25000 Cusec है।

Emergency Action Plan :-

- बैराज के गेटों का संचालन Manually and Electrically दोनों विधियों से किया जा सकता है। गेटों के संचालन हेतु बैराज में 24 घण्टे दो अस्थायी/स्थायी कर्मचारी लगाये गये हैं।
- बैराज का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
- बैराज से पानी की निकासी Flood Alarming System (Cyren) द्वारा सूचित करने के बाद ही की जायेगी।
- अचानक नदी का Discharge बढ़ने पर बैराज से पानी की निकासी Flood Alarming के बाद ही की जायेगी।
- प्रातः मानसून अवधि में रात्रि में उततंहम में Pond Level 1.00 मी0 Down रखा जायेगा। जिससे नदी में अचानक बाढ़ आने की स्थिति में बैराज के निचले प्रवाह में पानी की निकासी की दर, नदी के ऊपरी प्रवाह से आने वाले Discharge के अनुसार ही की जा सके। नदी के Discharge में अचानक वृद्धि होने पर गेटों को एक साथ न खोल कर
- दो गेटों को एक साथ खोला जायेगा, जिससे बैराज के ऊपरी प्रवाह से आने वाले नदी के Discharge की ही निकासी की जा सके। बैराज से पानी निकासी की दर ऊपरी प्रवाह से आने वाले पानी के दर अनुसार ही रखी जायेगी। ऊपरी प्रवाह से पानी की दर में वृद्धि होने पर बैराज से पानी की निकासी की दर में भी वृद्धि की जायेगी। नदी का Discharge सामान्य स्थिति में आने पर ही बैराज के Storage water की निकासी की जायेगी।
- अत्यधिक वर्षा होने/बैराज से 2000 Cusec से अधिक पानी की निकासी होने पर इसकी सूचना दैवीय आपदा कक्ष, स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं नदी के समीप के ग्रामों के ग्राम प्रधानों को सूचित किया जायेगा।

बैजनाथ बैराज में डाउन स्ट्रीम में वर्षा काल के दौरान बैराज गेट खोलने की स्थिति में किसी भी विपरीत परिस्थितियों से बचाव हेतु बैजनाथ से बागेश्वर तक सूचना प्रदान करने हेतु योजना -

क्र0 स0	स्थिति	बैराज से दूरी (डाउनस्ट्रीम)	व्यक्ति का नाम व पता	मोबाईल न0
1.	बैजनाथ बैराज	0.300 कि0मी0	श्री जय चन्द्र शाह	9412381123
2.	गौशाला	0.500 कि0मी	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	9410928454
3.	तहसील गरुड़	0.500कि0मी	आपदा नियन्त्रण कक्ष	7088717429,7456917 292, 05963-250803

4.	पुरडा	0.700 कि०मी	श्री जंसवन्त सिंह	9927163454
5.	गागरीगोल	3.00 कि०मी	श्रीमती तारा देवी	9675445966
6.	सिमार	3.50 कि०मी	श्री जगदीश प्रसाद	983767231
7.	सिमार	3.50 कि०मी	श्री तारा दत्तपाण्डे	9758611928
8.	सिमार निकट नवोदय विद्यालय	4.20 कि०मी	श्री विनोद सिंह	9758602893
9.	कुमरोरा	5.00 कि०मी	श्री धाम सिंह	9837373569
10.	बमराड़ी	6.00 क०मी	श्री दरपन सिंह	9411317663
11.	फटगली	7.50 कि०मी	श्री ठाकुर सिंह	9411318034
12.	रवाईखाल	11.00 कि०मी	श्री कृष्ण चन्पाल	8449933686
13.	मोस्टगॉव	14.00 कि०मी	श्री हिम्मत सिंह	9675951953
14.	कमेड़ी	16.00 कि०मी	श्री दर्पण सिंह रौतेला	9761107197
15.	बहुली	17.00 कि०मी	श्री विनोद कुमार दास	9758189493
16.	द्यागण	18.00 कि०मी	श्री पप्पू टम्टा	9760795209
17.	खोली	19.00 कि०मी	श्री कुर्वर सिंह	9758352498

जनपद अन्तर्गत मानसून अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षा होने के कारण छोटे-छोटे गंधेरो के कटाव एवं जलभराव के कारण प्रभावित होने वाले ग्रामों/तोकों का विवरण ::

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत / क्षेत्र का विवरण	अभ्युक्ति
1	बागेश्वर	फल्याटी	अमसरकोट गंधेरे के बाये पार्श्व पर भूधसाव एवं गंधेरे से बैंक कटाव होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना के गठन की कार्यवाही गतिमान है।
2.		खाती गॉव ,रावतसेरा	जगह –जगह कुलूर नदी से बैंक कटिंग की सम्भावना है योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है ।
3.		ग्राम अकसोड़ा से बालीघाट के मध्य	पेंगुर नदी, नारी गंधेरा, एवं गोरखेत गंधेरा से विभिन्न, स्थलों पर भूकटाव की सम्भावना है। रोकथाम हेतु नाधर, चोरा, डुंगरी, सिन्तोला एवं चिमली तोक पर बाढ़ सुरक्षा काय्र कर सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।
4	गरुड़	सुराग	ग्राम जखेड़ा से अपस्ट्रीम में सुराग ग्राम के मध्य में स्थित नाले द्वारा भूधसाव एवं भूकटाव की सम्भावना है।
5.	कपकोट	गुलेर, खडकू	भण्डारीखेत से गुलेर तक भूस्खलन की सम्भावना है।
6		लीथी	विगत वर्षों से भूस्खलन हो रहा है एवं जमीन धस रही है ।
7		माजखेत क्षेत्र बोरगॉव सिमाती तोक	भू-धसाव की स्थिति हो रही है।
8		परपटी क्षेत्र चीराबगड़	नाले से कटाव व भू- धसाव
9		सुमगढ	नाले से कटाव व भू- धसाव
10		चेटाबगड़, क्षेत्र ढोलडुगा	नाले से भू-कटाव व भू-धसाव
11		कर्मी क्षेत्र हयात	भूमि कटाव व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र ।

		गडरा	
12		चीराबगड़ क्षेत्र खाईबगड़	नाले से कटाव एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र । वर्ष 2014-15 में इस नाले में आयी बाढ़ से आवासीय भवन एवं जान-माल की क्षति
13		गैरखेत क्षेत्र सीमार तोक	सरयू नदी की मुख्य धारा सीमार तोक की ओर से होने से ग्रामवासी भवनों को खतरा है।
14		गैरखेत क्षेत्र मल्ला पातल	दोगाड़ गधेरे से कटाव एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र आवासीय भवनों को खतरा है।
15		पोलिग क्षेत्र	सरयू नदी से भू – कटाव हो रहा है।
16		असों क्षेत्र बगजीवाला	सरयू नदी के बाये पार्श्व (बैंक) का लेवल कम होने के कारण बाढ़ की स्थिति में जल भराव की सम्भावना है।
17		कपकोट क्षेत्र	भुरकुटी नाले से कटाव
18		क्वारी क्षेत्र	शम्भू नदी से कटाव के कारण भू –स्खलन तथा आवासीय भवनों को खतरा।
19.		चीराबगड़,खाईबगड़	वर्ष 2013-14 की आपदा में आवासीय भवन को क्षति व भू कटाव जान माल का नुकसान
20.		भृकुटी	संवेदनशील क्षेत्र
21		बदियाकोट	वर्ष 2013 की आपदा में क्षेत्र का सम्पर्क टूट गया।
22		कुजगाड़ी	संवेदनशील क्षेत्र
23		भृकुटी	संवेदनशील क्षेत्र
24		गैनाड़	संवेदनशील क्षेत्र

कपकोट अन्तर्गत बाढ़ की दृष्टिगत संचालन प्रक्रिया –

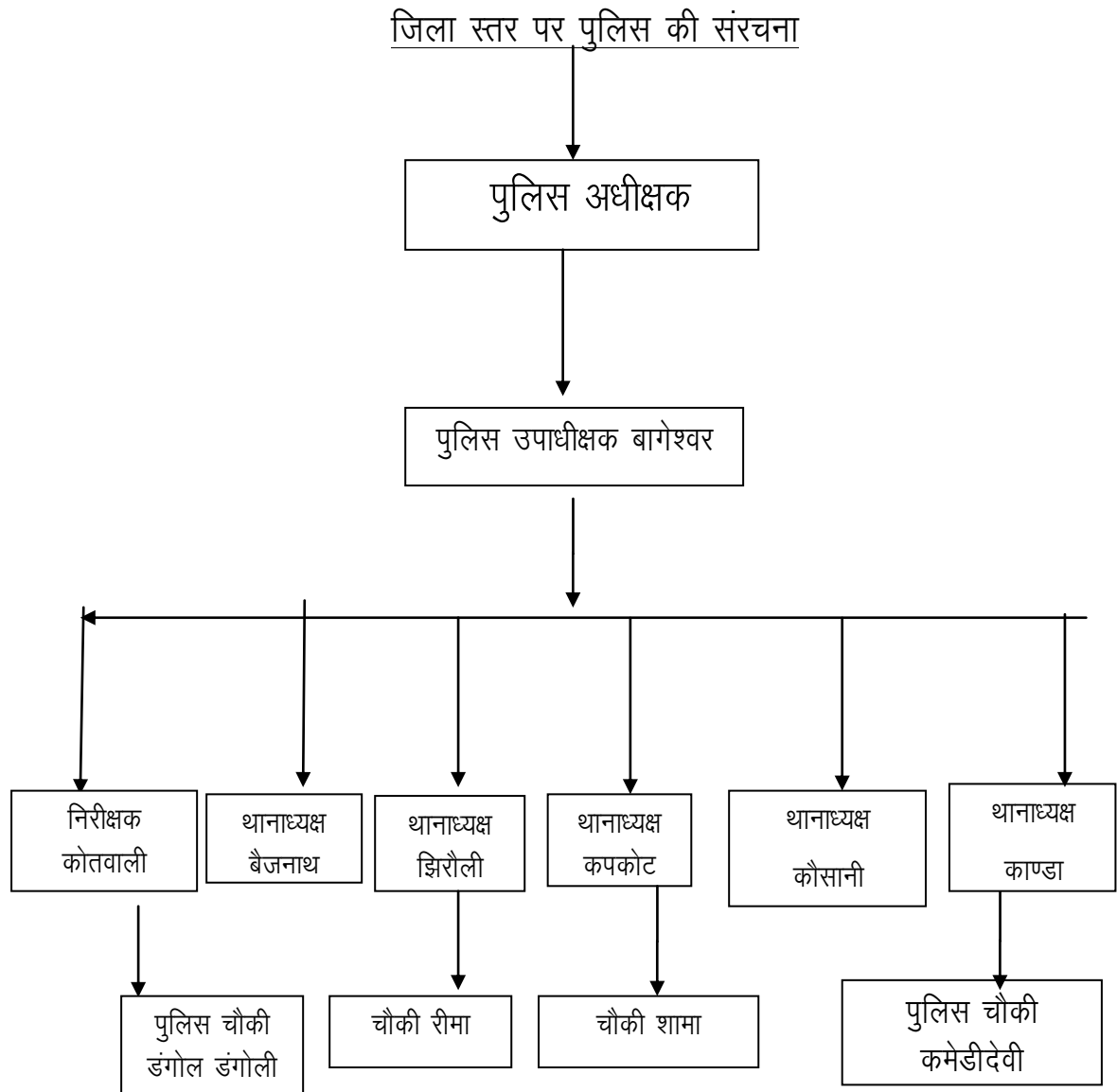
- सिचाई खण्ड कपकोट में बहने वाली सरयू नदी के रिवर गेज की स्थापना सरयू नदी पर बने कपकोट पुल पर की गयी है। सरयू नदी का चेतावनी स्तर 1133.00 मीटर तथा खतरे का स्तर 1134.00 मीटर चिह्नित किया गया है।
- सिचाई खण्ड कपकोट कार्यालय में रेनगेज की स्थापना की गयी है।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कार्यालय में 24x7 की तर्ज पर तैनाती की जाती है।

6.2 पुलिस विभाग बागेश्वर ::

:प्रस्तावना::

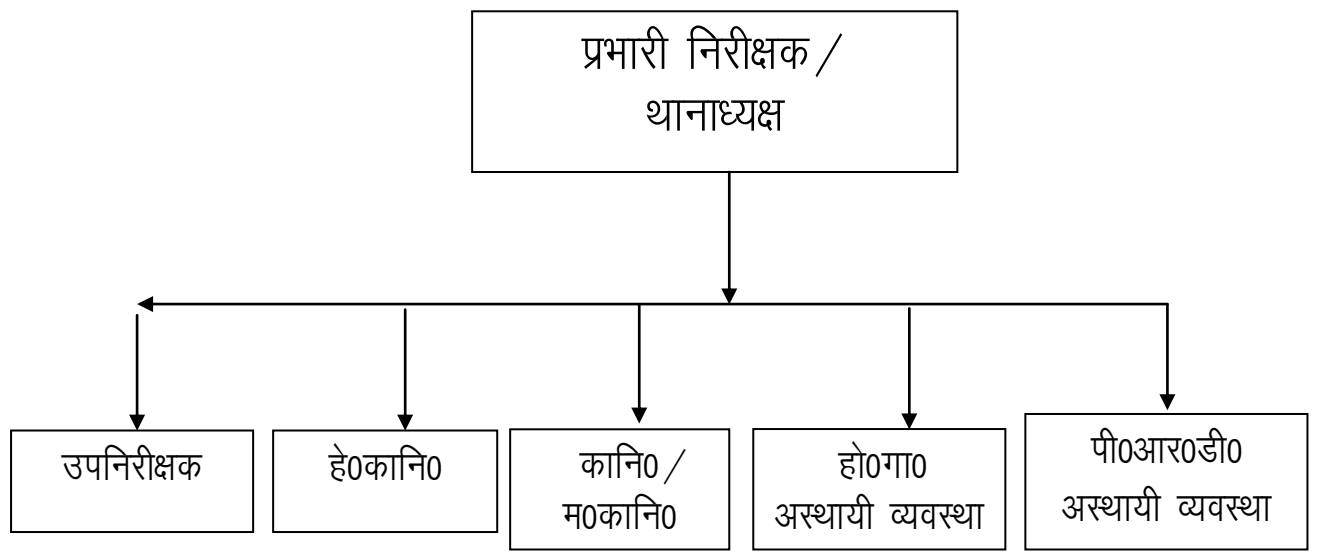
जनपद बागेश्वर भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील जोन-5 क्षेत्र है । यदि इसकी भौगोलिक संरचना व पूर्व इतिहास को दृष्टिगत किया जाये तो यह क्षेत्र भूस्खलन, भूकम्प, वनाग्नि, बाढ़ व बादल के फटने जैसी आपदाओं से न केवल त्रस्त रहा है अपितु इनका खतरा सदैव बना रहता है । आपदायें टाली नहीं जा सकती परन्तु सचेत रहने व पूर्व तैयारी से आपदाजनित क्षति को न्यूनीकृत किया जा सकता है ।

जनपद में दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु राहत एवं बचाव कार्यों में, जनसहभागिता एवं अन्य विभागों से समन्वय सुनिश्चित करते हुये, पुलिस विभाग की भूमिका की कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है ।



थाना स्तर पर पुलिस की संरचना





—:आपदा से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही:—

- 1— एक विशेष योजना के अन्तर्गत समस्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा आपदा राहत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2— यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक थाने में आपदा राहत में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाये।
- 3— प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाने में मौजूद आपदा राहत उपकरणों तथा प्रशिक्षित स्टाफ की सूची कार्यालय में प्रदर्शित करेंगे।
- 4— सप्ताह में किसी एक दिन समस्त आपदा राहत के उपकरणों का प्रदर्शन थानाध्यक्ष के समक्ष किया जायेगा तथा थानाध्यक्ष इन उपकरणों की स्थिति व रख-रखाव की रिपोर्ट उस-प्रयोजन हेतु बनाये गये पृथक रजिस्टर में करेंगे।
- 5— पर्यवेक्षण अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन उपकरणों के रख रखाव का भी निरीक्षण करेंगे तथा कार्मिकों से मॉक-ड्रिल कराएंगे।

जनपद में तैनात एस०डी०आर०एफ० टीम के कर्मचारियों का विवरण। (वन विभाग की चौकी जसौली में रह रहे हैं।)

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	मो०न०
1	हे०कानि० सुन्दर सिंह बोरा	7037039497
2	कानि० 2460 सन्तोष परिहार	9761452739
3	कानि० 2259 दिनेश पुरी	8057064026
4	कानि० 692 रोहित काण्डपाल	7579290215
5	कानि० 939 गोविन्द कोरंगा	7617729121
6	कानि० 969 सोहन चौबे	9456140153
7	कानि० 3696 महेश ऐठानी	8755502259

आपदा/वर्षा सीजन के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु थाना कपकोट क्षेत्रान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले 02 अस्थाई वायरलैस स्टेशन—

क्र०सं०	क्षेत्र	विवरण
1.	खड़किया	जनपद मुख्यालय से 80 किमी की दूरी पिण्डारी रूट पर।
2.	खलीधार	जनपद मुख्यालय से 50 किमी की दूरी सौंग रूट पर।

जनपद मुख्यालय बागनाथ मन्दिर स्थित जल पुलिस चौकी में तैनात कर्मचारी।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	मो०न०
1	हे०कानि०प्र० 28 ना०पु० राम बहादुर	9837921066

2	फायर मैन भगवत सिंह	7500228444
3	होमगार्ड रमेश राम	8193867169
4	होमगार्ड पूरन चन्द्र	9627806599

जनपद में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किये गये आपदा कोर्स का थाना/शाखावार विवरण।

क्र०सं०	नाम थाना	नाम अधि०/कर्म०	क्र०सं०	थाना	नाम अधि०/कर्म०
01	पुलिस लाईन	कानि० 05 स०पु० दीपक कुमार	29	थाना झिरौली	उ०नि० श्री कृष्ण गिरी
02		कानि० 15 स०पु० कुलदीप कुमार	30		हे०कानि० 07 ना०पु० सुजान सिंह
03		कानि० 27 स०पु० मनोज सिंह	31		कानि० 05 ना०पु० देवेश पाण्डेय
04		कानि० 34 स०पु० बलवीर कुमार	32		कानि० 16 ना०पु० धर्मेन्द्र सिंह
05		कानि० 36 स०पु० नरेन्द्र सिंह	33		कानि० 21 ना०पु० केशव राम
06		कानि० 41 स०पु० धीरज सिंह	34		कानि० 30 ना०पु० दीपक कुमार
07		कानि० 47 स०पु० हरीश भाकुनी	35		कानि० 46 ना०पु० उमा शंकर
08		कानि० 48 स०पु० सुरेश गुंसाई	36		कानि० 114 ना०पु० शेर अकबर
09		कानि० 59 ना०पु० देवराज सिंह	37		कानि० 160 ना०पु० सूरज कुमार
10		कानि० 68 ना०पु० भूपाल सिंह	38		कानि० 165 ना०पु० उमेद सिंह
11		कानि० 73 स०पु० कृपाल सिंह	39		कानि० 174 ना०पु० राजेन्द्र सिंह
12		कानि० 82 स०पु० मनोज जोशी	40	थाना कौसानी	कानि० 33 ना०पु० अनिल नाथ
13		कानि० 83 स०पु० शंकर भाकुनी	41		कानि० 57 ना०पु० संजय कुमार
14		कानि० 89 स०पु० आनन्द राम	42		कानि० 131 ना०पु० प्रेम सिंह
15		कानि० 94 स०पु० नरोत्तम प्रसाद	43		कानि० 140 ना०पु० ललित नेगी
16		कानि० 134 ना०पु० जगदीश आर्या	44		कानि० 149 ना०पु० सुरेन्द्र कुमार
17		कानि० 158 ना०पु० पंकज कुमार	45		कानि० 186 ना०पु० बिजेन्द्र कुमार
18		कानि० 187 ना०पु० हरीश कोटाल	46	थाना बैजनाथ	कानि० 47 ना०पु० योगेश कुमार
19	कोतवाली बागेश्वर	म०उ०नि० लता जोशी	47		कानि० 69 ना०पु० बसन्त लाल
20		म०उ०नि० मीना रावत	48		कानि० 115 ना०पु० जीवन चन्द्र पाण्डे
21		उ०नि० श्री त्रिवेणी प्रसाद	49		कानि० 138 ना०पु० कमल चन्द्र
22		कानि० 32 ना०पु० अशोक पंवार	50		कानि० 144 ना०पु० दीपक बिष्ट
23		कानि० 40 ना०पु० नन्दू कुमार	51		कानि० 154 ना०पु० सुरेश कुमार
24		कानि० 51 ना०पु० प्रदीप आर्या	52		कानि० 176 ना०पु० जगदीश आर्या
25		कानि० 54 ना०पु० लोकेश उपाध्याय	53		कानि० 177 ना०पु० ब्रिजेश गोस्वामी
26		कानि० 64 ना०पु० तारा कापड़ी	54		कानि० 182 ना०पु० नीरज बाणी
27		कानि० 113 ना०पु० भगत पांगती	55		कानि० 195 ना०पु० कृष्ण कुमार
28		कानि० 202 ना०पु० नरेन्द्र गोस्वामी	56		कानि० 204 ना०पु० सन्तोष कुमार

थाना काण्डा

क्र०सं०	नाम थाना	नाम अधि०/कर्म०	क्र०सं०	नाम थाना	नाम अधि०/कर्म०
57	थाना काण्डा	थानाध्यक्ष श्री गोविन्दबल्लभ भट्ट	69	चौकी कमेड़ीदेवी	कानि० 12 ना०पु० रविन्द्र नाथ
58		उ०नि० श्री पूरन चन्द्र जोशी	70		कानि० 79 ना०पु० किशोर कुमार
59		उ०नि० श्री बंशी लाल	71		कानि० 106 ना०पु० भगत राम
60		हे०कानि० 20 ना०पु० सुरेन्द्र सिंह	72		कानि० 193 ना०पु० नवीन चन्द्र
61		कानि० 04 स०पु० राज कुमार	73		कानि० 196 ना०पु० राजेश भट्ट
62		कानि० 11 ना०पु० राजेन्द्र मेहरा	74	चौकी डंगोली	कानि० 148 ना०पु० चन्दन सिंह

63		कानि0 23 ना0पु0 मुरलीधर पाण्डे	75	थाना	व0उ0नि0 श्री खुशवन्त सिंह
64		कानि0 36 ना0पु0 मनोज सिंह	76	कपकोट	कानि0 147 ना0पु0 प्रताप नाथ
65		कानि0 85 ना0पु0 शेखर जोशी	77		कानि0 162 ना0पु0 गोविन्द सिंह
66		कानि0 164 ना0पु0 कमल मेहरा	78		कानि0 200 ना0पु0 नरेन्द्र गिरी
67		कानि0 173 ना0पु0 अषोक कुमार	79		म0कानि0 123 ना0पु0 चम्पा
68		कानि0198 ना0पु0 मनोहर कापड़ी	—	—	—

फायर सर्विस बागेश्वर

क्र0सं0	नाम शाखा	नाम अधि0 / कर्म0	क्र0सं0	नाम शाखा	नाम अधि0 / कर्म0
80	फायर सर्विस बागेश्वर	ली0फा0 हरि सिंह	93	फायर सर्विस बागेश्वर	फा0मैन सोहन लाल
81		ली0फा0 बलवीर सिंह	94		फा0मैन त्रिलोक सिंह
82		चा0 जगदीश सिंह	95		फा0मैन नीरज बालियान
83		चा0 चन्द्र प्रकाश	96		फा0मैन रवि सिंह
84		चा0 हरि सिंह	97		फा0मैन सूर्य प्रकाश
85		चा0 योगेश शर्मा	98		फा0मैन सुशील कुमार
86		चा0 मनोज सिंह	99		फा0मैन भारत सिंह
87		चा0 जीवन चन्द्र	100		फा0मैन रविन्द्र चन्द्र
88		फा0मैन नवीन चन्द्र जोशी	101		फा0मैन राजेन्द्र तिरुवा
89		फा0मैन सूरज सिंह	102		फा0मैन प्रकाश चन्द्र
90		फा0मैन दीपक वर्मा	103		फा0मैन जितेन्द्र पाल
91		फा0मैन महेश सिंह	104		फा0मैन राजेन्द्र प्रसाद
92		फा0मैन सुखदेव सिंह	105		फा0मैन भगवत सिंह

जनपद में आपदा राहत बचाव सम्बन्धी उपकरणों की उपलब्धता का थाना/शाखावार विवरण।

क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या	क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या
01	पुलिस लाईन	हार्डबोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02	28	कोतवाली बागेश्वर	क्लैम्बिंग हेल्मेट विथ टॉर्च	01
02		सीपीआर मास्क	02	29		रेनसूट	04
03		रोपलैंडर 20 मीटर	01	30		मिटन	04
04		लाईफबॉय	02	31		स्टील बॉक्स बड़ा	01
05		मिटन	03	32		सर्च लाईट	01
06		गैठी	02	33		टेप सिलिंग	02
07		सबल	01	34		रोप लैंडर	01
08		गमबूट साईज-6,7,8	09	35		रोप 11.5 मिमी 50 मीटर	02
09		बॉडी हारनेस	02	36		कैराबिनर	01
10		टेपसिलिंग	02	37		सीट हारनेस	02
11		डोम टेण्ट-04 मैन	01	38		जुमार	01
12		फैमली टेण्ट	01	39		हार्डबोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02
13		सीट हारनेस	02	40		सीपीआर मास्क	02
14		डिसेण्डर	02	41		लाईफबॉय	03
15		पुली सिंगल	02	42		डाम स्टैन	01
16		पुली डबल	02	43		फैमली टेण्ट	01
17		कैराबिनर	01	44		मल्टी परपज रोप	01
18		सर्चलाईट	02	45		पुली डबल	02
19		रेनकोट	05	46		बॉडी बैग	03
20		आरा बड़ा	02	47		रुकसुक बैग	02
21		दराती	02	48		फैमली टैण्ट	02
22		स्टील बॉक्स मय ताला	01	49		कुल्हाड़ी	02
23		बेल्टा	02	50		डिसेण्डर फिगर ऑफ 08	02
24		कुल्हाड़ी	02	51		लाईफ जैकेट	02
25		जुमार	01	52		हैन्ड लाड स्पीकर	01
26		गैलन, 05 व 10 लीटर	02	53		फोल्डिंग स्ट्रैचर 03 फोल्ड	02
27		रोप 50/100 मीटर	02	54		स्लीपिंग बैग	02

क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या	क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या
55	कोतवाली बागेश्वर	आरा बड़ा	02	82	थाना झिरौली	फावड़ा	12
56		पुली सिंगल	04	83		सबल	09
57		इलैक्ट्रिक सायरन	01	84		हैण्ड एक्स बिग	08
58		बेल्टा	02	85		तसला 15 इंच	04
59		गैलन, 05 व 10 लीटर	02	86		नायलोन टॉरपोलिन 12'4 फीट	04
60		बॉडी बैग	03	87		पेट्रो मैक्स 02 कि०ग्रा	02
61		दराती	02	88		फोर सैल टॉर्च	08
62		फायरएग्सिट्यूशर 09 ली	01	89		रेनसूट	14
63		फा०ए० मैकेनिकल फोम 09 लीटर	01	90		मिटन	16
64		फा०ए०डी०सी०पी० 09ली०	01	91		कैरी मेट विथ कवर	12
65		गम बूट साईज-6,7,8	09	92		टिन बॉक्स	02

66	थाना झिरौली	रेनकोट	05	93	वुड कटन	01
67		रोप नायलन	04	94	पोर्टेबलइन्पेलेमबलइमरजेन्सी लाईट विथ जनरेटर	01
68		मोन्यूरिंग रोप विथ पुली	04	95	मल्टीपरपस रोप110 मीटर	01
69		टेप सिलिंग	12	96	पोर्टेबल स्ट्रैचर	01
70		रोप लैडर 20 मीटर	03	97	हैण्ड लाउडस्पीकर	01
71		मनीला रोप 50 मीटर	02	98	आरयरन कटर पोर्टेबल	01
72		कैराबिनर	04	99	फॉयरएग्सिट्यूशर 09 ली0	01
73		हैमर पिटन	08	100	फा0ए0मैकेनिकलफोम09ली	01
74		सीट हारनेस	06	101	फा0ए0डी0सी0पी010 ली0	01
75		जुमार	08	102	फोल्डिंग स्ट्रैचर	01
76		डिसेण्डर	08	103	हार्ड बोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02
77		लाईफ जैकेट	14	104	सीपीआर मास्क	02
78		नायलन टॉरपोलिन	01	105	गमबूट साईज-6,7,8	09
79		गैठी	12	106	स्लीपिंग बैग	02
80		बैल्चा	08	107	फुल बॉडी हारनेस	02
81		फर्स्ट एड बॉक्स	02	108	टैप सिलिंग	02

क्र0सं0	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या	क्र0सं0	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या
109	थाना झिरौली	मल्टी परपज रोप 11.5 मी0 100 मीटर	01	137	थाना कौसानी	पुली सिंगल	02
110		सीट हारनेस	02	138		पुली डबल	01
111		डिसेण्डर	02	139		मिटन	03
112		पुली सिंगल	02	140		रेनकोट	05
113		कैराबिनर	01	141		आरा बड़ा	02
114		रेनकोट	05	142		गैठी	01
115		आरा बड़ा	02	143		फावड़ा	01
116		दराती	02	144		बैल्चा	02
117		स्टील बॉक्स विथ ताला	01	145		सबल	01
118		बैल्चा	02	146		कुल्हाड़ी	02
119		गैलन, 05 व 10 लीटर	02	147		दराती	02
120		बॉडी बैग	03	148		स्टील बॉक्स विथ ताला	01
121		रुकसुक बैग	02	149		गैलन , 05 व 10 लीटर	02
122		फैमली टैण्ट	01	150		बॉडी बैग	03
123	थाना कौसानी	स्लीपिंग बैग	02	151	थाना बैजनाथ	रुकसुक बैग	01
124		फुल बॉडी हारनेस	02	152		वुडन कटर	01
125		माउन्टेनिंगरोप100 मीटर	01	153		फैमली टैण्ट	01
126		हार्ड बोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	01	154		हेल्मेट विथ टॉर्च	13
127		सीपीआर मास्क	01	155		पेट्रोमैक्स	02
128		टेप सिलिंग	01	156		फोर सैल टॉर्च	10
129		रोप लैडर	01	157		रेनकोट	21
130		डोमटैण्ड 04 मैन	01	158		कैरी मेट	12
131		जुमार	01	159		फर्स्ट एड बॉक्स	02
132		गमबूट, साईज 6,7, 8	08	160		हैण्ड लाईट स्पीकर	01

133		मल्टी परपस रोप 11.5 मिमी 100 मीटर	01	161		फोल्डिंग स्ट्रैचर	02
134		सीट हारनेस	02	162		सीपीआर मास्क	02
135		डिसेण्डर	02	163		लाइफबॉय	02
136		कैराबिनर	01	164		लाइफ जैकेट	09

क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या	क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या
165	थाना बैजनाथ	फायर एग्जिट्यूशर 09 लीटर	01	193	थाना बैजनाथ	दराती	02
166		फा०ए० मैकेनिकल फोम 09 लीटर	01	194		गैलन, 05 लीटर	02
167		फा०ए० डी०सी०पी० 10 लीटर	01	195		गैठी	06
168		ड्रैगन लाईट	02	196		बेल्टा	06
169		स्लीपिंग बैग	02	197		फावड़ा	06
170		आरा बड़ा	02	198		सब्बल	09
171		वुडन कटर	01	199		कुल्हाड़ी	04
172		हाईड्रॉलिक रेस्क्यू कटर	01	200		तसला	04
173		बॉडी बैग	02	201		मल्टी परपस रोप 11.5 मिमी	01
174		रुकसुक बैग	02	202	थाना काण्डा	हार्ड बोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02
175		टिन बॉक्स बड़ा	02	203		सीपीआर मास्क	02
176		टिन बॉक्स छोटा	01	204		रोप लैडर 20 मीटर	01
177		फुल बॉडी हारनेस	02	205		मिटन	03
178		फैमली टैण्ट	03	206		गैठी	02
179		पुली सिंगल	02	207		फावड़ा	02
180		पुली डबल	02	208		सब्बल	01
181		माउन्टेनिंग रोप विथ पुली	02	209		गमबूट साईज- 6,7,8	09
182		रोप नाईलोन	04	210		स्लीपिंग बैग	02
183		टेप सिलिंग	14	211		फुलबॉडी हारनेस	02
184		रोप लैडर 30 फीट	02	212		माउन्टेनिंग रोप 100 मीटर	02
185		रोप लैडर 20 फीट	01	213		टेप सिलिंग	02
186		कैराबिनर	05	214		डोम्ब टैण्ट	01
187		हैमर पिटन	08	215		फैमली टैण्ट	01
188		सीट हारनेस	08	216		जुमार	01
189		जुमार	08	217		हैण्ड लाउडस्पीकर	01
190		डिसेण्डर	10	218		मल्टी परपज रोप	02
191		मिटन	16	219		सीट हारनेस	02
192		गमबूट साईज- 6,7,8	09	220		डिसेण्डर	02

क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या	क्र०सं०	नाम थाना	नाम उपकरण	संख्या
221	थाना काण्डा	पुली सिंगल	02	248	थाना कपकोट	मिटन	04
222		पुली डबल	02	249		गैठी	02
223		कैराबिनर	01	250		फावड़ा	02
224		सर्च लाईट	02	251		सब्बल	01

225		रेनकोट	05	252		गमबूट साईज-6,7,8	09
226		आरा बड़ा	02	253		स्लीपिंग बैग	02
227		दराती	02	254		फुलबॉडी हारनेस	02
228		स्टील बॉक्स विथ ताला	01	255		माउन्टेनिंग रोप 100 मीटर	01
229		बेल्ट	02	256		टेपसिलिंग	02
230		कुल्हाड़ी	02	257		डोम्ब टैण्ट	01
231		गैलन, 05 व 10 लीटर	02	258		फैमली टेण्ट	01
232		बॉडी बैग	03	259		जुमार	01
233	थाना कपकोट	रस्सा	02	260		मल्टी परपस रोप 11.5 मिमी0 100 मीटर	01
234		टेण्ट छोटा	01	261		सीट हारनेस	02
235		बैग	01	262		डिसेण्डर	02
236		स्ट्रैचर	02	263		पुली सिंगल	02
237		लाउड स्पीकर	01	264		पुली डबल	02
238		रेनकोट	04	265		कैराविनर	01
239		लाईफ जैकेट	02	266		सर्चलाईट	01
240		हेल्मेट विथ टॉर्च	01	267		रेनकोट	05
241		इलैक्ट्रिक सायरन	01	268		आरा बड़ा	02
242		फायर एग्सिट्यूषर 09 लीटर	01	269		दराती	02
243		फा0ए0 मैकेनिकल फोम 09 लीटर	01	270		स्टील बॉक्स मय ताला	01
244		फा0ए0 डी0सी0पी0 09 लीटर	01	271		बेल्ट	02
245		हार्ड बोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02	272		कुल्हाड़ी	02
246		सीपीआर मास्क	02	273		सोलर लाईट	02
247		रोपलैडर 20 मीटर	01	274		लाईफबॉय	

क्र0सं0	नाम शाखा	नाम उपकरण	संख्या	क्र0सं0	नाम शाखा	नाम उपकरण	संख्या
275	फायर	फुलबॉडी हारनेस	02	303	फायर	रेस्क्यू काटा	01
276	सर्विस	टेपसिलिंग	02	304	सर्विस बागेश्वर	सेफटी टूल	01
277	बागेश्वर	डोम टेण्ट-04 मैन	01	305		हेल्मेट	03
278		फैमली टेण्ट	01	306		हेल्मेट विथ टॉर्च	01
279		जुमार	01	307		कॉम्बी टूल्स	02
280		सीट हारनेस	02	308		माउन्टेनिंग रोप	04
281		डिसेण्डर	02	309		वुडन सॉ कटर	01
282		पुली सिंगल	02	310		पोर्टेबल इलैक्ट्रिक बॉक्स लैम्प	02
283		पुली डबल	02	311		साधारण ब्लैकेट	02
284		कैराविनर	01	312		सर्च लाईट	02
285		आरा बड़ा	02	313		स्पेड	03
286		दराती	02	314		रबर ग्लव्स	08
287		हार्ड बोर्ड फाईबर स्ट्रैचर	02	315	फायर	रेस्क्यू वाहन एम्बुलेंस	01
288		सीपीआर मास्क	01	316	सर्विस	कैनवास स्ट्रैचर	03

289		मिटन	03	317	गरुड़	इन्फालाईटेड लाईटिंग टॉवर	02
290		बॉडी बैग	01	318		मल्टीपरपस रोप 11.5 मिमी0 100 मीटर	02
291		स्ट्रैचर	13	319		लाइफबॉय	01
292		रस्सा	09	320		लाइफ जैकेट	02
293		सॉवेल	04	321		ड्रैगन लाईट	02
294		पिंक एक्स	04	322		रेस्क्यू कॉटा	01
295		फर्स्ट एड बॉक्स	02	323	फायर सर्विस कपकोट	डायमण्ड चेन सॉ कटर	01
296		हैमर	02	324		सर्कुलर सॉ कटर	01
297		लाइफबॉय	04	324		कूलिंग पम्प	01
298		लाइफ जैकेट	04	325		हाईड्रॉलिक पम्प	01
299		सर्चलाईट मय केबल	02	326		हाईड्रॉलिक कटर पय पावर पम्प	01
300		ड्रैगन लाईट	02	327		आसका लाईट	02
301		इन्फालाईटेड लाईटिंग टॉवर	02	328		क्लाईबिंग रोप	01
302		क्विक रिलिफ नाईफ	02	329	—	—	—

6.3:: चिकित्सा विभाग ::

जनपद में विगत वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, कई स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भी जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जनपद अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में संस्थान/केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है—

स्वास्थ्य विभाग में संस्थान/केन्द्रों का विवरण —

क्रम0सं0	स्वास्थ्य संस्थान	संख्या	स्थान
1.	जिला चिकित्सालय	01	बागेश्वर
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	03	कपकोट, बैजनाथ, काण्डा
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	07	दोफाड़, काफलीगैर , पालडीछीना, धारी, डोबा, पोथिंगं, बदियाकोट, जखेड़ा
4.	अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	08	छानी ,बनलेख, फरसाली, शामा, लोहारखेत , कन्धार, कौसानी, जाख नौखानाखुमटिया
5.	रा0एलो0चिकित्सालय	14	कमेडीदेवी, घिघारतोला, बोहाला, रवाईखाल, खन्तोली ,खातीगाँव, सानिउडियार, लाहुर, उद्यमस्थल , जलमानी, खाती, देवनायी, घेटी, वज्यूला,

दैवीय आपदा एक्शन प्लान

प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था—

तीनों विकासखण्डों में कहीं भी भूकम्प/दैवीय आपदा/संकट की स्थिति में राहत दल घटना स्थल अथवा घटना स्थल के नजदीक ही स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था प्रारम्भ कर देंगे। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था वाले कार्यदल में चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स वार्ड ब्याय एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाएँ उपलब्ध रहेगी।

गंभीर घायलों का स्थानान्तरण—

गंभीर घायलों को क्षेत्र में कार्यरत राहत दल के पास उपलब्ध एम्बुलेंस के जरिये जिला चिकित्सालय बागेश्वर अथवा अन्य बड़े चिकित्सालयों में स्थानांतरित किया जायेगा। घायलों हेतु स्ट्रेचर विकासखण्डों में गठित दल में उपलब्ध एम्बुलेंस में उपलब्ध कराये गये हैं।

जीवन रक्षक एवं अन्य आवश्यक दवाओं की व्यवस्था—

राहत दलों को पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक तथा अन्य आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध करायी गयी हैं। ग्राम सभा में फर्स्ट एड बाक्स चिकित्सा समिति द्वारा दिये जायेंगे।

तीनों विकास खण्डों में 108 सेवा उपलब्ध है।

जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड वार चिकित्सा दलों का गठन एवं स्थिति निम्नवत् है।

1. डॉ० सत्य प्रकाश त्रिपाठी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, /डॉ० सैयद असद अब्बास, वरि० चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बागेश्वर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर संकट/भूकंप/आपदा प्रबंधन दल का गठन निम्नवत् किया गया है।

पं जिला मुख्यालय/विकासखण्ड बागेश्वर के दल की स्थिति—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलेंस संख्या	दूरभाष संख्या
---------	-----	-------	--------	------------------	---------------

					नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ० अब्बास	चिकित्सा अधिकारी	8126633860	UP 32Z1802	05963-220136 05963-221755
2.	श्री हरीष एठानी	फार्मासिस्ट	9412314789		
3.	श्रीमती उमा	स्टाफ नर्स	9458993599		
4.	श्री देवेन्द्र सिंह दोसाद	लैब टैक्नीषियन	9458665504		
5.	श्री हरीष चन्द्र जोषी	वार्ड ब्वाय	9720770611		

इण विकासखण्ड बैजनाथ के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ० राजेश सिंह गुन्जयाल	चिकित्सा अधिकारी	7451821340	UA 07E1787	05963-250572
2.	श्री आनन्द लाल वर्मा	फार्मासिस्ट	9410871870		
3.	श्रीमती रष्मि पाण्डे	स्टाफ नर्स	9411349630		
4.	श्री रीता गोस्वामी	लैब टैक्नीषियन	8650356085		
5.	श्री कमलेश गोस्वामी	वार्ड ब्वाय	9720650392		

बण विकासखण्ड कपकोट के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ० बृजेश रावत	चिकित्सा अधिकारी	9415515813	UA 07E1786	05963-253052
2.	श्री आर०एस०कपकोटी	फार्मासिस्ट	9410568706		
3.	श्री हरगोविन्द आर्या	लैब टैक्नीषियन	9456886671		
4.	श्रीमती प्रियंका रावतकपकोटी	स्टाफ नर्स	9412344456		
5.	श्री कल्याण सिंह	वार्ड ब्वाय	9411349681		

आवश्यक सेवाओं की पुर्नस्थापना-

स्वास्थ्य सेवाओं की पुर्नस्थापना हेतु विकासखण्डवार निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है।

- विकासखण्ड बागेश्वर हेतु डॉ० एस०पी०त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक, / डॉ० सैयद असद अब्बास, वरि० चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
- विकासखण्ड कपकोट हेतु डॉ० बृजेश रावत ,प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु०स्वा०केन्द्र कपकोट।
- विकासखण्ड बैजनाथ हेतु डॉ० राजेश सिंह गुन्जयाल , प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ।

प्रारूप

क्र० सं०	नोडल/सहनोडल अधिकारी का नाम	नाम/पदनाम	तैनाती स्थल	दूरभाष नम्बर	आपदा गठित नामित सदस्यों का पूर्ण विवरण/प्राथमिक उपचार	आपदा पीडितों परिवार हेतु चिन्हित आश्रय/भवनों के नाम	विभागीय उपकरणों/वाहनों की संख्या नाम सहित	आपदा के समय कार्य आने वाले उपकरणों के नाम/उपकरणों को चलाने वाले कर्मों का नाम
1.	नोडल अधिकारी	डॉ० जे०सी०मण्डल/मुख्य चिकित्साधिकारी	बागेश्वर	9411037939 05963-221822	—	—	—	—
2.	ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी	डॉ० ए०पी०त्रिपाठी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	9557538211 05963-220136 05963-221755	➤ डॉ० अब्बास, वरि० चिकित्साधिकारी ➤ श्री हरीश एठानी, फार्मासिस्ट ➤ श्रीमती उमा, स्टाफ नर्स ➤ श्री देवेन्द्र सिंह दोसाद, लैब टैक्नीशियन ➤ श्री हरीश चन्द्र जोशी, बार्ड ब्वाय	—	एम्बुलेंस संख्या UP 32Z1802	चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध है तथा प्राथमिक उपचार किया जाता है।
3.	ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी	डॉ० राजेश सिंह गुन्जयाल प्रभारी चिकित्साधिकारी,	सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ	7451821340 05963-250572	➤ डॉ० नरेन्द्र कीर्ति, चिकित्साधिकारी ➤ श्री आनन्द लाल वर्मा, फार्मासिस्ट ➤ श्रीमती रश्मि पाण्डे, स्टाफ नर्स ➤ श्रीमती रीता गोस्वामी, लैब टैक्नीशियन ➤ श्री कमलेश गोस्वामी, बार्ड ब्वाय	—	एम्बुलेंस संख्या UA 07E1787	चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध है तथा प्राथमिक उपचार किया जाता है।
4.	ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी	डॉ० बृजेश रावत, चिकित्सा अधिकारी,	सामु०स्वा०केन्द्र कपकोट	9415515813 05963-253052	➤ डॉ० एस०डी०के० सिंह, चिकित्साधिकारी ➤ श्री आर०एस०कपकोटी फार्मासिस्ट ➤ श्री हरगोविन्द आर्या, लैब टैक्नीशियन ➤ श्रीमती प्रियंका रावत कपकोटी ➤ श्री कल्याण सिंह, बार्ड ब्वाय	—	एम्बुलेंस संख्या UA 07E1786	चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध है तथा प्राथमिक उपचार किया जाता है।

दैवीय आपदा हेतु मोबाइल टीम

1-जिला मुख्यालय/विकासखण्ड बागेश्वर के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ0 सैयद असद अब्बास	चिकित्सा अधिकारी	9412319414	नं 321802	05963-220136 05963-221755
2.	श्री हरीष एठानी	फार्मासिस्ट	9412314789		
3.	श्रीमती उमा	स्टाफ नर्स	9458993599		
4.	श्री देवेन्द्र सिंह दोसाद	लैब टैक्नीषियन	9458665504		
5.	श्री हरीष चन्द्र जोषी	वार्ड ब्याय	9720770611		

2-विकासखण्ड बैजनाथ के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ0 राजेश सिंह गुन्जियाल	चिकित्सा अधिकारी	7451821340	UA 07E1787	05963-250572
2.	श्री आनन्द लाल वर्मा	फार्मासिस्ट	9410871870		
3.	श्रीमती रष्मि पाण्डे	स्टाफ नर्स	9411349630		
4.	श्रीमती रीता गोस्वामी	लैब टैक्नीषियन	8650356085		
5.	श्री कमलेश गोस्वामी	वार्ड ब्याय	9720650392		

4. विकासखण्ड कपकोट के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ0 बृजेश सिंह रावत	चिकित्सा अधिकारी	9415515813	UA 07E1786	05963-253052
2.	श्री आर0एस0कपकोटी	फार्मासिस्ट	9410568706		
3.	श्री हरगोविन्द आर्या	लैब टैक्नीषियन	9456886671		
4.	श्री प्रियंका रावत कपकोटी	स्टाफ नर्स	9412344456		
5.	श्री कल्याण सिंह	वार्ड ब्याय	9411349681		

4-तहसील काण्डा के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ0 हरीष कुमार पोखरिया	चिकित्सा अधिकारी	9411526457	UA 32Z1802	05963-253052
2.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे	फार्मासिस्ट	9410163599		

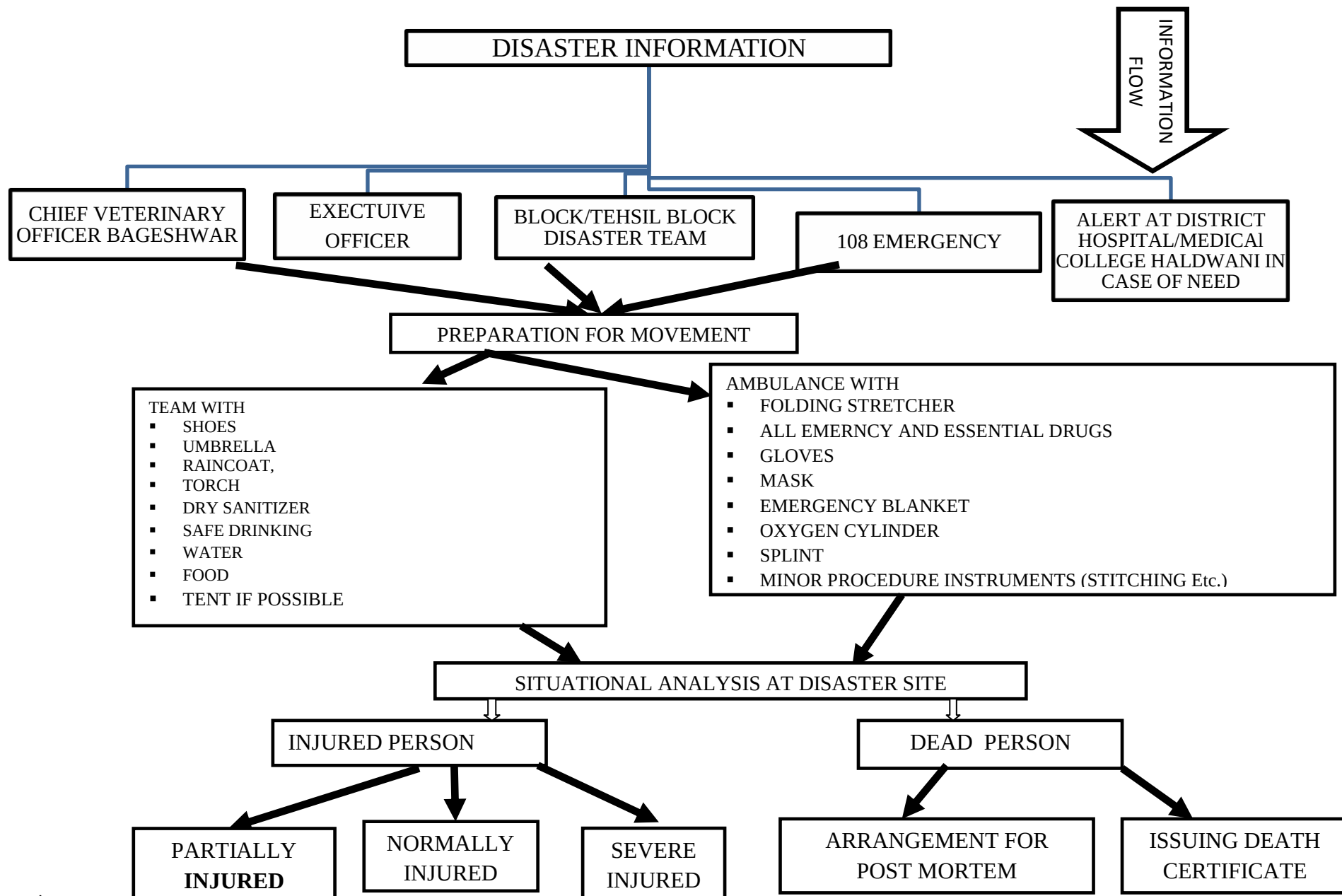
3.	श्री रोहित कुमार	स्टॉफ नर्स	9675211498		
4.	श्री आषुतोश धपोला	लैब टैक्नीषियन	9761124002		
5.	श्री दरबान सिंह	वार्ड ब्वाय	8859628605		

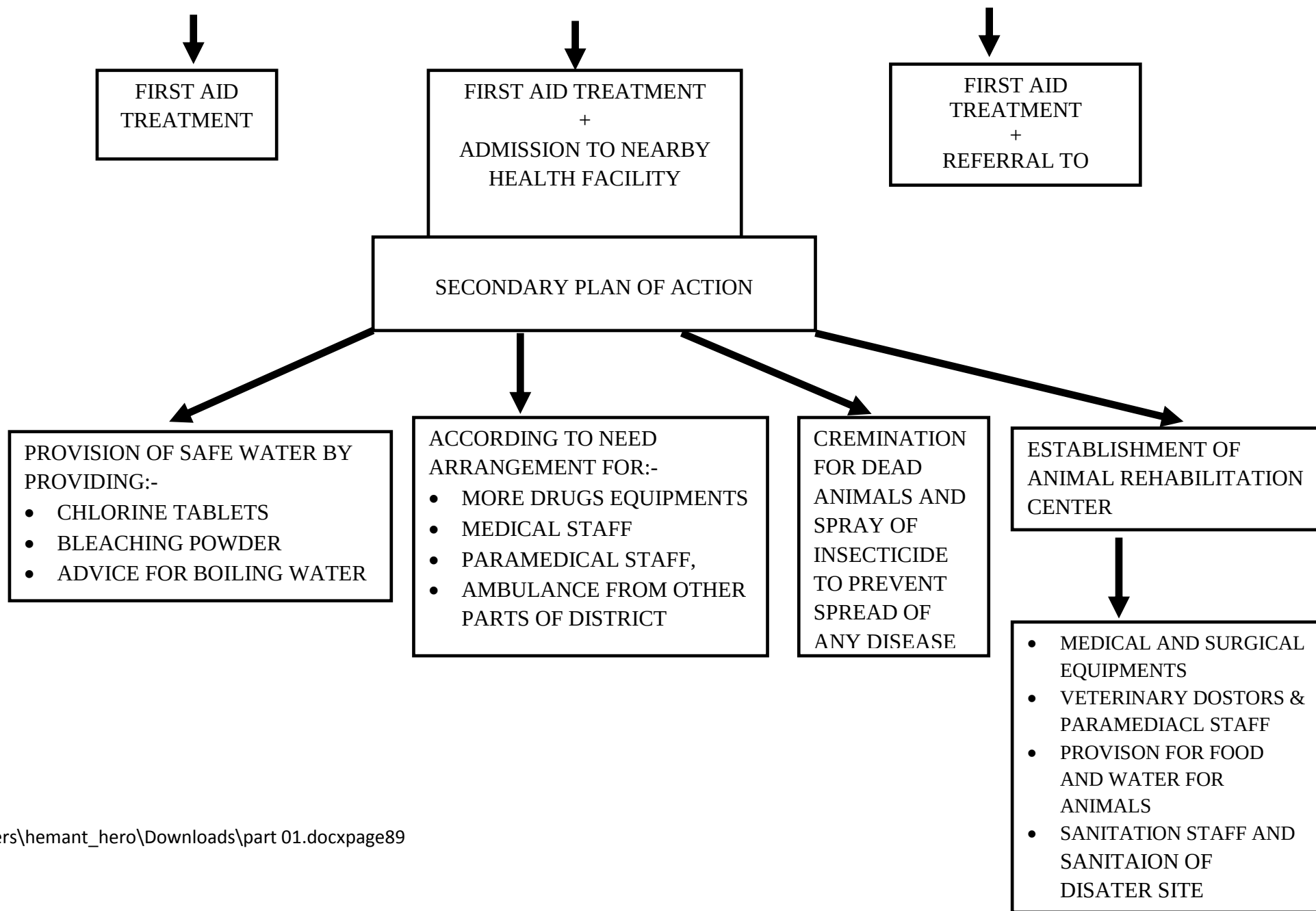
5-तहसील काफलीगैर के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	डॉ० पी०एस०जंगपांगी	चिकित्सा अधिकारी	9412094584		05963-253052
2.	श्री पी०सी०तिवाडी	फार्मासिस्ट	9410307516		
3.	श्री तिलकराज	वार्ड ब्वाय	9456401851		

6-तहसील दुग नाकुरी के दल की स्थिति-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	एम्बुलैस संख्या	दूरभाष संख्या नियंत्रण कक्ष
1.	श्री दीपक कुमार	चिकित्सा अधिकारी	9811886727		05963-253052
2.	श्री नवीन चन्द्र आर्या	वार्ड ब्वाय	9720806818		





Task Force-01 Nodal-डॉ० पी०एस० जंगपांगी प्रा०स्वा०केन्द्र-छानी

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
01	डॉ० पी०एस० जंगपांगी	चिकित्सा अधिकारी	9412094584
02	श्री पी०सी० तिवाड़ी	फार्मासिस्ट	9410307516
03	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे	वार्ड ब्वाय	9456401851

Task Force-02 Nodal-डॉ० बृजेश सिंह रावत सामु०स्वा०केन्द्र-कपकोट

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
01	डॉ० बृजेश सिंह रावत	चिकित्सा अधिकारी	9415515813
02	श्री आर०एस०कपकोटी	फार्मासिस्ट	9410568706
03	श्री प्रियंका रावत कपकोटी	स्टॉफ नर्स	9412344456
04	श्री कल्याण सिंह	वार्ड ब्वाय	9411349681

Task Force-03 Nodal-डॉ० राजेश सिंह गुन्जयाल सामु०स्वा०केन्द्र-बैजनाथ

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
01	डॉ० राजेश सिंह गुन्जयाल	चिकित्सा अधिकारी	7451821340
02	श्री आनन्द लाल वर्मा	फार्मासिस्ट	9410568706
03	श्रीमती रश्मि पाण्डे	स्टॉफ नर्स	9759749682
04	श्री कमलेश गोस्वामी	वार्ड ब्वाय	9720650392

Task Force-04 Nodal-डॉ० हरीष कुमार सामु०स्वा०केन्द्र-काण्डा

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
01	डॉ० हरीश कुमार पोखरिया	चिकित्सा अधिकारी	9411526457
02	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे	फार्मासिस्ट	9410163599
03	श्री रोहित कुमार	स्टॉफ नर्स	9675211498
04	श्री दरबान सिंह कोरंगा	वार्ड ब्वाय	8859628605

Task Force-05 Nodal-डॉ० सत्य प्रकाश त्रिपाठी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
01	डॉ० सैयद असद अब्बास	चिकित्सा अधिकारी	8126633860

02	श्री हरीष ऐठानी	फार्मासिस्ट	9412314789
03	श्रीमती उमा	स्टॉफ नर्स	9458993599
04	श्री हरीष चन्द्र जोशी	वार्ड ब्वाय	9720770611

जनपद में आपदा हेतु एम्बुलेंस की स्थिति

क्र० सं०	वाहन चालक का नाम	वाहन संख्या	मो० नं०
01	श्री कैलाश सिंह धर्मशक्तू (काण्डा)	UA 32Z1802	9412976985
02	श्री नन्दन सिंह (बैजनाथ)	UA 07E1787	8006702373
03	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा (कपकोट)	UA 07E1786	9758006336
04	श्री खीम सिंह (बागेश्वर)	UA 07E1556	7055261680

जनपद अन्तर्गत 108 एम्बुलेंस की स्थिति

क्र० सं०	वाहन चालक का नाम	वाहन संख्या	वाहन का स्थान	मो० नं०
01	श्री मोहन सिंह	UK 07GA0580	रीमा	9720714417
02	श्री हेम चन्द्र	UK 07GA0241	बागेश्वर	8126384997
03	श्री भोपाल सिंह	UK 07GA0161	कपकोट	9760428378
04	श्री मयंक	UK 07GA0206	काण्डा	9568014363
05	श्री हरी लाल	UK 07GA0115	कौसानी	8938068180

जनपद अन्तर्गत अस्पताल का विवरण

S. No.	Type of Facilities	Hospital name	Quantity
1.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	60 बैड
2.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	सामुस्वा केन्द्र बैजनाथ	30 बैड
3.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	सामुस्वा केन्द्र कपकोट	30 बैड
4.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	सामुस्वा केन्द्र काण्डा	10 बैड
5.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र कौसानी	04 बैड
6.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र कन्धार	04 बैड
7.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र जखेड़ा	04 बैड
8.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र पोथिंग	04 बैड
9.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र शामा	04 बैड
10.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र फरसाली	04 बैड
11.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिप्रास्वा केन्द्र लोहारखेत	04 बैड
12.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	प्रास्वाकेन्द्र बदियाकोट	04 बैड
13.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिस्वा केन्द्र बनलेख	04 बैड
14.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिस्वा केन्द्र दोफाड़	04 बैड
15.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिस्वा केन्द्र काफलीगैर	04 बैड
16.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिस्वा केन्द्र छानी	04 बैड
17.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	अतिस्वा केन्द्र बालडीछीना	04 बैड
18.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	प्रास्वा केन्द्र, धारीडोबा	04 बैड
19.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि घेटी	04 बैड
20.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि दौनोई	04 बैड
21.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि बज्यूला	04 बैड
22.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि लाहुर	04 बैड
23.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि जलमानी	04 बैड
24.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि उद्यमस्थल	04 बैड
25.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि खाती	04 बैड
26.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि खातीगांव	04 बैड
27.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि खन्तौली	04 बैड
28.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि सानिउडियार	04 बैड
29.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि धिंघारतौला	04 बैड
30.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि रवाईखाल	04 बैड
31.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि बोहाला	04 बैड
32.	ओपीडी आईपीडी इमरजेन्सी	राएलो चिकि कमेडीदेवी	04 बैड

6.4:: पशुपालन विभाग बागेश्वर ::

सम्भावित विशिष्ट आपदाओं के प्रबन्धन हेतु संकट प्रबन्धन की कार्ययोजना

पशुपालन विभाग, जनपद-बागेश्वर।

तहसील का नाम— बागेश्वर/काण्डा/काफलीगैर/कपकोट/गरुड़

1- भूकम्प/बाढ़ के खतरे के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का उपयुक्त स्थल बनाये रखने हेतु समयबद्ध कार्य योजना—

पशुओं के लिए व्यवस्थाएँ—

- अस्थाई गौशालाओं हेतु स्थान का चिन्हांकन— भूकम्प/बाढ़ आने की स्थिति में अस्थाई गौशालाओं की व्यवस्था हेतु भूकम्प/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सुरक्षित खाली जगह पर ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से लकड़ी एवं बाँस के खम्बों को लगाकर तिरपाल/प्लास्टिक की सीट से चारों ओर बन्द कर अस्थाई गौशालाओं का निर्माण किया जायेगा एवं क्षेत्र में सुरक्षित विभागीय भवनों/अन्य सरकारी भवनों को भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- चारे पानी एवं अन्य व्यवस्था— भूकम्प/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सूखी घास/चारा उपलब्ध होने पर पशुपालकों से ही उनके उपयोग के अतिरिक्त सूखी घास/चारा कूट किया जायेगा, भूसा एवं अन्य रेडीमेड चारा/पौष्टिक चारे के कूट की त्वरित कार्यवाही करनी होगी। पानी की व्यवस्था स्वयं पशु पालकों द्वारा स्थानीय जल स्रोतों/नजदीक की नदी से की जायेगी। जल संस्थान एवं जल निगम से त्वरित उक्त क्षेत्र में पानी का अस्थाई संयोजन लिया जायेगा। इस क्रम में सम्बन्धित विभाग को भी त्वरित कार्यवाही/सहयोग देना होगा।
- पशुओं को सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजना— पाँचों तहसीलों—गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, काण्डा, काफलीगैर में दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विभागीय टीम बनाई गयी है, उक्त टीम द्वारा जनसहयोग/स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की कार्यवाही की जायेगी। विभागीय कर्मचारियों की कमी होने पर दैनिक श्रमिकों को लगाया जाना प्रस्तावित है, दैनिक मजदूरों को देय धनराशि का भुगतान दैवीय आपदा मद से किया जाना प्रस्तावित है।
- भूकम्प/बाढ़ से घायल पशुओं की चिकित्सा हेतु व्यवस्थाएँ व क्षेत्रवार उत्तरदायित्व का निर्धारण— पाँचों तहसीलों में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों के नेतृत्व में विभागीय कर्मचारियों की चिकित्सा एवं राहत टीम गठित की गयी है, घायल पशुओं का उपचार उपलब्ध दवा सामग्री से त्वरित रूप से किया जायेगा, यदि आवश्यकीय दवाईयों का अभाव रहा तो त्वरित दवा सामग्री कूट की जायेगी। उक्त पर होने वाले व्यय की धनराशि दैवीय आपदा से उपलब्ध करानी होगी। उपचार व्यवस्था हेतु पाँचों तहसीलों में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर गो0ब0प0वि0वि0 पन्तनगर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान के विषय विशेषज्ञों से उपचार हेतु मार्ग दर्शन/भ्रमण हेतु विभाग त्वरित कार्यवाही करेगा। अन्य नजदीकी जनपदों से भी टीम बुलाई जाएगी।
- मृत पशुओं के शवों के निस्तारण हेतु व्यवस्था— मृत पशुओं का पंचनामा व घायल पशुओं की चिकित्सा— विधिक औपचारिकताओं हेतु क्षेत्रवार उत्तरदायित्वों का निर्धारण— उपरोक्त व्यवस्था हेतु तहसील स्तर में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से पंचनामा/यथा स्थिति पोस्टमार्टम करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। भूकम्प के कारण मृत पशुओं का पंचनामा कर शवों का निस्तारण करना उचित होगा।

पशुओं के शवों के निस्तारण हेतु व्यवस्था—

- भूकम्प/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों/स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से पशुओं के शवों को गड्डों में नियमानुसार गाड़ दिया जायेगा। मृत पशुओं को त्वरित निस्तारण न करने की स्थिति में महामारी की सम्भावना हो सकती है, इस कार्य हेतु यथा स्थिति दैनिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, दैनिक श्रमिकों को मजदूरी हेतु भुगतान होने वाली धनराशि का भुगतान दैवीय आपदा मद से किया जाना प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्र में उपरोक्त कार्य हेतु जे0सी0बी0 मशीन उपयोग में लायी जायेगी, जिसका किराया भुगतान दैवीय आपदा मद से किया जाना प्रस्तावित है।
- दैवीय आपदा की स्थिति में त्वरित अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधीनस्त स्टाफ को राहत/उपचार व्यवस्था हेतु निर्देश दिये जायेंगे एवं आपदा प्रबन्धन केन्द्र को आवश्यक सहयोग हेतु अवगत करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों से त्वरित कार्यवाही की जायेगी, आकस्मिक दवा सामग्री क्रय पर होने वाले व्यय की सूचना से अवगत कराते हुए धनराशि की मांग प्रेषित की जायेगी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

सूखा राहत की कार्ययोजना—

जनपद के पॉचों तहसीलों में सूखा पडने के कारण चारा उत्पादन न होने की दशा में निम्न प्रकार सम्भावित पशुधन हेतु कार्ययोजना—

सूखे से प्रभावित तहसील	प्रभावित पशुओं की संख्या—प्रस्तावित	सूखा प्रभावित पशु 20 प्रतिशत
बागेश्वर	21200	4240
काण्डा	23000	4600
काफलीगैर उप तहसील	16000	3200
कपकोट	35000	7000
गरुड़	28000	5600

सूखाग्रस्त क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित प्रभावित पशुओं हेतु चारे की कमी का ऑकलन—

क्र० सं०	जनपद	सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या	कुल पशु	सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित पशु गौवंशीय एवं महिषवंशीय 20%कुल पशु संख्या—		चारा भूसा प्रति बड़े पशु 4 किलो प्रतिदिन अतः 14000 पशुओं हेतु प्रति 30 दिन हेतु अनुमानित आवश्यकता (मी०टन में)	चारा भूसा प्रति छोटे पशु 1किलो प्रतिदिन अतः 10640 पशुओं हेतु 30 दिन हेतु अनुमानित आवश्यकता की (मी०टन में)
				बड़े पशु	छोटे पशु		
1	बागेश्वर	5	123200	14000	10640	1680	319.2

भूसा एवं पोषक आहार हेतु माइक्रोप्लानिंग

क्र० सं०	जनपद	चारा भूसा/पशु आहार हेतु धनराशि की आवश्यकता					
		14000 बड़े पशुओं हेतु सूखा चारा (CFB) 4 किलो प्रति पशु प्रतिदिन रू० 8 प्रति किलो की दर से एक दिन हेतु मात्रा— 56000 किलो का मूल्य रू०	10640 छोटे पशुओं हेतु सूखा चारा (CFB) 1 किलो प्रति पशु प्रति दिन रू० 8 प्रति किलो की दर से एक दिन हेतु मात्रा—10640 किलो का मूल्य रू०	एक दिन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	30 दिन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	दुलान पर व्यय धनराशि 20%	कुल योग 30 दिन हेतु
1	बागेश्वर	4,48,000	85,120	5,33,120	1,59,93,600	31,98,720	1,91,92,320

औषधि वैक्सीन, मिनरलमिक्चर एवं पानी की व्यवस्था हेतु माइक्रोप्लानिंग

क्र०सं०	जनपद का नाम	वैक्सीन औषधि हेतु 10 रु० प्रति पशु की दर से 24640 पशुओं हेतु धनराशि।	बड़े पशु 14000 आवश्यक मिनरल मि० 35 ग्राम प्रति पशु प्रति दिन की दर से एक दिन हेतु कुल मि०मि० 490 किलो अथवा 30 दिनों हेतु आवश्यकता 14700 किलो छोटे पशु 10640 आवश्यक मि०मि० 15 ग्राम प्रति पशु प्रति दिन की दर से एक दिन हेतु कुल मि०मि० 159.6 किलो ग्राम अथवा 30 दिनों हेतु आवश्यकता 4788 किलो अथवा कुल छोटे बड़े पशुओं को आवश्यक मि०मि० 30 दिनों हेतु 19488 किलो।	धनराशि की आवश्यकता (लाख में)	पानी व्यवस्था कय निर्माण आदि हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख में)	कुल धनराशि
1	बागेश्वर	2,46,400	19,488	38,97,600	पशुपालकों द्वारा स्वयं कीजायेगी।	41,44,000

नोट— जनपद में सूखे की स्थिति अनुमानतः 50 प्रतिशत (असिंचित एवं सिंचित भूमि) अनुमानित चारे की आवश्यकता मी०टन में 12 माह मानते हुए किया गया है। कुल पशुधन संख्या का 5 प्रतिशत दुधारु पशुओं हेतु भूसा एवं पशु आहार वितरण करना प्रस्तावित किया गया है। पशुपालकों का भूसा एवं पशु आहार उनकी माँगानुसार 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाना प्रस्तावित है, मिनरल मिक्चर 10000 पशुओं को 50 ग्राम प्रतिदिन दिया जाना एवं पशुपालकों को 3 किलोग्राम गेहूँ का भूसा एवं 1 किलोग्राम पशु आहार/उनकी माँगानुसार कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक (दुधारु/राहत) दिया जाना प्रस्तावित है। दैवीय आपदा के दौरान चारा आपूर्ति हेतु धनराशि की मांग जिला प्रशासन से दैवीय आपदा बजट के अन्तर्गत की जाएगी।

जनपद में चारा बैंकों की स्थिति—

क्र०सं०	जनपद का नाम	प्रस्तावित चारा बैंकों की स्थिति	पूर्ण चारा बैंकों की स्थिति	अभ्युक्ति
1	बागेश्वर	विकास खण्ड स्तर पर एक चारा बैंक स्थापित है	1—विकास खण्ड गरुड़ के पशु चिकित्सालय में स्थापित है। 2—विकास खण्ड बागेश्वर के पशु चिकित्सालय काण्डा में संचालित/स्थापित है। 3—विकास खण्ड कपकोट के पशु चिकित्सालय में स्थापित है।	चारा वितरण का कार्य प्रारम्भ —, — —, —

उपरोक्तानुसार तहसीलों में सूखे की स्थिति का ऑकलन करते हुए कार्ययोजना के अनुरूप यथास्थिति कार्य किया जायेगा। सम्भावित दैवीय आपदा के दृष्टिगत 24X 7 रिजर्व स्टॉक की उपलब्धता भी उप चारा बैंको में सुनिश्चित की जाएगी।

महामारी/रोग फैलने की कार्ययोजना—

जनपद के 5 तहसीलों हेतु गठित चिकित्सा राहत टीम द्वारा तहसील हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य किया जायेगा।

तहसीलवार कार्ययोजना के संचालन हेतु उत्तरदायित्व

क्र०सं०	तहसील का नाम	पशु चिकित्साधिकारी का नाम	दूरभाष नम्बर
1—	गरुड़	डा० पी०के०पाठक प०चि० गरुड़	9690723536
2—	बागेश्वर	डा० कमल तिवारी	9410111608
3—	काफलीगैर (उप तहसील)	डा० मयंक मैठाणी	7579037806
4—	काण्डा	डा० मृगेश चौधरी	8938805001
5—	कपकोट	डा० आर०आर०चन्तोला, प०चि०, कपकोट	9756841178
		डा० हिमांशु पाठक, प०चि०अ० खाती	9456776806
6—	रिजर्व	डा० ज्योति पूना, प०चि०अ०सचल	9756106129

3—उपलब्ध संसाधन—:

जनपद में 10 पशु चिकित्सालय 1 सचल पशु चिकित्सालय एवं 1 'द' श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 33 पशु सेवा केन्द्र, 2 भेड़ फार्म, 9 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, कार्यरत है, उक्त संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पशुपालकों को विभागीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है, शासन से प्राप्त बजटानुसार उक्त संस्थाओं हेतु दवा सामग्री क्रय कर उपलब्ध करायी जाती है। जिससे पशुपालकों के पशुधन की उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

दवाओं का क्रय शासन की क्रय नीति के अनुसार किया जाता है, दैवीय आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु उपचार व्यवस्था के लिए दवाओं के क्रय की आवश्यकता होगी कार्ययोजना में तदनुसार धनराशि प्रस्तावित की गयी है। सभी संस्थाओं पर विभागीय उपकरण/संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।

4—वैकल्पिक व्यवस्था—:

विभागीय संसाधनों के अतिरिक्त दैवीय आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु अतिरिक्त दवा सामग्री /आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी जो दैवीय आपदा मद से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

6.5 लोक निर्माण विभाग
आगामी मानसून की पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विस्तृत आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना 2019

क्र०स०	मार्ग का नाम	कार्यरत सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मोबाईल न०		मार्गों पर कार्यरत मेट / वर्क एजेन्ट का नाम / मोबाईल	मार्ग पर उपलब्ध गैंग बेलदार की संख्या	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम	आपरेटर / वाहन स्वामी का नाम एवं मोबाईल न०	लोकेशन जहाँ मशीन एवं आपरेटर उपलब्ध रहेंगे	वैकल्पिक मार्ग का नाम, लम्बाई तथा श्रेणी	बाढ / भूस्खलन की दृष्टि से खण्ड का नाम संवेदनशील स्थानों की सूची आपदा व बर्फवारी की दृष्टि व स्थापित मशीनों / श्रमिकों की स्थिति / संख्या	टिप्पणी	
		सहायक अभियन्ता	अपर सहा० अभि० / कनिष्ठ अभियन्ता									
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।												
1	बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग	श्री नवल किशोर द्विवेदी 9719974196	श्रीमती दीपिका 9410143687	श्री प्रताप सिंह मेट 7830253390	4	जे०सी० बी०	लो०नि०वि० श्री नरेन्द्र सिंह 7500636970	बागेश्वर	बागेश्वर-गिरेछी ना-सोमेश्वर मोटर मार्ग।			
2	बैजनाथ-ग्वालदम मोटर मार्ग।		श्री विरेन्द्र कुमार (मो०न० 9927268673)	श्याम सुन्दर जोशी (मो०नं० 9412969693)	—	जे०सी० बी०		डंगोली	डंगोली-स्याली-छटिया – घेटी –हरिनगरी-कुलाऊ मोटर मार्ग		—	
3	हरिनगरी-पप्पा मोटर मार्ग।		1						—		—	
4	विनोतोली-कुझाली मोटर मार्ग								—		—	
5	भिलकोट-अमरयारी मोटर								—		—	

	मार्ग ।								
6	कन्धार-रिठातल ला-पत्थरखानी मोटर मार्ग							-	-
7	डंगोली-सैलानी -दाड़िमखेत-ह रबाड़- पन्द्रहपाली-बाल ीघाट -दोफाड़-धरमध ार कोटमन्या पाखू-थल-सात सिलिंग मोटर मार्ग (एस0एच0-60) किमी0 1 से 38	श्री विरेन्द्र कुमार (मो0नं0 9927268673)	-	1	जे0सी0 बी0		डंगोली-बागेश्वर - बालीघाट मोटर मार्ग ।		इस मार्ग में किमी0 1 से 20 एवं किमी0 29 से 36 तक सिंचाई खण्ड, पी0एम0 जी0एस0 वाई बागेश्वर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है ।
8	डंगोली-स्याली -छटिया-हरिन गरी-कुलाऊ- ग्वालदम मोटर मार्ग ।	श्री अनुज (मो0नं0 9917104476)	भुवन चन्द्र मिश्रा (मो0नं0 9456126862)	1	जे0सी0 बी0		बैजनाथ-ग्वालद म मोटर मार्ग ।		-

9	जिन्तोली-उडखु ली-गढखेत मोटर मार्ग ।								-		-
10	डाकघट सिमगडी मोटर मार्ग ।								-		-
11	कन्धार-रौल्याना मोटर मार्ग								-		-
12	द्यागण-कठायत बाड़ा-आरे मोटर मार्ग	श्री कैलाश चन्द्र आर्या(मो0न0 9412823499)	श्रीमती भावना(मो0न0 9756390488)	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे(953682557 0)	-	जे0सी0 बी0	लो0नि0वि0श्री नरेन्द्र सिंह(7500636970)	बागेश्वर	द्यागण-आरे-बा गेश्वर मोटर मार्ग ।	-	-
13	बागेश्वर-कपको ट-तेजम मोटर मार्ग ।	श्री भुवन चन्द्र जोशी (मो0न0 9412906505)	श्रीमती भावना (मो0न0 9756390488)	श्री हयात सिंह (9858191198)	3		लो0नि0वि0 श्री सुन्दर सिंह) (9411760834)	बागेश्वर	-		-
14	बागेश्वर-गिरेछी ना-सोमेश्वर-द्वा राहाट- विमाण्डेश्वर-ईड I-रानीखेत मोटर मार्ग किमी0 1 से 20	श्री दिनेश चन्द्र जोशी (मो0न0 956851490)	श्री दानिश अख्तर (मो0न0 9410457466)	श्री प्रताप सिंह (मो0न0 9410774636)	4			बागेश्वर	बागेश्वर-गरुड़ सोमेश्वर मोटर मार्ग ।		-

15	अमसरकोट-सा तरतवे मोटर मार्ग			श्री नन्दन बोरा(मो०नं० 9411710741	—			बागेश्वर	—	—	—	
16	जिला जजी पहुच मार्ग ।				—			बागेश्वर	-	—	-	
17	जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच मार्ग	श्री भुवन चन्द्र जोशी (मो०न० 9412906505)	श्रीमती भावना (मो०न० 9756390488)	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे (मो०नं० 9536825570)	—	जे०सी० बी०	लो०नि०वि० श्री सुन्दर सिंह) (9411760834)	बागेश्वर	बागेश्वर-दफौट मोटर मार्ग ।	—	-	
18	जिला मुख्यालय रिंग मोटर मार्ग ।				—				बागेश्वर-कपको ट मोटर मार्ग ।	—	—	
19	अग्निकुण्ड पुल पहुँच मार्ग ।				—				—	—	—	
20	बागेश्वर-दफौट मोटर मार्ग	श्री कैलाश चन्द्र आर्या (मो०न० 9412823499)	श्री ललित सिराडी (मो०न० 9758668541)	श्री कौस्तुबानन्द तिवारी श्री शेखर चन्द्र फुलारा (मो०न० 9917178239)	2				—	—	—	—
									-	—	—	
						-	—	—				
21	कठपुडियाछीना -सेराघाट मोटर	श्री कैलाश चन्द्र(मो०न० 9412823499	श्री आर०पी०टम्टा(मो०न०	श्री राजेन्द्र प्रसाद (मो०न० 9411797473)				कठपुडि याछीना	—	—	—	

22	कठपुडियाछीना -रैखोली-बैडी मोटर मार्ग	)	9411132811)	श्री राजेन्द्र प्रसाद (मो0न0 9411797473)	—				—	—	—
23	चौगाँवछीना-ख कर्टम्टा-जोशीग ॉव मोटर मार्ग			श्री हरीश चन्द्र (मो0न0 7500980669)	—				काफलीगैर-झिरौ ली- देवलधार- पौडीधार मोटर मार्ग ।	—	—
24	नगला-गधेरा से नगला गाँव तक मोटर मार्ग ।			श्री राजेन्द्र प्रसाद (मो0न0 9411797473)	—				—	—	—
25	घटगाड लिंक मोटर मार्ग ।			श्री लीलाधर (मो0न0 7830454534)	—				—	—	—
26	दणोछीना-लोब मोटर मार्ग ।			श्री पूरन चन्द्र डंगवाल (मो0न0 9411573507)	—				—	—	—
27	धपोलासेरा-सिम कूना मोटर मार्ग ।	श्री भुवन चन्द्र जोशी (मो0न0 9412906505)	श्री सन्तोष पाण्डे (मो0न0 8959713991)	श्री महेश चन्द्र चौबे (मो0नं0 9012016995)	—				—	—	—
28	काण्डा-सुनारगाँ व मोटर मार्ग ।				1				—	—	—

29	धपोलासेरा-सिम कूना मोटर मार्ग ।		श्री सन्तोष पाण्डे (मो०न० 8959713991)						-	-	-
30	काण्डा-भाकड़प न्त मोटर मार्ग		श्री सन्तोष पाण्डे (मो०न० 8959713991)		-				-	-	-
31	सातचौरा-जल्था कोट मोटर मार्ग		श्री सन्तोष पाण्डे (मो०न० 8959713991)						-	-	-
32	काण्डा-सानिउडि डियार-रावतसेरा मोटर मार्ग	श्री भुवन चन्द्र जोशी (मो०न० 9412906505)	श्री चंचल सिंह कोरंगा (मो०न० 9458316754)	श्री मोहन सिंह (मो०न० 9411545241)	-				विजयपुर-खन्तो ली- सानिउडियार मोटर मार्ग	-	-
33	बासपटान-रावत सेरा मोटर मार्ग				-				-	-	-
34	विजयपुर-खन्तो ली-सानिउडिया र मोटर मार्ग ।				-				काण्डा-सानिउडि यार मोटर मार्ग ।	-	-
35	कौसानी-बैजना थ मोटर मार्ग ।	श्री ऋषिराज वर्मा(मो०न० 8090639676	श्री रविन्द्र कृष्ण जलाल(मो०न०	श्री कैलाश जोशी(मो०न० 9012748572)	5	जे०सी० बी०		गरुड़	बागेश्वर-गिरेछी ना- सोमेश्वर मोटर मार्ग ।	-	-

36	स्टेट बगला कौसानी तक पहुँच मार्ग ।।	)	8505809033)		1				—	—	—
37	अनाशक्ति आश्रम कौसानी तक पहुँच मार्ग ।				—				—	—	—
38	गरुड़ ब्लाक पहुँच मार्ग ।				—				—	—	—
39	गरुड़-कपकोटी -फल्याटी मोटर मार्ग ।				—				—	—	—
40	अकुणार्ई-अणा- लोहारचौरा मोटर मार्ग ।				—				—	—	—
41	गरुड़ घैना-लखनी मोटर मार्ग ।	श्री ऋषिराज वर्मा (मो०न० 8090639676)	श्री प्रदीप पुरी (मो०न० 9639741390)	श्री डुगर सिंह मेट मो०नं०-80066421 69	—				—	—	—
42	गरुड़ देवनाई मोटर मार्ग				—	जे०सी० बी०		गरुड़	—	—	—

खण्ड का नाम- निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

क्र0 स0	खण्ड का नाम एवं अधिशायी अभियन्ता का नाम तथा फोन नं0 एवं मो0न0	मार्ग का नाम, लम्बाई एवं श्रेणी	मार्ग से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो0न0	मार्ग बन्द होने की दशा में टीम लीडर (अपर सहायक अभियन्ता अथवा कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मो0न0)	टीम लीडर के साथ बेलदार/श्र मिकों की संख्या	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम जैसे: पोकलैण्ड/जे0स ी0बी0/डोजर/ रोवोट आदि	अ ट प र ट र / व ट ह न स् व ट म ी क ट न ट म ए व म ट ब ट	लोकेशन जहाँ मशीन एवं आपरेटर उपलब्ध रहेगे	वैकल्पिक मार्ग का नाम, लम्बाई तथा श्रेणी	ि ट प प ट ी

							इ ल न ०			
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

खण्ड का नाम:- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० कपकोट

1	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट श्री संजय कुमार पाण्डेय 05963-253385 एवं मो. नं. 9719471059	कपकोट -पिण्डारी -ग्लेशियर मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) लम्बाई- 18 किमी०	इं० राहुल आर्य मो०नं० 9690369208	श्री जी०एस० मेहरा (मो०नं० 9412044852)	4	विभागीय जे०सी० बी०			1- सौग खलीधा र हल्का वाहन मार्ग। (5 किमी०) 2- रिखाडी वाछम मोटर मार्ग-(पी०एम० जी०एस ०वाई०) - 21 किमी० 3- कपकोट कर्मि मोटर	
---	---	---	--	---	---	-----------------------	--	--	---	--

								मार्ग I(प ी0एम0 जी0एस 0वाई0) – 22 किमी0	
2		भानी रीठाबगड हरसिगियाबगड विनायक मोटर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई— 3.00 किमी0			2				किमी0 4 से 7 निर्माण खण्ड :
3		सौंग –खलीधार हल्का वाहन मार्ग (हल्का वाहन मार्ग)			2			1—कप कोट —पिण्डा री —ग्लेशि यर मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) 18 किमी0 2—कप कोट कर्म	

								मोटर मार्ग।(प ी०एम० जी०एस ०वाई०) — 22 किमी० 3— रिखाडी वाछम मोटर मार्ग—(पी०एम० जी०एस ०वाई०) — 21 किमी०	
4		भराडी से मनधुरा रामगंगा पुल तक (एस०एच०—60) लम्बाई— 24.67 किमी०		श्री गोविन्द सिंह (मो०नं० 9634314599)	5	निविदा आमंत्रित की जानी ह		खडलेख । भनार नामतीचे टाबगड मोटर मार्ग। शामा विनाय कधार से हरसिंगि याबगड भानी मोटर मार्ग	

5		खडलेख भनार मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई 8.00 किमी0		श्री पंकज पटवा (मो0नं0 9557940604)	0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	किमी0 8.00 से पी0एम0जी0एर बागेश्वर के अ
6		पोथिंग से पोथिंग भगवती मन्दिर तक मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई—3.00 किमी0		श्री दीपक उप्रती मो0न0 8979861084	0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
7		बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 18 से पाखड तक मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई —6.00 किमी0		कु0 गायत्री आर्य मो0न0 7579499979	0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
8		भयू गुलेर मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग)लम्बाई — 10 किमी0	इं0 हरीश जोशी मो0नं0 94111316141	श्री	0	विभागीय जे0सी0 बी0		कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
9		बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 21 से भयू गडेरा तक मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई— 17 किमी0		डी0एस0बधान ीमो0नं0 8053625029	0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
10		दूणी सुकुण्डा, गैरखेत मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई— 3.00 किमी0		श्री दीपक उप्रती मो0न0 8979861084	0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
11		कपकोट पोलिंग मोटर मार्ग (ग्रामीण		श्री सन्नी कुमार सैनी	0			कोई वैकल्पि	

		मार्ग) लम्बाई— 11 किमी0		(मो0नं0 9639301004)				क मार्ग नहीं है।		
12		बागेश्वर—कपकोट— शामा तेजम मोटर मार्ग(राज्य मार्ग नं0— 40) किमी0 11 से 24		श्री वेद प्रकाश (मो0नं0 9897116256)	8			शामा	1— बैजनाथ —बागेश्वर— बेरीनाग मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग) — 38 किमी0 2— किमी0 18 मे बैडा पाखड दोफाड पपों रताईस मोटर मार्ग	
13		बागेश्वर—दोफाड—ध रमघर कोटमन्या मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) लम्बाई 68 किमी0	इं0 गजेन्द्र सिंह मो0नं0 9568334620	श्री सन्तोष कुमार (मो0नं0 8057590150)	3	जे0सी0 बी0	निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	रीमा	1— बैजनाथ —बागेश्वर— बेरीनाग मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य	किमी0 01 से पी0एम0जी0एस के अर्न्तगत है

								मार्ग) —38 किमी०	
14		धरमघर सनगाड मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई— 8.00 किमी०			2			कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।	
15		चौरा गांव तक पहुँच मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई — 3. 00 किमी०		श्री सतीश कुमार (मो०नं० 7579024399)	0			कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।	
17		कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर पैदल माग लम्बाई— 40 किमी०		श्री जी०एस० मेहरा (मो०नं० 9412044852)	3			कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।	
18		कमेडीदेवी स्याकोट मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई— 9.00 किमी०	इं० पूरन सिंह फर्त्याल मो०नं० 8057970655	श्री ईश्वर जोशी (मो०नं० 9411197550)	3	जे०सी० बी०	निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	कॉडा	1— बागेश्वर दोफाड धरमघर कोटमन् या (मुख्य जिला मार्ग)— 69 किमी० 2— बैजनाथ —बागेश्वर वर— बेरीनाग मोटर

								मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग) – 38 किमी०	
19		ढालन खुनौली मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई– 8.00 किमी०			0			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
20		विजयपुर ढपटी मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई– 5.00 किमी०			1			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	
21		पन्त क्वैराली बिलखेत मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई– 10 किमी०		श्री दीपक कान्त (मो०नं० 9456759652)	1			कोई वैकल्पि क मार्ग नहीं है।	

खण्ड का का नाम—एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर

(अधिशाली अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद मो०नं०-9412951292 / 05963-221761)

क्र ० सं०	मार्ग का नाम लम्बाई एवं श्रेणी	मार्ग से संबंधित सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो०नं०	मार्ग बन्द होने की दशा में टीम लीडर (अपर सहायक अभियन्ता अथवा कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मो०नं०)	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम जैसे पोकलैण्ड/जे ०सी० बी०/ डोजर/रोबोट आदि	आपरेटर का नाम एवं मो०नं०	लोकेशन जहां मशीन एवं आपरेटर उपलब्ध रहेंगे	वैकल्पिक मार्ग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	10
1	सिमार-कन्स्यारी मोटर मार्ग	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788	जे०सी०बी०		बैजनाथ	—
2	अयारतोला-वज्यूला से चरसों मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804				—
3	बैजनाथ-बागेश्वर से तिलसारी मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री प्रकाश राम आर्या / 9536345719				मटे-तिलसारी मोटर मार्ग।
4	जैसर से रियूनीलखमार मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	कु० ममता विष्ट / 9917624464				—
5	अल्मोड़ा-गवालदम मोटर मार्ग के किमी० 82 से हवीलकुलवान मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804				—
6	कन्धार-रोल्याना मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—
7	कन्धार-रोल्याना से मजकोट मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री योगेश आर्या / 9557628361				—
8	कन्धार-रोल्याना मोटर मार्ग के किमी० 1 से सिमखेत मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री सन्दीप कुमार / 8307437432				—
9	कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788	जे०सी०बी०		गरुड़	—
10	मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—

11	कौसानी-भतड़िया मोटर मार्ग	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804				—
12	गरुड़-धैना-लखनी मोटर मार्ग अपग्रेडेशन	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788	जे0सी0बी0		गरुड़	—
13	मैथरो-पाटली से लखनी मोटर मार्ग ।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—
14	डंगोली-सैलानी मोटर मार्ग के किमी0 19 से गनीगांव मोटर मार्ग ।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788	जे0सी0बी0		वज्यूला	बालीघाट-पन्द्रपाली से ह मार्ग ।
15	डंगोली-सैलानी मोटर मार्ग अपग्रेडेशन	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—
16	जखेड़ा-डाकघट से लमचुला मोटर मार्ग ।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—
17	बालीघाट-दौफाड़ से धरमघर मार्ग अपग्रेडेशन	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री ललित कुमार / 9411267226 श्री अनिल गुरुरानी / 8899080804	जे0सी0बी0		दौफाड़	—
18	बालीघाट-पन्द्रपाली से पुरकोट मोटर मार्ग ।	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री नन्द किशोर / 9411349154				डंगोली-सैलानी मोटर मार्ग ।
19	पन्द्रपाली से हरबाड़ मोटर मार्ग ।	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री नन्द किशोर / 9411349154				—
20	बालीघाट-दौफाड़ से चौरा-भैरु मोटर मार्ग ।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804				—
21	धपोली-जेठाई मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804	जे0सी0बी0		काण्डा	—
22	कमेडीदेवी से भैसूडी मोटर मार्ग ।	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री प्रकाश राम आर्या / 9536345719	जे0सी0बी0		काण्डा	—
23	रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री नन्द किशोर / 9411349154				—

24	खातीगांव से देवतोली मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री नन्द किशोर / 9411349154				—	
25	बागेश्वर—गिरेछीना से जौलकाण्डे मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री संदीप कुमार / 8307437432	जे0सी0बी0		बागेश्वर	—	
26	काफलीगैर—खौलसीर मोटर मार्ग का पक्काकरण ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री ललित कुमार / 9411267226				—	
27	खौलसीर—नौगांव मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री ललित कुमार / 9411267226				—	
28	बिजौरीझाल से औखलसों मोटर मार्ग ।	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788				—	
29	सिमखेत से मैगड़ीस्टेट मोटर मार्ग ।	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी / 7465901004	श्री गिरीश चन्द्र / 9105583788 श्री संदीप कुमार / 8307437432				—	
30	बागेश्वर—तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग ।	श्री अजय पन्त / 9012249498	श्री अनिल कुमार गुरुरानी / 8899080804				—	
31	कठपुड़ियाछीना—फॉरेस्ट रोड से सिया मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री ललित कुमार / 9411267226				—	
32	कठपुड़ियाछीना—रैखोली से बौड़ी मोटर मार्ग ।	श्री दीप चन्द्र पन्त / 7579097081	श्री ललित कुमार / 9411267226				—	

खण्ड का नाम— अधिशासी अभियन्ता ग्रा0नि0वि0, पी0आई0यू0-2 पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट
श्री पी0सी0 जोशी (अधिशासी अभियन्ता) मो0नं0-7055613639 / 05963-220127

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	अधिशासी अभियन्ता का नाम/फोन नं0	मार्ग का नाम	मार्ग से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का नाम	मार्ग बन्द होने की दशा में टीम लीडर (अपर सहायक अभियन्ता, अथवा कनिष्ठ अभियन्ता)	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम जैसे पोकलैण्ड/ जे0सी0बी0 / डोजर/रोबोट	ठेकेदार/ ऑपरेटर का नाम एवं मो0 नं0	लोकेशन जहाँ मशीन एवं ऑपरेटर उपलब्ध रहेंगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्रा0नि0वि0, पी0आई0यू0-2 पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट	श्री पंकज कुमार, अधिशासी अभियन्ता / 7055613639	खडलेख-भनार मो0मा0 किमी0 8 से 15	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 भूपेन्द्र भट्ट (9458991047)	जे0सी0बी0	जे0सी0बी0 हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है	शामा
2			शामा-लीती गोगिना मो0मा0 ।	इं0 मनोज कुमार भट्ट (9412930380)	इं0 देवेन्द्र कुमार (9411525725)			
3			शामा नाकुडी मोटर मार्ग		इं0 भूपेन्द्र भट्ट (9458991047)			
4			हरसिला नान कन्यालीकोट मोटर मार्ग	इं0 सुरेश चन्द्र जोशी (8755870998)	इं0 देवेन्द्र कुमार (9411525725)			हरसिला
5			हरसिला पुडकुनी मोटर मार्ग	इं0 मनोज कुमार भट्ट (9412930380)	इं0 देवेन्द्र कुमार (9411525725)			
6			धरमघर माजखेत मो0मा0 ।	इं0 मनोज कुमार भट्ट (9412930380)	इं0 विमल कुमार (9456700659)			

7			रिखाडी बाछम मो0मा0 (0.00 से 15.35 किमी0)	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 देवेन्द्र कुमार (9411525725)			
8			रिखाडी बाछम मो0मा0 (15.35 से 30.20 किमी0)	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 जितेश मेलकानी (8477847748)			
9			रिखाडी बाछम मो0मा0 (30.20 से 42.70 किमी0)	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 जितेश मेलकानी (8477847748)	जे0सी0बी0	जे0सी0बी0 हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है	रिखाड़ी
10			रिखाडी बाछम मो0मा0 (42.70 से 53.20 किमी0)		इं0 देवेन्द्र कुमार (9411525725)			
11			मुनार बैण्ड से सूपी मोटर मार्ग	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 मोहित सैनी (7500466113)			
12	ग्रा0नि0वि0, पी0आई0यू0-2 पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट	श्री पंकज कुमार, अधिशासी अभियन्ता / 7055613639	बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 18 से लीली मोटर मार्ग	इं0 सुरेश चन्द्र जोशी (8755870998)	इं0 मोहित सैनी (7500466113)	जे0सी0बी0	जे0सी0बी0 हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है	कपकोट
13			चीराबगड पौथिंग मोटर मार्ग	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 विमल कुमार (9456700659)			
14			बी0के0टी0 मोटर मार्ग के किमी0 29 से फरसाली पल्ली मोटर मार्ग	इं0 के0एस0 लस्पल (8449806911)	इं0 भूपेन्द्र भट्ट (9458991047)			
15			कपकोट कर्मी तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग	इं0 मनोज कुमार भट्ट (9412930380)	इं0 जितेश मेलकानी (8477847748)			सरन

16		कपकोट कर्मी मोटर मार्ग के किमी 0.12 से तोली मोटर मार्ग	इं० सुरेश चन्द्र जोशी (8755870998)	इं० विमल कुमार (9456700659)			
17		कपकोट कर्मी मोटर मार्ग	इं० मनोज कुमार भट्ट (9412930380)	इं० देवेन्द्र कुमार (9411525725)			

खण्ड का नाम— निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लो०नि०वि०, बागेश्वर
श्री चतुरलाल, अधिशासी अभियन्ता मो०न० 9412410779 / 05963-220122

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मोबाईल न०		मार्गों पर कार्यरत मेट/वर्क एजेन्ट का नाम/मोबाईल	मार्ग पर उपलब्ध गैंग बेलदार की संख्या	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम	आपरेटर/वाहन स्वामी का नाम एवं मोबाईल न०	लोकेशन जहाँ मशीन एवं आपरेटर उपलब्ध रहेंगे	वैकल्पिक मार्ग का नाम, लम्बाई तथा श्रेणी	बाद/भूस्खलन की दृष्टि से खण्ड का नाम संवेदनशील स्थानों की सूची आपदा व बर्फवारी की दृष्टि व स्थापित मशीनों/श्रमिकों की स्थिति/संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बागेश्वर-दफौट मो० मार्ग	श्री चतुरलाल, अधिशासी अभियन्ता मो०न० 9412410779 इ० उदय राम (सहायक अभियन्ता) 7465058854	इं० जे०के० टम्टा 9758169105	ठेकेदार द्वारा वर्तमान में समस्त मार्गों में अनश्रवण के अन्तर्गत किया जा रहा है। 9897526121	ठेकेदार द्वारा वर्तमान में समस्त मार्गों में अनश्रवण के अन्तर्गत किया जा रहा है।	जे०सी०बी०	श्री दिनेश कुमार 9720955486	जे०सी०बी०— 1 बागेश्वर	ठेकेदार द्वारा वर्तमान में समस्त मार्गों में अनश्रवण के अन्तर्गत किया जा रहा है।	
2	पौडीबैण्ड से मैग्नेसाइड फैक्ट्री मो० मार्ग						श्री कपिल कुमार 8954090738	जे०सी०बी० 1 पाल्डीछीना		
3	शामा से लीती मो० मार्ग						श्री रंजीत धर्मसत्तू 9412996786	जे०सी०बी०— 1 शामा		
4	लीती बाजार से लीती गांव मो० मार्ग						महेश कपकोटी 9917753933	जे०सी०बी०—1 कपकोट		
5	भानीरीठाबगड-हरसिंगिया बगड विनायक मो० मार्ग			ठेकेदार द्वारा वर्तमान में समस्त मार्गों में अनश्रवण के अन्तर्गत किया जा रहा है। 9760092563			दिवान सिंह परिहार 94121100574	जे०सी०बी०— 1 हरसिला		
6	बागेश्वर-कपकोट तेजम मो० मार्ग									

खण्ड का नाम—राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत
अधिशासी अभियन्ता श्री बी०आर०टम्टा मो०न० —9411289401 कार्यालय दूरभाष न० 05966-220078

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मोबाईल न०	मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम	आपरेटर/वाहन स्वामी का नाम एवं	लोकेशन जहाँ मशीन एवं आपरेटर	वैकल्पिक मार्ग का नाम,	बाद/भूस्खलन की दृष्टि से खण्ड का नाम संवेदनशील स्थानों की	टिप्पणी
----------	--------------	---	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---	---------

		सहायक अभियन्ता	अपर सहा0 अभि0/कनिष्ठ अभियन्ता		मोबाईल न0	उपलब्ध रहेंगे	लम्बाई तथा श्रेणी	सूची आपदा व बर्फवारी की दृष्टि व स्थापित मशीनों / श्रमिकों की स्थिति/संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रा0मा0 संख्या 309A (कमेडीदेवी से अल्मोड़ा)	श्री हितेश काण्डपाल (मो0न0 8126431438)	श्री संजय कार्की (मो0न0 9411544433) श्री अजय पाल सिंह निराला मो0न0 (7300798207) श्री मुकेश रावत मो0न0 (8410525860)	जे0सी0बी0	निविदा आमंत्रित की जा रही है		—	—	—

खण्ड का नाम—कार्यालय विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर
अधिशाली अभियन्ता श्री नन्दन सिंह माजिला मो0न0 —9412996142 —कार्यालय दूरभाष न0 05963—220029

क्र0 स0	मार्ग का नाम	कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता का नाम एवं मोबाईल न0		मार्ग खोलने हेतु मशीन का नाम	आपरेटर/वाहन स्वामी का नाम एवं मोबाईल न0	लोकेशन जहाँ मशीन एवं आपरेटर उपलब्ध रहेंगे	वैकल्पिक मार्ग का नाम, लम्बाई तथा श्रेणी	बाढ़/भूस्खलन की दृष्टि से खण्ड का नाम संवेदनशील स्थानों की सूची आपदा व बर्फवारी की दृष्टि व स्थापित मशीनों /श्रमिकों की स्थिति/संख्या	टिप्पणी
		सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कठपुडियाँछीना – सेराघाट मोटर मार्ग	श्री जे0एन0मीणा (7500315727)	श्री हरीश चन्द्र (8395892074)	जे0सी0बी0	अर्जुन (7465838901)	बोहाला			
2.	अकुणाई अणा मोटर मार्ग		श्री मुकेश कुमार (8395892073)						
3.	भयू-गुलेर मोटर मार्ग								
4.	भयू-गढेरा मोटर मार्ग								
5.	कपकोट तहसील से पोलिंग मोटर मार्ग								

6.6 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन बागेश्वर ::

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन का जनपद स्तरीय प्रधान कार्यालय जनपद मुख्याल बागेश्वर में स्थापित है। वर्तमान में खण्ड कार्यालय के अधीन दो उपखण्ड कार्यालय क्रमशः विद्युत वितरण उपखण्ड, (प्रथम) एवं विद्युत वितरण उपखण्ड (द्वितीय) कार्यरत हैं। जो बागेश्वर स्थित 33/11 केवी उपकेन्द्र परिसर में स्थापित हैं। उपखण्डवार स्थापित उपकेन्द्रों की सूचना निम्नवत् है –

(अ)– विद्युत वितरण उपखण्ड(प्रथम) –वर्तमान में उपखण्ड(प्रथम) के अधीन निम्नांकित उपकेन्द्र हैं जिनका संचालन उपखण्ड अधिकारी के अधीन अवर अभियन्ता द्वारा किया जाता है। किन्तु वर्तमान में उपखण्ड (प्रथम), के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के स्वीकृत 5 पदों के सापेक्ष कोई भी अवर अभियन्ता नहीं है।

(1) 33/11 केवी उपकेन्द्र बागेश्वर (तहसील बागेश्वर)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है–

- 1–टाउन फीडर
- 2–बालीघाट फीडर
- 3–दफौट फीडर
- 4–जल निगम फीडर
- 5–रवाईखाल फीडर

(2) 33/11 केवी उपकेन्द्र काफलीगैर (उप तहसील काफलीगैर)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है–1–मैग्नेसाइट फीडर

- 2–ताकुला फीडर
- 3–माइन्स फीडर
- 4–खरेही फीडर
- 5–रीठागाड़ फीडर

(3) 33/11 केवी उपकेन्द्र डंगोली (तहसील गरुड़)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है 1–गरुड़ फीडर

- 2–ग्वालदम फीडर
- 3–अयारतोली फीडर
- 4–गागरीगोल फीडर

(4) 33/11 केवी उपकेन्द्र कौसानी (तहसील गरुड़)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है–1–कौसानी फीडर

- 2–शान्ती बाजार फीडर
- 3–एम0ई0एस0 फीडर

(अ)– विद्युत वितरण उपखण्ड(द्वितीय)

वर्तमान में उपखण्ड(द्वितीय) के अधीन निम्नांकित उपकेन्द्र हैं जिनका संचालन उपखण्ड अधिकारी के अधीन अवर अभियन्ता द्वारा किया जाता है। किन्तु वर्तमान में उपखण्ड (द्वितीय), के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के स्वीकृत 5 पदों के सापेक्ष 1 अवर अभियन्ता है।

(1) 33/11 केवी उपकेन्द्र विजयपुर (तहसील काण्डा)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है–

- 1–धपोलासेरा फीडर
- 2–कमेडीदेवी फीडर
- 3–काण्डा फीडर

(2) 33/11 केवी उपकेन्द्र कपकोट (तहसील कपकोट)– इस उपकेन्द्र से निकलने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जाने वाले फिडरों की संख्या निम्नवत् है–

- 1–कपकोट फीडर
- 2–हरसीला फीडर
- 3–फरसालीफीडर

6.7:: खाद्य विभाग बागेश्वर ::

क्र०स०	गोदाम का नाम		प्राथमिक परिवार		अन्तर्गत अन्य योजना		राज्य खाद्य योजना	
			गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	बागेश्वर		686.64	114.96	177.50	288.70	473.50	231.10
2	हरसिला		112.10	168.15	31.79	51.86	69.00	33.81
3	गरुड़		752.75	1255.45	190.40	309.75	390.00	192.10
4	काण्डा		353.52	595.28	139.24	224.56	226.25	111.86
5	काफली		114.44	171.66	44.82	73.13	62.80	30.77
6	सामा		62.80	94.20	17.56	28.64	31.30	15.32
7	भराड़ी	भराड़ी	266.24	449.64	118.90	198.46	151.00	74.50
8		कर्मी	27.46	41.19	5.19	8.46	21.70	10.86
9		उगिया	10.96	16.44	3.33	5.43	8.85	4.33
10		बदियाकोट	34.20	51.30	8.91	14.54	6.95	3.41
	योग		338.86	558.57	136.33	226.89	188.50	93.10
11	लीती	लीती	17.02	25.53	7.45	12.15	11.00	5.39
12		मल्खाडुगर्चा	39.56	59.34	21.01	34.29	6.95	3.41
	योग		56.58	84.87	28.462	46.438	17.95	8.80
13	लोहारखेत	लोहारखेत	40.14	60.21	12.90	21.05	30.55	15.97
14		खाती	3.26	4.89	1.46	2.39	1.85	1.10
15		तलाई	51.52	77.28	15.03	24.52	30.30	14.85
16		वाछम	12.34	18.51	7.05	11.50	7.75	3.85
	योग		107.26	160.89	36.442	59.458	70.45	35.77
17	तेजम		12.18	18.27	5.85	9.55	12.40	6.08
18	ताकुला		112.54	168.81	15.56	25.39	32.85	16.10
	महायोग		2709.67	4421.11	823.95	1344.37	1575.00	775.81

वर्षाकाल से पूर्व माह अप्रैल 2018 से माह सितम्बर 2018 (06 माह) खाद्यान्न/चीनी का आवंटन/उद्यान/विवरण अवशेष का विवरण-

क्र० सं०	गोदाम का नाम	खाद्यान्न / चीनी	गेहूँ			गेहूँ कुल मात्रा	चावल			चावल मात्रा	चीनी	मिट्टी के तेल का विवरण	मिट्टी के तेल की मात्रा	अभ्युक्ति
			NFSA	AAV	SFY		NFSA	AAV	SFY					
1	बदियाकोट ग्राम पंचायत -05	आवंटन	199.92	52.26	41.70	293.88	299.88	88.44	20.46	408.78	1.35	40 लीटर	40 लीटर	आपदा के दृष्टिगत महोदया की ओर से 10 हजार लीटर अतिरिक्त मिट्टी के तेल की मॉक की गयी है।
		उद्यान	199.92	52.26	41.70	293.88	299.88	88.44	20.46	408.78	0.00			
		अवशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35			
2	उंगिया ग्राम	आवंटन	82.44	33.54	53.10	169.08	123.66	54.66	25.98	204.30	0.42			

	पंचायत -03 यूनिट संख्या-	उठान	0.00	0.00	0.00	0.00	61.83	0.00	12.99	0.00	0.00	-	-	-
		अवशेष	82.44	33.54	53.10	169.08	61.83	54.66	12.99	129.48	0.42			
3	कमीँ ग्राम पंचायत-02 यूनिट संख्या-3810	आवंटन	163.56	31.92	130.20	325.68	245.34	52.08	65.16	362.58	0.40	-	-	-
		उठान	0.00	0.00	0.00	0.00	122.67	0.00	32.58	155.25	0.00			
		अवशेष	163.56	31.92	130.20	340.68	122.67	52.08	32.58	207.33	0.40			
4	खाती ग्राम पंचायत -01 यूनिट संख्या 398	आवंटन	24.30	8.82	11.10	44.22	31.86	14.34	6.60	52.80	0.12	-	-	-
		उठान	17.00	8.82	5.00	30.82	10.00	14.34	6.60	30.94	0.00			
		अवशेष	7.30	0.00	6.10	13.40	21.86	0.00	0.00	21.86	0.12			
5	तलाई ग्राम पंचायत -07 यूनिट संख्या - 3893	आवंटन	322.68	82.20	181.80	586.68	484.02	134.10	89.10	707.22	1.07	-	-	-
		उठान	0.00	0.00	0.00	0	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00			
		अवशेष	322.68	82.20	181.80	586.68	304.02	134.10	89.10	527.22	1.07			
6	वाछम ग्राम पंचायत -03 यूनिट संख्या- 1319	आवंटन	75.36	41.52	46.50	163.38	113.04	67.68	23.10	203.82	0.55	-	-	-
		उठान	0.00	0.00	0.00	0	110.00	47.00	23.10	180.10	0.00			
		अवशेष	75.36	41.52	46.50	163.38	3.04	20.68	0.00	23.72	0.55			
7	मल्खाडुगर्चा ग्राम पंचायत -05 यूनिट संख्या-2856	आवंटन	237.24	79.02	41.70	357.96	355.86	128.88	20.46	505.20	0.99	-		
		उठान	0.00	0.00	0.00	0	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00			
		अवशेष	237.24	79.02	41.70	357.96	340.86	128.88	20.46	490.20	0.99			

प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत राहत सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु विक्रेताओं का विवरण –

क्र० स०	गोदाम का नाम	परचून के दुकानदार का नाम / मोबाईल नम्बर		पूर्ति निरीक्षक का नाम / मो०न०	गोदाम में कार्यरत पल्लेदार / चौकीदार का नाम / मोबाईल नम्बर
1	बागेश्वर	श्री खीम चन्द्र मदनलाल अग्रवाल चौक बाजार	05963-220047 9412977486	श्री जी०बी० पाण्डेय पूर्ति निरीक्षक 9412044123	श्री गोविन्द सिंह परिहार प्रथम 9758000303
		श्री कैलखुरिया जनरल स्टोर पिण्डारी रोड बागेश्वर	9568542144		
		भरडा जनरल स्टोर भारतीय स्टेट बैंक बागेश्वर	05963-220592		
2.	हरसीला	श्री उत्तम सिंह पुड़कुनी	8057565504	श्री परविन्दर नेगी , आशुलिपिक / केन्द्र प्रभारी 9627600382	श्री तेज बहादुर दैनिक पल्लेदार / चौकीदार
		श्री सुन्दर सिंह ग्वाड़	8476990468		
		श्री जसवंत सिंह गोलना	9927933266		
		श्री तिलराम सन	9639731749		
3.	गरुड़	श्री शिव सिंह बोरा गरुड़	9639867785	श्री जगदीश चन्द्र जोशी पूर्ति निरीक्षक 9411544916	श्री गोविन्द सिंह परिहार द्वितीय 9759976049
		श्री नरेन्द्र सिंह जखेड़ा	9858930449		
		श्री जीवन सिंह घेटी	9412480232		
		श्री कुन्दन सिंह स्याली	9758793680		
		श्री शंकर सिंह बैजनाथ	9012123274		
4.	काण्डा	श्री जगदीश लाल शाह	9012061650	श्री राजेश कुमार पूर्ति निरीक्षक 8958887774	श्री दिनोश कुमार 9568866229
		श्री प्राण दत्त काण्डा	9758121996		
5.	काफली	श्री भूपाल सिंह जारती	9927719710	श्री परविन्दर नेगी आशुलिपिक / केन्द्र प्रभारी 9627600382	श्री भजन सिंह
		श्री खुशाल सिंह बीसा	8958846769		
		श्री कुन्दन सिंह बाफिलागाँव	9756683612		
		श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, पचार	7088545348		
6	भराड़ी	श्री चंचल सिंह ऐठानी, भराड़ी कपकोट	8476179999	श्री प्रकाश रावत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9411116928	श्री करम सिंह 9410133381
		श्री गोविन्द सिंह बड़ती भराड़ी	—		
		श्री गिरिश सिंह बिष्ट कपकोट	9411453437		
		श्री महेश बघरी	999187688		
		श्री विशन सिंह मेहरा हिचौरी	9411337234		
		श्री विशन सिंह बड़ती हिचौरी	9411028251		
		श्री भीम सिंह कोश्यारी भराड़ी	9411123070		
7	सामा	श्री रणजीत धर्मशक्तू सामा	9412996786	श्री हेमन्त कुमार काण्डपाल 9412130414	श्री राजन सिंह 9456764799

		श्री गंगा सिंह सामा	9897963366		
		श्री प्रताप सिंह खड़लेख	9012684693		
		श्री नरेन्द्र सिंह	9927679353		
8	लीती	श्री चन्दन सिंह	9410565746		श्री महेन्द्र सिंह
9.	मलखाडुगर्चा	श्री कमलेश सिंह रातिरकेटी	7409411235		
10	कर्मी	—	—	श्री राजेश कुमार पूर्ति निरीक्षक 8958887774	श्री कुन्दन सिंह 8193941354
11	उगिया	—		श्री एम0असलम केन्द्र प्रभारी 9411386364	श्री हयात सिंह 9409213876
12	लोहारखेत	श्री वासुदेव सिंह सलिंग	—		
		श्री दयाल सिंह सलिंग	8449384487		
		श्री वीर सिंह बासे	9927659891		
		श्री आनंद सिंह पेठी	9720635627		
13	खाती	श्री प्रेम सिंह वाछम	9410327966		श्री नारायण सिंह 9410772425
14	तलाई	श्री लछम सिंह मुनार	7500333725		
		श्री नन्दन सिंह लाहुर	7830236131		
		श्री बिशन सिंह मिखिलाखलपट्टा	7409016253		
15	वाछम	श्री रतन सिंह वाछम	9456510635		श्री दरवान सिंह 7579109622
		श्री शोबन सिंह मल्लागाँव	9411706724		
16	बदियाकोट	श्री धर्मेन्द्र सिंह दानू	7579105381	श्री जी0बी0 पाण्डेय पूर्ति निरीक्षक 9412044123	श्री प्रवीन सिंह 9411557818
		श्री राजेन्द्र सिंह दानू बदियाकोट	7579195472		

बागेश्वर में खाद्य आपूर्ति करने वाले फर्मों/व्यवसायियों का विवरण

क्र०सं०	फर्म/व्यवसायियों का नाम पता	खाद्य आपूर्ति करने की क्षमता	सम्पर्क नम्बर
01	श्री खेम चन्द्र अग्रवाल, किराना जनरल स्टोर , चौक बाजार, बागेश्वर।	150 एम०टी०	9412977486 05963-220047
02	कैलखुरिया जनरल स्टोर, पिण्डारी रोड, बागेश्वर।	150 एम०टी०	9568542144
03	भरडा जनरल स्टोर, निकट भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर।	—	05963-220592
04	प्यारे लाल, गिरीश लाल एण्ड सन्स वस्त विक्रेता, चौक बाजार, बागेश्वर।	—	9675957371
05	जीवन गाँधी एण्ड सन्स वस्त्र विक्रेता चौक बाजार, बागेश्वर।	—	05963-220070
06	भरत इलैक्ट्रीकल्स निकट पेट्रोल पम्प बागेश्वर।	—	9411701446, 9456224183
07	श्री चंचल सिंह ऐठानी, थोक विक्रेता पिण्डारी रोड, कपकोट।	100 एम०टी०	9417123305
08	श्री शिव सिंह बोरा, थोक विक्रेता, गरूड बाजार।	100 एम०टी०	9639867785

जनपद बागेश्वर में ईंधन आपूर्ति करने वाले फर्मों/व्यवसायियों का विवरण।

क्र०सं०	फर्म/व्यवसायियों का नाम पता	डीजल आपूर्ति करने की क्षमता	डीजल आपूर्ति करने की क्षमता	मो०न०
01	जय अम्बे ऑयल्स, बागेश्वर।	20 के०एल०	10 के०एल०	9917500549 05963-220048
02	कोहली फिलिंग स्टेशन, काण्डाधार, बागेश्वर।	20 के०एल०	20 के०एल०	9458303259
03	बजरंग फ्यूल्स फल्टनियों, काण्डा रोड, बागेश्वर।	22 के०एल०	16 के०एल०	7535000563 9675759581
04	बजरंग फ्यूल्स, आरे पिण्डारी रोड, बागेश्वर।	20 के०एल०	16 के०एल०	7535000563
05	बालाजी फ्यूल्स फल्टनियों काण्डा रोड, बागेश्वर।	16 के०एल०	16 के०एल०	05963-220021
06	बागनाथ फ्यूल्स, बिलौना, ताकुला रोड, बागेश्वर।	20 के०एल०	16 के०एल०	05963-220020
07	अशोका फिलिंग स्टेशन ताकुला रोड, बागेश्वर।	16 के०एल०	16 के०एल०	05963-220557 9927838811

जनपद में स्थित डीजल/पैट्रोल आउटलेट्स में स्टॉक की स्थिति का विवरण

क्र० सं०	फर्म/विक्रेता का नाम	दूरभाष नम्बर	स्टॉक स्थिति लीटर में		अभ्युक्ति
			डीजल	पैट्रोल	
01	जय अम्बे ऑयल्स, बागेश्वर।	05963-220048, 9917200549	7260	5292	8000 ली० डीजल तथा 800 लीटर पैट्रोल उतर चुका है
02	अशोका फिलिंग स्टेशन, बागेश्वर।	05963-220557	9460	4681	8000 ली० डीजल और 6000 ली० पैट्रोल इण्डैडलगा है।
03	कोहली फिलिंग स्टेशन बागेश्वर।	945303259	5204	3472	10000 ली० डीजल आ रहा है।
04	बालाजी फ्यूल्स फल्टनियों	05963-220021	5440	12694	—
05	बागनाथ फ्यूल्स बिलौना	05963-220020	16784	8295	—
06	बजरंग फ्यूल्स , आरे।	7535000563	16686	12078	9000 ली० डीजल तथा 3000 ली० पैट्रोल आ रहा है।
07	बजरंग आयल्स बैजनाथ।	7535000562	20845	5878	6000 ली० पैट्रोल तथा 6000 ली० डीजल आ रहा है।
कुल योग—			81643	52390	

- दैवीय आपदा के दृष्टिगत प्रत्येक डीजल रिटेल आउटलेट्स पर 4000 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पैट्रोल आरक्षित रखने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद में स्थित पैट्रोलियम गैस में स्टॉक की स्थिति का विवरण

क्र०सं०	गैस एजेन्सी का नाम	दूरभाष नम्बर
01	बागेश्वर गैस सर्विस, बागेश्वर।	05963-220066,
02	गरुड गैस सर्विस, गरुड	05963-250045,
03	कपकोट गैस सर्विस, कपकोट।	05963-253104,
04	काण्डा गैस सर्विस, काण्डा।	05963-241096
कुल योग—		

जनपद में स्थित मिट्टी तेल स्टॉक की स्थिति का विवरण

क्र०सं०	फर्म/विक्रेता का नाम	दूरभाष नम्बर	स्टॉक स्थिति लीटर में
1.	मै० जय अम्बे ऑयल कम्पनी, बागेश्वर।	05963-220048 9412930246	10 लीटर

जनपद में थोक/घी विक्रेताओं का विवरण

क्र०सं०	थोक/घी विक्रेताओं का नाम	नम्बर
1.	मै० मदन लाल अग्रवाल, चौक बाजार बागेश्वर	05963-220047
2.	मै० निर्मल कुमार साह, दुग बाजार बागेश्वर	05963-220054

जनपद में थोक व्यापारी एवं स्टॉक स्थिति

क्र०सं०	वस्त्र विक्रेताओं के नाम	सम्पर्क नम्बर	सामग्री विवरण
1	श्री खेम चन्द्र मदन लाल बागेश्वर।	05963-220047	सरसो तेल , माचिस , मोमबत्ती, धनिया दाल, (अरहर, मल्का मूग, चावल, लोबिया, चीनी, चाय, दूध का पाउडर,)
2	श्री वासुदेव जोशी सलिंग लोहारखेत		
3	श्री रंजीत धर्मसत्तू शामा बागेश्वर	9412996786	
4	श्री जगदीश लाल शाह	—	
5	श्री शिव सिंह बोरा गरुड	9639867785	
6	श्री केलखुरिया जनरल स्टोर बागेश्वर	9568542144	
7	भराड़ा जनरल स्टोर बागेश्वर	05963-220592	
8	श्री चंचल सिंह ऐठानी भराड़ी	9917123305	

6.8:: वन विभाग ::

उत्तराखण्ड एक वन प्रधान राज्य है जिसके भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65: भाग वनों से आच्छादित है। वनस्पति एवं वन्यजीव के संदर्भ में यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। अन्य समस्याओं के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष वनाग्नि की अनेक घटनाएँ होती हैं जिसके कारण हजारों हेक्टेयर बहुमूल्य वनों को क्षति पहुँचती है। बागेश्वर वन प्रभाग के अधिकांश वन क्षेत्र विभिन्न ग्रामों से घिरे हैं। ग्रामीण अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर है। ग्रामीणों के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के कारण अग्निकाल में अग्नि दुर्घटना की प्रबल आशंका बनी रहती है। बागेश्वर जनपद के अधिकांश वन क्षेत्र चीड़

प्रजाति बाहुल्यता वाले है। अग्नि इनकी प्रबलतम शत्रु है अतएव अग्नि से सुरक्षा चीड़ वनों के प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण कारक विभागीय अधिकारी/कर्मचारीगण तथा सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय जनता को दृढ़ निश्चय करके सामूहिक प्रयास द्वारा वनों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

वर्ष 1997 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में बागेश्वर का जनपद के रूप में नवसृजन हुआ था। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2310 वर्ग किमी है जिसमें वनों से आच्छादित क्षेत्रफल 1064 वर्ग किमी है। इनमें आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 662.36 वर्ग किमी, पंचायती वनों का क्षेत्रफल 380.87 वर्ग किमी तथा सिविल वनों का क्षेत्रफल 21.12 वर्ग किमी है। यहाँ के वनों की मुख्य प्रजाति चीड़ (लगभग 80%) है इसके अतिरिक्त बॉज, सुरई, सिल्वर ओक इत्यादि प्रजातियों की प्रचुरता है।

बागेश्वर जनपद के उत्तर में पिण्डारी तथा कफनी ग्लेशियर, दक्षिण में पैतृक जनपद अल्मोड़ा, पूर्व में पिथौरागढ़ तथा पश्चिम में चमोली व अल्मोड़ा जनपद स्थित है। जनपद में विभिन्न स्थानों की समुद्रतल से ऊँचाई 750 मी से 3900 मी तक है जिसमें तीव्र ढाल वाली चोटियाँ एवं घाटियाँ मौजूद है। घाटियों में कृषि कार्य होता है। सरयू व गोमती यहाँ की मुख्य नदियाँ है।

संरचना एवं दशा —

1—सामान्य गठन

प्रभाग के वन समुद्र तल से 750 मी० से 3900 मी० की ऊँचाई के मध्य अवस्थित हैं। समुद्र तल से ऊँचाई, ढाल की तीव्रता, अभिमुख तथा जलवायु में पर्याप्त भिन्नता के परिणामस्वरूप प्रभाग में विविध प्रकार के वन तथा वनस्पति पाये जाते हैं। प्रभाग के वनों की मुख्य विशेषताएँ निम्न है:-

1. प्रभाग के वन एक संहत क्षेत्र में हैं।
2. मुख्य प्रजाति चीड़ है, जिसके वनों की औसत गुण श्रेणी II/III है।
3. प्रभाग में पेचदार चीड़ वन भी पाए जाते हैं, इनकी औसत गुण श्रेणी III है।
4. प्रभाग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या अधिक होने से वनों पर जैव दबाव अत्यधिक है।

2—सस्य के क्षतिकारक तत्व —वनों को क्षति पहुंचाने वाले कारक निम्न प्रकार है—

जैव कारक —मनुष्य

1. वनों को क्षति पहुंचाने वाले कारकों में यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीड़ के वनों को इससे अत्यधिक क्षति पहुंचती है व इसके साथ ही अन्य प्रजातियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी अभिमुख ढालों पर वन अग्नि से अत्यधिक कुप्रभावित होते हैं। दावाग्नि की घटनाएँ मुख्य रूप से 5 कारणों से होती हैं :-
 1. ग्राम वासियों द्वारा अपने खेत खलियानों में फसल कटने के उपरांत खरपतवारों का नष्ट करने के लिए आग लगाई जाती है, और वे जलती आग छोड़कर चले जाते हैं जो वनों में आग लगने का मुख्य कारण है।
 2. राहगीरों द्वारा जलती हुई बीड़ी सिगरेट, माचिस की तीली फेंक देने से एवं अन्धेरे को दूर करने के लिए अपने साथ जलती हुई लकड़ी साथ में ले जाने से जब लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा वनों में गिरता है, तो इससे वनाग्नि लगती है।
 3. ग्रामवासियों द्वारा मवेशियों के चारों की पूर्ति करने के लिए जंगलो में आग लगाई जाती है। ताकि बरसात में अच्छी घास पैदा हो सके।

4. बारातियों द्वारा भी अन्धेरे को दूर करने के लिए आग जलाई जाती है। जिसे वे जलती छोड़कर चले जाते हैं एवं आग वनों में फैल जाती है।
5. कभी – कभी आपसी रंजिशों के कारण भी ग्रामवासियों द्वारा जंगलों में आग लगा दी जाती है। मनुष्यों द्वारा असावधानी बरतने तथा वनों में प्रज्ज्वलित वस्तुओं को बिना बुझाये ही छोड़ देने, वनों के समीप स्थित खेतों में असावधानी से खरपतवार जलाने तथा रात्रि में जलता हुआ छोड़ देने से भी आग फैलती है।

3-सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण – इस परियोजना में तीन विकास खण्ड बागेश्वर,, गरुड़ व कपकोट हैं जो कि कपकोट एवं बागेश्वर तथा गरुड़ तहसीलों में समाहित है जिनका विवरण निम्न है

मद	कपकोट	बागेश्वर	गरुड़	योग
1-जनसंख्या जनगणना	71180	68886	68100	208186
2-परिवारों की संख्या	13859	13676	11196	38731
3-ग्रामों की संख्या	214	395	189	798
4-जानवरों की संख्या	115906	53382	40078	209366
5-मोटर मार्ग	182	103	84	369
6-हक हकूक का प्रकाष्ट घ0मी0 में	317	502	1271	2090

यहाँ के ग्रामीण मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं और मुख्य उपज गेहूँ, धान एवं विभिन्न प्रकार की दालें हैं। इस समयावधि के मध्य आलू की खेती को भी बढ़ावा मिला है। ग्रामीण ज्यादा संख्या में निम्न नस्ल के मवेशियों को रखने के आदी हैं जो मात्र गोबर की खाद के लिए ही उपयोगी हैं बाकी उत्पादकता में कोई योगदान नहीं है। ग्रामीण वनों पर ईंधन, चारा बाँज की पत्तियाँ, रिंगाल, भवन निर्माण के लिए पत्थर, पिरूल आदि के लिए निर्भर हैं। प्रकाष्ट, खेती उपकरण एवं भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। खेती बाड़ी के समय में रबी फसल माह मई में, खरीफ फसल माह अक्टूबर में होती है। एवं खेती कटाई के बाद जो अवशेष खेतों में बचते हैं उन्हें वहीं पर जलाया जाता है जिस पर नियंत्रण न रखे जाने से वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाएँ हो जाती हैं।

(1) क्षेत्र का विवरण – जनपद बागेश्वर में आरक्षित वनों का प्रजातिवार क्षेत्रफल

रेंज	सकल क्षेत्रफल	चीड़	बाँज	तिलोज	खरसू	देव दार	रागा	साल	हिमाद्रि वन	निम्न मिश्रित	उच्च मिश्रित	असाध्य रिक्त
बागेश्वर	13789.9	12530.3	341.8	0	0	0	0	10	0	606.1	0	301.7
बैजनाथ	10997.6	8883.7	2070.3	0	0	23.5	0	0	0	2.8	0	17.3
धरमघर	11374.7	9391.1	1231.2	0	514.4	0	0	0	0	76.5	36.2	125.3

गढ़खेत	11662.7	10868.9	642.8	0	0	0	0	0	0	80.5	0	70.5
कपकोट	18411.3	8410.1	2792.3	1027.9	4318.3	185	650.8	0	166.6	22.2	392	612.6
योग	66236.2	50084.1	7078.4	1027.9	4832.7	42	650.8	10	166.6	788.1	428.2	1127.4

उपरोक्त के अतिरिक्त 38782.924 है० क्षेत्र में पंचायती वन है। इस प्रकार प्रभाग के अन्तर्गत कुल 105018.944 है० क्षेत्र में वनों की अग्नि से सुरक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

4— वन प्रबन्ध उद्देश्यों का अग्नि प्रबन्धों पर प्रभाव—

सिविल एवं पंचायती वन, ग्रामों एवं आरक्षित वनों के बीच पड़ते हैं। इन्हीं सिविल एवं पंचायती वनों से प्रारम्भिक दशा में आग फैलती है। अतः दावाग्नि को नियंत्रण हेतु प्रभाग स्तर पर सिविल व पंचायती वनों को भी अग्नि से नियंत्रित करना है।

वनाग्नि से मुख्यतया जमीन की सतह नष्ट होती हैं जिसके साथ-साथ बहुमूल्यवान जड़ी-बूटी व ऊपरी सतह की उत्पादकता नष्ट होती है, जिसके कारण जमीन की पुनरोत्पादक क्षमता घटती है। सतह की आग के कारण गिरी पड़ी टहनियां जल जाती हैं जो अन्यथा ग्रामीणों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। भीषण अग्नि दुर्घटनाओं में बहुमूल्यवान वन प्रकाष्ठ, लीसा, आस पास के क्षेत्र में उपलब्ध वन्य प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं।

अग्नि दुर्घटनाओं के कारण लीसा एवं पेंट उद्योग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का हक-हकूक से भी वंचित होना सम्भव है।

5. दावाग्नि का इतिहास —

विगत 9 वर्षों (2008 से 2016) तक घटित विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है —

	आरक्षित वन		सिविल वन		पंचायती वन		योग	
वर्ष	सं०	क्ष०फ०	सं०	क्ष०फ०	सं०	क्ष०फ०	सं०	क्ष०फ०
2008	26	55.25	—	—	17	28.25	43	83.50
2009	66	92.70	—	—	26	40.26	92	132.96

2010	47	82.65	—	—	15	20.65	62	103.03
2011	19	28.15	—	—	—	—	—	—
2012	45	93.10	—	—	9	20.6	54	113.06
2013	6	13.00	—	—	2	4.00	8	17.00
2014	23	68.00	—	—	6	16.50	29	84.50
2015	1	2.00	—	—	5	7.95	6	9.95
2016	29	117.15	—	—	26	102.95	55	220.10
2017								

7—वनों को अग्नि से बचाने के सुझाव —

1. प्रचार—प्रसार के माध्यम से स्थानीय जनता को वनाग्नि के दुष्प्रभावों के बारे में बताना।

2. प्रभाग में अधिकांश क्षेत्र चीड़ वनों से अच्छादित हैं तथा वे अग्नि दुर्घटनाओं हेतु अत्यधिक संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में पिरूल की मात्रा न्यूनतम किये जाने हेतु प्रयास किये जायें। पिरूल का स्थानीय उपयोग किया जाय।

3. अग्निदुर्घटना दोपहर 12 बजे से देर सांय तक वाले कालखण्ड में सर्वाधिक हैं, इसी कालखण्ड में सर्वाधिक सर्तकता बरते जाने की आवश्यकता है। इस अवधि में चरवाहों, राहगिरों तथा अन्य गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाय।

4. मार्गों के किनारे पट्टियों की नियमित सफाई, अग्नि पट्टिकायें साफ करने तथा नियंत्रित दाहन पर अत्यधिक बल दिया जाय।

5. अग्नि नियंत्रण में व्यतीत समय अधिकांशतः एक घंटे से अधिक है, अतएव संचार तंत्र—वायरलैस, मोबाइल सैट एवं टेलीफोन को चुस्त दुरुस्त रखा जाय।

6. वाच टावरों का सुदृढीकरण किया जाय जिसमें कम से कम 9 कर्मचारी/श्रमिक प्रत्येक वाच टावरों में उपलब्ध रहने चाहिए ताकि अग्नि दुर्घटना को तत्काल रोका जा सके।

7. अग्निषमन दल बल का दुर्घटना क्षेत्र पर यथाशीघ्र पहुँचाया जाना अतिआवश्यक है। अतएव आवागमन हेतु यथासम्भव गाड़ियाँ एवं वाहन उपलब्ध कराये जाय।

8. ग्रीष्म काल में पूरे 3 महीने प्रत्येक बीट में फायर वाचर रखे जाने चाहिए ताकि वे अग्नि दुर्घटना होने पर वन रक्षक/वन श्रमिक के साथ मिलकर अग्नि पर नियंत्रण कर सकें।

9. जिन क्षेत्रों में एफ0डी0ए0/जे0एफ0एम0सी0 द्वारा कार्य किया गया वहाँ पर अग्नि दुर्घटनायें घटित नहीं हुई। जनसहयोग की क्रियाशीलता में सफलता मिलने के स्पष्ट संकेत हैं। वन पंचायतों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु कैम्पा परियोजना द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाय। अतएव जनसहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

10. जनजागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु ग्रामों में गोश्टियाँ, बैठकें, कार्यशालायें एवं जिससे ग्रामवासियों/भावी पीढ़ी को वनाग्नि से पर्यावरण ववन सम्पदा होने वाली क्षति का ज्ञान हो सके। स्कूल कालेजों में चित्रकला प्रतियोगिता निबन्ध प्रतियोगिता/वादविवाद प्रतियोगिता तथा विवज

प्रतियोगिता आदि आयोजित कराये जाय इसके लिए विभिन्न वानिकी दिवसों यथा पर्यावरण दिवस,ओजोनपरत संरक्षण दिवस विश्ववानिकी दिवस, वन्य जीव सप्ताह व वन महोत्सव का सदुपयोग किया जाय रेडियोवार्ता विभिन्न पत्रिकाओं में लेख/अपील,पोस्टर /बैनर,दीवाल लेखन आदि को माध्यम बनाया जाय। जिससे कि ग्रामवासियों/भावी पीढी को वनाग्नि से पर्यावरण व वनसम्पदा को होने वाली क्षति का ज्ञान हो सके।

11. स्थानीय हाट मेलों में अग्नि नियंत्रण/षमन में सहयोग हेतु लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा करायी जाय।

(ग)–संवेदनशील क्षेत्रों में सघन देख-रेख –

(घ) दावाग्नि जोखिम कम करने के लिए विकल्प

1–दावाग्नि बचाव के उपाय :-

- (1) अग्निकाल से पूर्व एवं अग्निकाल में सतह से अग्निशील पदार्थ जैसे पिरूल, स्लैश आदि पदार्थ हटाना।
- (2) नियंत्रित दाहन करना।
- (3) वन निगम के कटान के अवशेषों का निस्तारण।
- (4) निकटवर्ती ग्रामों में वन अग्नि के संबंध में जागरूकता पैदा करना।
- (5) ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से निम्न कार्य करना :-

(क) अग्नि बटिया, पैदल व मोटर मार्ग के दोनों ओर पिरूल हटाना, वृक्षारोपण के चारों तरफ अग्नि बटिया काटना, लीसा विदोहन क्षेत्र में अग्नि पर नियंत्रण करना।

(ख) नये अग्नि पथों का निर्माण करना, सिविल एवं पंचायती वनों में अग्नि पथों का निर्माण करना।

(ग) वाच टावरों का निर्माण/सुदृढीकरण करना।

(घ) विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए दूरभाष, वायरलेस एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करना

(च) विभिन्न अग्नि सुरक्षा प्रेरक दलों का गठन करना।

(छ) प्रधान कार्यालय, रेंज कार्यालय, कू स्टेशन तथा वाच टावर के मध्य संचार साधन विकसित करना।

(ज) सैलानियों में वन अग्नि के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

(6) अग्नि रोधक उपकरणों व वर्दी आदि का क्रय पर्याप्त संख्या में अग्नि रोधक उपकरण अग्निकाल से पूर्व प्राप्त करना।

(7) यातायात के लिए वाहनों की व्यवस्था करना ताकि संबंधित कू स्टेशनो द्वारा ससमय अग्नि पर नियंत्रण पाया जा सके।

चारा पत्ती उत्पादन –स्थानीय ग्रामीण यह विश्वास करते हैं, कि जंगलों में आग लगाने के कारण अच्छी घास पैदा होती है। यह कुछ सीमा तक सही है, परन्तु बार-बार अग्नि दुर्घटना होने के कारण अच्छी गुणवत्ता की घास के स्थान पर खराब गुणवत्ता की घास पैदा हो जाती है।

मानव जीवन एवं सम्पत्तियों को हानि – इस प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 1995 अग्निकाल में चौरसों वन पंचायत में आग बुझाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वर्ष 1996 अग्निकाल में शिखरकोट के जंगलों में लीसा बचाते समय 2 व्यक्तियों का दुर्घटना में निधन हुआ था तथा 5 विभागीय अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए थे। वर्ष 1999

अग्निकाल में 2 कर्मचारी घायल हुए। इस प्रकार अग्नि से मानव जीवन एवं सम्पदा को नुकसान हो सकता है। प्रभाग में वर्ष 2002 में द्यौनाई क्षेत्र में अग्नि नियंत्रण करते समय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये जिनका उपचार अल्मोड़ा में करवाया गया।

ग्रामवासियों तथा वन श्रमिकों द्वारा अग्नि से सुरक्षा — वर्ष 1997 तक अग्नि सुरक्षा कार्य (अग्नि बटिया बनाना, आग बुझाना आदि) विभाग द्वारा किया गया जिसमें स्थानीय ग्रामवासियों को मजदूर के रूप में प्रयोग किया गया। वर्ष 1998-99 से बीट स्तर पर उत्प्रेरक दल गठित किये गये हैं, जिसमें संबंधित बीट प्रभारी, स्थानीय जन प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्था एवं बीट में उपलब्ध वानिकी श्रमिकों के माध्यम से निम्न कार्य किये जाते हैं —

- (1) ग्राम स्तर पर ग्रामीणों में जागृति पैदा करना।
- (2) अग्नि से संबंधित सूचना निकटतम चौकी पर देना।
- (3) अग्निकाल में नियमित रूप से फायर ड्रिल करना।
- (4) अग्नि दुर्घटना की जानकारी मिलने पर आग बुझाने की कार्यवाही करना।

अग्नि सुरक्षा में कठिनाईया —

प्रभाग के कार्यक्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के होने तथा पर्याप्त यातायात सुविधा उपलब्ध न होने के कारण निम्न प्रकार की कठिनाईया होती हैं :—

- (1) दुर्गम रास्तों का अवरोधक के रूप में प्रस्तुत होना।
- (2) विशाल, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र का होना।
- (3) सीमित एवं अपर्याप्त संसाधन होना।
- (4) पर्याप्त नेटवर्क/वायरलेस नेटवर्क न होना।
- (5) धीमा रेस्पॉन्स टाइम।
- (6) अप्रशिक्षित कर्मचारी होने से मानव संसाधन की अपर्याप्तता होना।
- (7) आग दुर्घटना की भविष्यवाणी उपलब्ध न होना।
- (8) जागरूकता का अभाव।

8— अग्नि प्रबन्धन की रणनीतियां

- (1) अग्नि प्रबन्ध का उद्देश्य—**
- (1) प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन की सुरक्षा करना।
 - (2) पर्यावरण एवं प्रकृति का संतुलन बनाये रखना।
 - (3) जलश्रोतों को सूखने से बचना।
 - (4) वनों पर आश्रित वन्य जीवों की सुरक्षा करना।
 - (5) भयंकर अग्निकाण्ड के होने से आस पास के ग्रामीणों को होने वाली क्षति से बचाना।

(6) उद्योगों को लीसा की सतत् आपूर्ति करना ।

(7) प्रकाष्ठ की मात्रा एवं गुणवत्ता बनाये रखना

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में वन अग्नि प्रबन्ध की रणनीति निम्न प्रकार से रखी जा रही है –

(2) नियंत्रित दाहन –

चीड़ वनों में डाउनहिल बर्निंग विधि से नियंत्रित दाहन कार्य किया जायेगा। ये कार्य मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए माह दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017 के मध्य किया जायेगा । प्रभाग की प्रबन्ध योजना में विभिन्न कार्यवृत्तों में नियंत्रित दाहन किये जाने वाले क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। स्थल विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए इन क्षेत्रों का सहायक वन संरक्षक द्वारा भ्रमण/निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया है । क्षेत्रों की संवेदनशीलता को निम्न तथ्यों पर आधारित किया गया है –

क्षेत्र में पिरुल की अत्यधिक मात्रा का होना, अनवस्थित वृक्षारोपण व लीसा कूपों का होना, आबादी के निकट होना अथवा क्षेत्र में अत्यधिक आवाजाही का होना, आबादी के निकट होना अथवा क्षेत्र का अत्यधिक ढंगारी एवं इस तक पहुँचने में अधिक समय व्यतीत होना। ऐसे क्षेत्र जो इनमें से एक या अधिक मानकों को पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं में वार्षिक फुकान/एकान्तर फुकान का प्रावधान किया गया है। अन्यथा की स्थिति में क्षेत्रों का उक्त सूची से हटा दिया गया है । संबंधित सूचियाँ विभिन्न संलग्नकों में दी गयी है ।

(अ) वन कक्षों में वार्षिक फुकान–

प्रभाग में चीड़ प्रकाष्ठ कार्यवृत्त के अन्तर्गत कुल 12434.30 है० तथा पेंचदार चीड़ कार्यवृत्त में कुल 2185.02 है० क्षेत्र में वार्षिक फुकान प्रस्तावित है।

(ब) वन कक्षों में एकान्तर फुकान –

प्रभाग के चीड़ प्रकाष्ठ कार्यवृत्त में 5263.92 है० तथा पेंचदार चीड़ कार्यवृत्त में 2471.00 है० क्षेत्र में एकान्तर फुकान किया जायेगा।

(द) पैदल मार्गों के दोनों ओर–

पैदल मार्गों के दोनों ओर 5–5 मी चौड़ी पट्टी में नियंत्रित दाहन किया जायेगा। प्रभाग में 527.021 किमी लम्बाई में उक्त कार्य प्रस्तावित है।

(3) अग्नि रेखाओं का रख रखाव–

वन प्रभाग के अन्तर्गत निर्धारित अग्निरेखायें नहीं है। प्रत्येक रेंज में विभिन्न वनखण्डों तथा वन कक्षों के मध्य निरीक्षण बटियाओं की मरम्मत की जायेगी तथा 5 मी चौड़ाई में सफाई एवं मरम्मत की जायेगी। प्रत्येक रेंज में 100–100 किमी ब्लाक फायर लाईन तथा 140–140 किमी कक्ष फायर लाईन में उक्तानुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(4) अग्नि रोधक दलों का गठन/ड्रिल –

वन क्षेत्रों को आग से बचाने तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अनुभाग स्तर पर अग्नि रोधक दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में 8 से 10 तक नियमित कर्मचारी रहेंगे। दल का नेतृत्व उस अनुभाग के वन दरोगा करेंगे। प्रत्येक टीम लीडर अपनी टीम को संयुक्त बल के रूप में कार्यप्रणाली तैयार कर अनुभाग वन क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय करेंगे। फायर ड्रिल कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 फरवरी से अग्निकाल समाप्ति तक प्रत्येक टीम प्रतिदिन अपराह्न 3 से 7 बजे के बीच एक साथ संयुक्त रूप से अपने कार्यक्षेत्रों में विभिन्न वन कक्षों, फायर लाइनों तथा मार्गों

आदि में अग्नि सुरक्षा के अभ्यास करेंगे। प्रति दिन अगले दिन का अभ्यास स्थल व कार्य का विवरण टीम लीडर द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(5) जन जागरण अभियान –

उत्प्रेरक दल – प्रभाग की विभिन्न रेंजों में कुल 82 बीटें (बागेश्वर– 20, बैजनाथ–14, गढ़खेत–14 कपकोट–19 तथा धरमघर –15 बीट) कियाशील हैं। इसके आधार पर 56 उत्प्रेरक दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक उत्प्रेरक दल में टीम लीडर (बीट प्रभारी) के अतिरिक्त प्रधान (स्थानीय जनप्रतिनिधि), वन पंचायत सरपंच, एक बी0डी0सी0 सदस्य तथा एन0जी0ओ0 जैसे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के सदस्य होंगे।

मार्गदल– प्रभाग के अन्तर्गत मुख्य मार्गों पर अग्नि सुरक्षार्थ मार्ग दलों का गठन किया गया है। इन दलों में विभिन्न गेटों, डिपुओं, पौधशालाओं पर तैनात कर्मचारी/श्रमिकों तथा ग्राम वन समितियों को उत्तरदायी बनाया गया है। विस्तृत विवरण संलग्नक-12 में दिया गया है।

(6) अन्य रणनीतियां :-

प्रभाग में कुल क्षेत्रफल को दो जोन में बाँटा गया है, जिसके प्रभारी उप प्रभागीय वनाधिकारी होंगे। जोन प्रथम में बैजनाथ गढ़खेत व बागेश्वर रेंज का क्षेत्रफल तथा जोन द्वितीय में कपकोट एवं धरमघर के रेंज पड़ेंगे। जोन प्रथम को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है जिसमें गढ़खेत बागेश्वर एवं बैजनाथ रेंज होंगे इसके प्रभारी संबंधित वन क्षेत्र अधिकारी होंगे। जोन द्वितीय में दो सेक्टर होंगे जिसके प्रभारी कपकोट, धरमघर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी होंगे।

सिविल एवं पचायंती वनों के लिए पूरे बागेश्वर प्रभाग के क्षेत्र का क्षेत्रफल चार जोन में बाँटा जाता है। जिसके प्रभारी संम्बन्धित तहसीलदार होंगे। उप जिलाधिकारी बागेश्वर, बागेश्वर जौन के तथा उपजिलाधिकारी कपकोट कपकोट जौन के, तथा उप जिलाधिकारी गरुड बैजनाथ व गरुड वन क्षेत्र के उप जिलाधिकारी काण्डा, काण्डा व धरमघर क्षेत्र के प्रभारी होंगे। इनके द्वारा जो सूचना संकलित की जायेगी उसकी सूचना जिलाधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को नियमित तौर पर दी जाये।

9– अग्नि शमन कार्य –

(1) इस कार्य के अन्तर्गत वन क्षेत्र में लगी हुई आग को पूर्ण रूप से बुझाना है। इस कार्य के लिये वन विभाग में प्रस्ताव के अनुसार मुख्य क्यू स्टेशन बनाये जायेगे। वनों की आग मुख्यतः आग वटिया (फायर लाईन) साफ करके बुझाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण टैकर का प्रयोग करना व्यवहारिक नहीं हैं। नैप सैक की मदद से पानी द्वारा छोटी आग को बुझाया जा सकता है। आग वत्ता (फायर लाईन) की चौड़ाई आग की लपट की उचाई से डेढ़ गुनी चौड़ी होनी चाहिये। इससे आग वत्ता (फायर लाईन) टूटने की सम्भावना कम रहती हैं। अग्नि वत्ता (फायर लाईन) हमेशा जहां तक हो सके सीधी लाईन के रूप में बनाई जायेगी तथा जहां पर मोड़ना पड़े वहीं पर उसकी चौड़ाई अन्य स्थानों की अपेक्षा डेढ़ गुनी से दो गुनी अधिक रखी जायेगी।

(2) क्यू स्टेशन –

क्यू स्टेशन में पांच श्रमिकों की टोली बनाकर सुबह 9.00 बजे से उक्त वन क्षेत्रों की गश्त करने को निकल जायेगें जिन क्षेत्रों में आग लगने की सम्भावना ज्यादा रहती है गश्त के दौरान श्रमिक आग

पट्टियों की सफाई करते हुये जायेंगे। ये दोनो टोलिया दिन के 2.00 बजे वापस आ जायेगी और कू स्टेशन के पांच श्रमिक पुनः गश्त पर निकल जायेंगे कू स्टेशन में हर समय कुछ श्रमिक रहने अनिवार्य है। उप कू स्टेशनों में जहा 5-5 श्रमिक है, ऐसे स्थान से गश्त करेंगे जहां से सम्पूर्ण क्षेत्र दृष्टिगोचर होता हो आग लगने की दशा में गश्ती कू बास प्रत्येक आग में जहां तक सम्भव हो ,जाना सुनिश्चित करेंगे इसमें आग बत्ते में किसी प्रकार की गुजांइश नहीं रहेगी। कू बास हर समय अग्नि की नवीनतम दशा को डिस्पैज कर तथा अपने रेंज आफिसर को सूचित करता रहेगा। बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की दशा में कू बास अतिरिक्त मदद लेने हेतु रेंज आफिसर से सम्पर्क बनाये रहेगा बड़ी आगों की दशा में यह सुझाव दिया जाता है कि अग्नि क्षेत्रों को तब तक न छोड़ा जाय जब तक प्रभावित क्षेत्र में खूंट या मलवा जल रहा हो।

(3) आग बुझाना :-

प्रचार-प्रसार के माध्यम से आग बुझाने में ग्रामवासियों, छात्रों, एस0एस0बी0 व पी0आर0डी0 जवानों, लीसा मेटों/श्रमिकों आदि से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा अग्नि काल में उत्प्रेरक दलों द्वारा ग्रामीणों एवं अन्य की सहायता से आग बुझाई जायेगी।

(4) अग्नि काल से पूर्व :-

उपरोक्त वार्षिक कार्ययोजना के विभिन्न बिन्दु जैसे प्रचार प्रसार अपील जारी करना, स्लोगन पोस्टर आदि वितरण अभियान, नियंत्रित दाहन कार्य, छोटे औजारों की पूर्ति, वायरलैस नेटवर्क का अनुरक्षण वाच टावरों का निर्माण एवं अनुरक्षण फायर डेंजर रेंटिंग सिस्टम से सम्बन्धित उपकरण प्राप्त करना, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना तथा उत्प्रेरक दलों का प्रशिक्षण कार्य कर लिया जायेगा। वनाग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में **Response Teams** का गठन किया जायेगा।

(5) अग्नि मौसम के दौरान :-

- (1) प्रेरक दलों द्वारा नियमित तौर पर क्षेत्रों का गश्त किया जायेगा जहां कहीं भी अग्नि दुर्घटना हो जायेगी उसकी तत्काल सूचना उपलब्ध साधनों के माध्यम से केन्द्रीय कक्ष को देने का प्रयास किया जायेगा। एवं तत्काल आग बुझाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- (2) दावाग्नि पर नियंत्रण हेतु एस0एस0बी0, पी0आर0डी0, ग्रामीणों आदि का सहयोग लिया जायेगा। दिन के समय में आवश्यकतानुसार मार्ग दलों की सहायता की जायेगी एवं विभिन्न सिविल, पंचायती, आरक्षित वनों में नियंत्रित दाहन कार्य किया जायेगा। जिसमें पिरुल को विभिन्न स्थानों से एकत्र कर जलाया जायेगा।
- (3) प्रत्येक अग्नि दुर्घटना की नियमित सूचना उसी दिन केन्द्रीय कक्ष को दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) वनाग्नि सम्बन्धी **Satellite Based** सूचना प्राप्त करना व फील्ड स्तर पर उनका सत्यापन करवाना।

10- वन अग्नि नियंत्रण योजना दीर्घकालीन :-

- (1) चीड़ वनों में चीड़ पत्तियों (पिरूल) ज्वलनशील होने से आग बहुत तेजी से फैलती है चीड़ नीडिल से हार्डबोर्ड बनाने वाले उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा ऐसे उद्योगों को बिना किसी मूल्य अथवा रायल्टी के चीड़ निडिल उपलब्ध कराई जाय ताकि पिरूल से वन क्षेत्र साफ रहे व आग लगने व फैलने की संभावनाओं पर नियंत्रण भी हो सके। इसके अतिरिक्त अच्छी घास प्राप्त करने की प्रत्याशा में ग्रामवासियों द्वारा पिरूल जलाने हेतु की जाने वाली अग्नि घटनायें भी नियंत्रित हो सकती है।
- (2) प्रत्येक गांव का आरक्षित, सिविल, पंचायती व निजी वनों के कुछ क्षेत्रों को आग से बचाने का दायित्व निर्धारित किया जाय। वनों से मिलने वाली सुविधा का उपभोग करने के अवसर उन्हें तभी दिये जाने चाहिए जब वे सौंपे गये क्षेत्र को आग से बचाव करें। जिस गांव के पास के जंगलों में आग लगती है और गांव वासी उसे बुझाने नहीं आते है तो उसस गांव के विकास कार्यों को प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।
- (3) चीड़ वनों में अच्छी पैदावार वाली घास का रोपण किया जाय ताकि प्रचुर मात्रा में घास पैदा होने पर ग्रामवासी अच्छी घास पैदा करने हेतु आग न लगाये। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोड़ा द्वारा पंगोला घास को चीड़ वनों में अच्छी पैदावार देने वाली घास बताया है। इसकी उपज चीड़ वनों में 140.10 कु0 हरी घास प्रति है0 की आंकी गई है।
- (4) जनसंख्या बढ़ने व जंगलों से उनकी रोजमर्रा की इमारती/जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति न हो पाने के कारण ग्रामवासियों के वनों के प्रति उपेक्षा की भावना बढ़ी है। निर्धारित हक-हकूक की 40: की मात्रा ग्रामवासियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देय होने से ग्रामवासियों को और अधिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ रहा है। जिससे वनों की सुरक्षा के प्रति उनकी रुचि अत्यन्त कम हो गई है। वन निगम को दिये जाने वाले पेड़ों के लाप्स व टाप्स वनों में ही छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ग्रामवासियों की जलाऊ ईंधन की आपूर्ति की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सके। ग्रामवासियों को मिलने वाला हक-हकूक भी बिना लाभ-हानि के ग्रामवासियों को उनके समीपस्थ वनों से वन निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चिरान-कटान के बाद श्लैस का दाहन तत्काल वननिगम द्वारा किये जाने का प्राविधान रखा जाना भी उचित होगा।
- (5) पट्टी पटवारी को भी वनों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी होती है। पटवारी गांव की कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े रहते है तथा

ग्रामवासियों को पटवारी का भय भी रहता है। जिससे ग्रामवासी वनों में आग लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। आग लगने पर सूचना पटवारी को मिलते ही आग पर नियंत्रण का प्रयास उनके द्वारा भी होता है। इसी प्रकार वन पंचायत सरपंच को उनकी वन पंचायत की व सिविल वनों की संबंधित ग्राम सभा को सीधी जिम्मेदारी होती है।
- (6) वन मोटर मार्गों का डामरीकरण किया जाय। ताकि बार-बार मरम्मत की आवश्यकता न पड़े व मार्ग निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहें।
- (7) आरक्षित वनों, वन पंचायतों, सिविल वनों की मार्गों की सीमा पर पतझड़ प्रजाति के पेड़ों का एक 25 मी0 चौड़ी हरित पट्टी के रूप में रोपण किया जा सकता है। ताकि अग्निकाल में पेड़ों की पत्तियां न

गिरे व आग लगने का भय कम रहे व आग को हरित पट्टी की सीमा पर ही नियंत्रण कर वनों में आग का फैलने से रोका जा सकें।

- (8) प्रत्येक प्रभाग/जिले में वायरलेस सेटों को ठीक करने हेतु एक टेक्नीशियन होना आवश्यक है। ताकि वायरलेस सेटों में बार-बार आने वाली खराबियों को दूर करवाया जा सकें।

विगत पाँच वर्षों के अग्नि घटनाओं के आधार पर क्षेत्रों की सूची बागेश्वर वन प्रभाग

रेंज	संवेदनशील		रेंज	अति संवेदनशील		रेंज	अत्यधिक संवेदनशील	
	कक्ष सं०	है०		कक्ष सं०	है०		कक्ष सं०	है०
बैजनाथ	शिखरकोट 21	99.60	बैजनाथ	शिखरकोट 17 से 19	225.84	बैजनाथ	शिखरकोट 40,41	156.60
बैजनाथ	शिखरकोट 43	97.10	बागेश्वर	शिखरकोट 7 व 9	227.30	बागेश्वर	विलखेत 5,6	151.90
						बागेश्वर	छत्तीना 1,2,3	330.10
धरमघर	रतमोली 2,3	312.80	बागेश्वर	पालड़ी 13,14	153.70	बागेश्वर	सरना 1,2	121.00
बागेश्वर	उ०खबडोली 6से10	383.60	बागेश्वर	उ०बिन्सर 32	60.30	बागेश्वर	सरना 3,4	137.10
						बागेश्वर	जौलकाण्डे 3	97.10
धरमघर	वासुकीनाग 12	177.20	बागेश्वर	पन्दपाली 1से 3	231.00	बागेश्वर	द०खबडोली 1 से 4	422.80
बागेश्वर	द०पारकोट 1से 3	215.00	गढ़खेत	उ०खबडोली 27 से 29	220.90	बागेश्वर	उ०खबडोली 1 से 4	254.30
बागेश्वर	पालड़ी 13,14	153.70	गढ़खेत	उ०खबडोली 20 से 21	156.10	धरमघर	वासुकीनाग 7,8	212.80
गढ़खेत	पारकोट 1	83.30	गढ़खेत	उ०खबडोली 35 से 37	214.90	बागेश्वर	द०पारकोट 6	117.00
बैजनाथ	द०खबडोली 32,33	85.40	गढ़खेत	कुलाऊ 20से 23	299.80	गढ़खेत	द०पारकोट 13	75.30
बैजनाथ	गरुड़ 8,9	226.10	गढ़खेत	कुलाऊ 1से 2	175.70	बागेश्वर	झिरौली 1 से 4	295.50
ग्लेशियर	लीली	3030.90	बैजनाथ	मजकोट	1946.90	गढ़खेत	द०खबडोली 14 से 16	288.80
कपकोट	कालीधार 1	51.80	कपकोट	पुगर 11	195.40	गढ़खेत	कुलाऊ 11से 14	294.60
कपकोट	जखेड़ी	1237.	धरमघर	करीमपुर आरक्षित	261.80	धरमघर	पुर्गौर 4से 6	479.50

		70						
कपकोट	पोखडाडा	174.08	कपकोट	खारबगड़ आरक्षित	79.70	धरमघर	चौकोड़ी बेरीनाग 18 से 21	694.20
कपकोट	कफलटौक	2724.70	धरमघर	वास्ती	2330.10	गढ़खेत	वज्यूला 3,4	450.80

प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत आलोच्य नियंत्रण वर्ष 2016-17 में जिन क्षेत्रों में वार्षिक फुकान/एकान्तर फुकान प्रस्तावित किया गया है, सहायक वन संरक्षक द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण/निरीक्षण एवं परीक्षण कर लिया गया है। इनमें से ऐसे क्षेत्र जहाँ नियंत्रित फुकान की आवश्यकता नहीं है कम कर दिये गये हैं। शेष क्षेत्रों में वार्षिक/एकान्तर फुकान किये जाने का औचित्य निम्न प्रकार है –

- 1-पिरूल का अत्यधिक मात्रा में होना।
- 2-लीसा कूप का होना।
- 3-क्षेत्र में आबादी का होना/मार्ग होने के कारण अत्यधिक आवाजाही होना।
- 4-क्षेत्र में विगत चार वर्षों के अन्तर्गत वृक्षारोपण होना।
- 5-क्षेत्र का ढंगारी तथा दूरस्थ होना।

सिविल वनों के लिए संबंधित पटवारी एवं वन पंचायतों के लिए वन पंचायत निरीक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार रहेंगे। सिविल एवं पंचायती वनों में नियंत्रित दाहन क्रमशः संबंधित ग्राम प्रधान तथा वन पंचायत सरपंच द्वारा संसाधनों की उपलब्धता अनुसार किया जायेगा। धनराशि ग्राम प्रधान/सरपंच को सीधे उपलब्ध करा दी जायेगी। संबंधित बजट की उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी व वन पंचायत निरीक्षक के माध्यम से संबंधित वित्त पोषित अधिकारी, जिलाधिकारी अथवा वनाधिकारी को (जैसी स्थिति हो) उपलब्ध कराया जायेगा।

फायर स्टेशन पर रखने वाले उपकरण तथा उपलब्ध उपकरणों के नाम/संख्या –

क्र०सं०	नाम	संख्या
1.	ब्रुशाहुक	37
2.	पुलास्की	25
3.	मैकलायड	41
4.	शाविल	109
5.	फायर रैक	340
6.	डबल विट एक्स	59
7.	वायरलैस बेस स्टेशन	09
8.	जी०पी०एस०	13
9.	हैण्डसैट	49
10.	हैलमेट	100
11.	वाटर बॉटल	300
12.	टार्च	100
13.	दवा बॉक्स	

14.	पानी रखने हेतु बर्तन	
15.	नाशते की सामग्री	
16.	वायरलैस/फोन व महत्वपूर्ण फोन नंबर	

क्रू-स्टेशन में निम्न सामग्री रखी जायगी –

- 1-फायर प्लान
- 2-फायर मैप
- 3-अग्नि उपकरण
- 4-रजिस्टर
- 5-वायर लैस सैट
- 6-हैण्ड सैट
- 7-थर्मामीटर
- 8-हैग्रोमीटर
- 9-पानी
- 10-टेलीफोन/मोबाइल सैट

जिला एवं ब्लाक समीतियों का गठन एवं स्वरूप

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन देहरादून, डा0 आर0एस0 टोलिया द्वारा जारी वन एवं पर्यावरण अनुभाग की शासकीय पत्र संख्या 1766/FRDC/2002 दिनांक 11/10/2002 के निर्देशानुसार वनों में आग से रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार किए जाने हेतु प्रदेश के जनपदों/ब्लॉक में जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय समितियों का गठन निम्न प्रकार किया गया, जिसकी प्रति सभी जिलाधिकारियों एवं पृष्ठाकित प्रमुख वन संरक्षक तथा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजी गई।

जिला स्तरीय समिति का स्वरूप

- | | |
|--|---------|
| 1. जिलाधिकारी – | अध्यक्ष |
| 2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,– | सदस्य |
| 3. मुख्य विकास अधिकारी – | सदस्य |
| 4. लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी जो –
अधिकांश अभियन्ता स्तर से कम न हो | सदस्य |
| 5. समस्त परगनाधिकारी – | सदस्य |
| 6. जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता –
जो पर्यावरण में रुचि रखते हों | सदस्य |
| 7. प्रभागीय वनाधिकारी– | संयोजक |

ब्लॉक स्तरीय समिति का स्वरूप

- | | |
|--|---------|
| 1. ब्लॉक प्रमुख– | अध्यक्ष |
| 2. खण्ड विकास अधिकारी | – सदस्य |
| 3. मुख्यालय पर संबंधित थाने का थानाध्यक्ष | – सदस्य |
| 4. परगनाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी | – सदस्य |

- जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो
- | | | |
|---|---|--------|
| 5. ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 ग्राम प्रधान | — | सदस्य |
| 6. ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रूचि रखते हों | | सदस्य |
| 7. सहायक वन संरक्षक | — | संयोजक |

समिति के कार्य एवं दायित्व —

- 1— आरक्षित, सिविल व पंचायत वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात के अनुरूप उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
- 2— सिविल वनों में अग्नि सुरक्षा वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- 3— पंचायती वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु पंचायतीराज विभाग, वन विभाग, सरपंच एवं ग्रामीणों की भूमिका तय करना व उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- 4— लोक निर्माण विभाग, डी0जी0बी0आर0 की सड़कों को पक्का कराये जाने आदि के कार्यों के समय वनों की आग से सुरक्षा हेतु सतर्कता बरतना एवं इन विभाग के कर्मचारियों व श्रमिका का सहयोग प्राप्त करना।
- 5— वनों में अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा कार्य का अवलोकन व इनका अनुश्रवण किया जाना।
- 6— वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे (यथा A.L.P) वन पंचायत, ग्राम वन समिति, इको डेवलपमेंट, स्वयंसेवी संस्थान आदि का सहयोग)

सूचना नेटवर्क —

- 7— शासन को विशेष अतिरिक्त उपाय एवं संसाधनों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना।

वन विभाग

बागेश्वर (05963-05963-220249)

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री बी०एस० शाही	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	8958721188
2	श्री एन०डी० पाण्डे	वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर	9412105827,9690822778
3	श्री भूपाल सिंह बिष्ट	वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ	9410162758
4	श्री राजे सिंह रमोला	वन क्षेत्राधिकारी गढखेत	7895119541
5	श्री अन्नन्त राम	वन क्षेत्राधिकारी धरमघर	9410192984
6	श्री भुवनेश कुमार पन्त	वन क्षेत्राधिकारी कपकोट	8755941369
7	श्रीमती शशि देव	वन क्षेत्राधिकारी ग्लेशियर	9410591027

मास्टर वायर लैस बैस—

क्रम०सं०	रेंज	मास्टर वायर लैस बैस
1.	बागेश्वर	कठायतबाडा

2.		काण्डा
3.		धरमघर
4.	कपकोट	जखेड़ी
5.		हिचौड़ी
6.	गढखेत	वज्यूला
7.	बैजनाथ	पुरुड़ा
8.		कौसानी

हैण्ड सेट –

- 1) प्रभागीय वनाधिकारी
- 2) उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3) समस्त बैरियर—बालीघाट, छत्तीना, सरना, कनगाड़छीना, कौसानी,
- 4) समस्त वन क्षेत्राधिकारी (बागेश्वर, कपकोट, गढखेत, बैजनाथ, धरमघर एवं ग्लेशियर)
- 5) पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ।

:: पैदल एवं मोटर मार्गों की सूची ::

रेंज	पैदल मार्ग का नाम	लम्बाई किमी0
बागेश्वर	1— बालीघाट—बचीगांव	9.036
	2— कठायतबाड़ा—आरे	1.791
	3— बचीगांव—खुमटिया	6.44
	4— कठायतबाड़ा—डोलियाछीना	11.20
	5— बचीगांव—डोलियाछीना	6.594
	6— कुकड़गाड़—डोलियाछीना	11.20
	7— कठपुड़िया—बिलौनासेरा	10.46
	8— देवलधार—तमकिया	5.06
	9— बागेश्वर—जौलकाण्डे	1.95
	10— बागेश्वर—जड़ियाखाली	11.49
	11— बागेश्वर—नौगांव	2.81
	12— कठपुड़िया—जड़ीखाल	10.18
	13— दाड़िमखेत—कन्यालीकोट	8.15

	14- छौना-घोड़चुला	18.605
	15- कठायतबाड़ा- कुकुड़माई	4.528
	16- बचीगांव-घेड़चुला	2.30
	17- बुड़घुना-फल्यांटी	3.38
	18- फल्यांटी-मील नं3 जिला परिषद मार्ग	7.46
	19- नौगांव-भीड़ीगांव पैदल मार्ग	3.36
	20- ऊपर भेली सड़क ढूंगीधार कं0 नं6	23.62
	21- बिलखेत कं0 नं2 जिला परिषद मार्ग तक	2.51
	22- बुमधार-खुनौली	4.31
	23- अमसरकोट-गड़िया	10.12
	24- द0 पारकोट 6-11 तक	9.00
	25- उ0खबडोली कं0नं0 12 लीसा डिपो बालीघाट	1.60
	26- बमराड़ी-ऐराड़ी	5.00
	27- थकलाड़-बिलेखत-उडलगांव-शिखर कोट	8.50
	28- पन्द्रहपाली निरीक्षण बटिया	3.00
	29- दक्षिणी खबडोली निरीक्षण बटिया	1.27
	30- गैराड़-फल्यांटी	6.50
	31- गैराड़-दोफाड़	10.00
	32- घिंघारतोला-भेरूचौबट्टा	5.00
	33- घिंघारतोला-काण्डा	4.00
	34- काण्डा-धपोलासेरा	5.00
	35- बालीघाट-घिरौली	3.00
	36- बालीघाट-पन्द्रहपाली-बचीगांव	6.00
	37- पन्द्रहपाली-गौरीउडियार	4.00
	38- पन्द्रहपाली-हड़बाड़	2.50
	39- बालीघाट-खुल्दौड़ी	3.00
	40- बिजोरी-धारी	3.00
	41- बागेश्वर- माल्ता	4.00
	योग-	260.924
धरमघर	1- हुडम लीसा मार्ग	4.50
	2- बाजड़ नरवाघोल	3.00
	3- कमेड़ीदेवी-विजयपुर	6.40
	4- कमेड़ीदेवी-चौकोड़ी	6.00
	5- बिगुल-सानीउडियार	2.27
	6- चौकोड़ी-बेरीनाग 1 से 4	3.00
	7- हल्द्वानी-नाचनी	4.33
	8- बैकोड़ी-स्यूनीगांव	3.00
	9- चौकोड़ी-सानीउडियार	6.40
	10- लेटला कं नं 4,5 निरीक्षण बटिया	7.14
	योग-	46.04
गढ़खेत	1- ढोकुरा-गढ़खेत	6.37
	2- बज्यूला-जौलचौरा	9.86

	3- खुमटिया-सलानी	4.83
	4- गढ़खेत-खुमटिया	7.399
	5-कुकुड़ा-जिनतोली	6.00
	6-गढ़खेत-सेलाखरक	11.91
	7-लमचूला कं 32 से कं 26-29 तक	9.20
	8- कठपुड़िया/हरिद्वारछीना	6.44
	9- जिनतोली-बिजोरिया	5.00
	10- बमोरिया-खबडोली	2.00
	11- कन्धार बज्वाड़	5.00
	12- कठपुड़ियाछीना-हरद्वारछीना	6.40
	13- परकोटी-ग्वालदम	10.00
	14- पुरुड़ा-जिनतोली	15.00
	योग-	105.479
बैजनाथ	1- बज्वाड़- ताल	11.16
	2- बैजनाथ-गैरलेख	11.27
	3- ताल-रौलियाना	3.22
	4- बज्वाड़- धामू	3.59
	5- लोहानी-महरपाली	2.08
	6- गरुड़-महरपाली	2.08
	7- महरपाली-ढुकुरा	5.17
	8- भौरा-जिनखोला	2.00
	9- कन्धार-बज्वाड़	6.00
	10- बैजनाथ से कोट भ्रामरी मंदिर	3.00
	11- बैजनाथ से परकोटी	5.00
	योग-	54.57
कपकोट	1- दोफाड़-हरसीला पैदल मार्ग	17.86
	2- लीती-लाहुर पैदल मार्ग प्रस्तावित जिलायोजना	17.00
	3- हरसीला- जखेड़ी	6.44
	4- जखेड़ी-सुकुण्डाखाल पैदल मार्ग	10.987
	5- जखेड़ी-कन्यालीकोट पैदल मार्ग	8.40
	6- लीती- गोगिना जिला परिषद मार्ग	20.00
	7- हरसीला-जगथाना पैदल मार्ग	24.00
	8-गोदियाधार-कर्मी	10.00
	9- सरन-बघर	5.00
	10- बांस-कर्मी	10.00
	11-भुनार, सूपी-खलझूनी जिलापरिषद पैदल मार्ग	20.00
	12- हरकोट जिला परिषद पैदल मार्ग	10.00
	13- रीठाबगड़-हरसिगियाबगड़-शामा	15.00
	14- फाल्दा पुल से रतायस पैदल मार्ग	8.00
	15- असों झूला पुल से लीती तक पैदल मार्ग	8.00
	16- गोलना झूला पुल से जखेड़ी 12 तक	8.00
	17- झोपड़ा से शिखर मन्दिर बास्ती के नं 13	8.00

	18- लोहारखेत पिण्डारी	12.00
	19- कपकोट से चिरपतकोट पैदल मार्ग	7.00
	योग	255.687
	कुल योग-	722.70

6.9 नगरपालिका परिषद् बागेश्वर ::

नगर की स्थिति – बागेश्वर नगर उत्तराखण्ड का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक, पौराणिक एवं पर्यटन स्थल है जो कि जनपद बागेश्वर का एक मात्र नगरीय क्षेत्र है । यह नगर सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर नीलेश्वर एवं भीलेश्वर की तलहटी में स्थित है । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है । वैसे भी जनपद बागेश्वर जोन 5 में स्थित होने के कारण इन आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है ।

बागेश्वर नगर समुद्र तल से 960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । बागेश्वर नगर में पिण्डारी ग्लेशियर, सुन्दरढूंगा एवं सौ धारा, कफनी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर जाने वाले पर्यटक ठहरते हैं बागेश्वर नगर में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं यहां के मां चण्डिका मंदिर, नीलेश्वर मंदिर एवं बागनाथ मंदिर एवं अन्य मन्दिर तथा प्रमुख पर्यटक/दर्शनीय स्थल हैं ।

क्रम सं०/वार्ड सं०	वार्ड का नाम	निर्वाचित सभासदों के नाम
1	बिलौनासेरा	श्री भूपेन्द्र सिंह,
2	नारायणदेव	श्रीमती बबिता पाण्डे,
3	ज्वालादेवी	श्रीमती नीमा,
4	सैम मन्दिर	श्रीमती नीमा देवी,
5	बागनाथ	श्री धीरेन्द्र परिहार,
6	ठाकुरद्वारा	श्रीमती मुन्नी मेहता
7	कठायतबाड़ा	श्री प्रेम सिंह,
8	मण्डलसेरा –उत्तर	श्री कैलाश राम,
9	मण्डलसेरा–दक्षिण	श्रीमती रूपा देवी,
10	मां चण्डिका	श्री नितेश कुमार,
11	वेणीमाधव	श्री नवीन चन्द्र,

नगर के खतरे एवं घातकता वाले क्षेत्र/संरचना

श्रेणी “अ” (अत्यधिक खतरा एवं घातकता)

1. बिलौनासेरा कक्ष
2. नारायणदेव कक्ष
3. ज्वालादेवी कक्ष
4. सैम मन्दिर कक्ष
5. ठाकुरद्वारा कक्ष – नीलेश्वर पहाड़ी, भतरौला नाला
6. कठायतबाड़ा कक्ष – कैलखुरिया नाला
7. मण्डलसेरा कक्ष (उत्तर)
8. मण्डलसेरा कक्ष (दक्षिण)
9. मां चण्डिका कक्ष – भागीरथी नाला, चण्डिका पहाड़ी क्षेत्र, गाड़गांव का पहाड़ी क्षेत्र
10. वेणीमाधव वार्ड, कक्ष – सम्पूर्ण
11. सरयू पुल
12. गोमती पुल
13. समस्त निर्माणाधीन कार्यालय
14. पेट्रोल पम्प एवं किरोसिन डिपो
15. समस्त स्कूल
16. समस्त घाट

17. समस्त रौले

श्रेणी "ब" (मध्यम खतरा एवं घातकता)

दुगबाजार, नुमाईशखेत, चौकबाजार, बागनाथ कक्ष

नगर में स्थित संवेदनशील स्थान, मोटर एवं पैदल मार्ग—

क्रम संख्या	मार्ग का नाम
1—	वेणीमाधव वार्ड में जी0जी0आई0सी0 से नईबस्ती पैदल मार्ग
2—	वेणीमाधव वार्ड में भिटालगांव पैदल मार्ग
3—	वेणीमाधव वार्ड में दफौट मोटर एवं मार्ग के नीचे नईबस्ती वाला रेला
4—	दुगबाजार से मेहनरबूंगा तक का सी0सी0 मार्ग
5—	मां चण्डिका वार्ड में मीट मार्केट से चण्डिका पैदल मार्ग
6—	राधाकृष्ण मन्दिर से मण्डलसेरा मार्ग
7—	भतरौला पुल से ठाकुरद्वारा मन्दिर तक पैदल मार्ग
8—	कैलखुरिया पुल से नीलेश्वर पैदल मार्ग
9—	घटबगड़ में बस स्टेशन से नीलेश्वर पैदल मार्ग
10—	पेट्रोल पम्प से बाल्मीकी बस्ती का पैदल मार्ग
11.	सैम मन्दिर वार्ड में इण्टर कालेज मार्ग

नगर क्षेत्र में पालिका में उपलब्ध की संसाधन सूची

संसाधन / उपकरण	वस्तुओं की संख्या
टिप्पर	03
जीप (बुलैरो)	01
पानी टैंकर	01
महेन्द्रा जीओ (छोटा वाहन)	01
पानी पम्प	01
वाहन चालक	03

वाहनों सम्बन्धी विवरण —

1. महेन्द्रा बुलैरो यू0के0 / 02 / 7496 — चालक — श्री बिशन राम
2. टिप्पर (छोटा-महेन्द्रा) यू0ए0 02 / 182 चालक श्री गोपाल राम (दैनिक वेतन)
3. टिप्पर (बड़ा -टाटा) यू0के0 02 / सीए / 0211
4. पानी टैंकर — यू0के0 / 02 / 0353 — चालक श्री जमन लाल (संविदा)
5. महेन्द्रा (छोटा वाहन जी0ओ0) चालक श्री जमन लाल

—नगर स्तर पर संस्थागत उपाय—(Institutional Arrangements)

संस्था के कार्य—

सामान्य दिनों में संस्था के निम्नलिखित कार्य होंगे—

- संस्था आपदा प्रबन्ध समिति के सहयोग से संस्था आपदा प्रबन्ध कार्य योजना का मूल्यांकन एवं update करना।

- स्थानीय निकाय एवं समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से नगर की आपदा से संबंधित स्थिति की समीक्षा करना।
- नगर आपदा नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना।
- नगर आपदा अन्तराक्षेपण दलों के गठन एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।

नगर आपदा प्रबन्धन समिति—

नगर आपदा प्रबन्ध समिति, जिसमें निकाय के समस्त निर्वाचित/नामित एवं पदेन सदस्य, नगर के सभी अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संस्थाएँ शामिल होंगी, अधिशासी अधिकारी को निम्न कार्यों में सहयोग करेंगी—

- नगर में सम्भावित आपदाओं को खतरों का विश्लेषण कराना।
- नगर में सम्भावित आपदाओं की घातकता का विश्लेषण कराना।
- पूर्व तैयारी का मूल्यांकन कराना।
- नगर आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना का मूल्यांकन एवं सुझावों द्वारा उनमें परिवर्तन करना।

नगर आपातकालीन परिचालन केंद्र

नगर आपातकालीन परिचालन केंद्र अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा। यह नियन्त्रण कक्ष आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी कार्यों को सफलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से क्रियान्वित करने का एक मुख्य केन्द्र होगा।

यह केन्द्र सामान्य दिनों में अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में निम्न कार्य करेगा—

- सभी चेतावनी यन्त्रों तथा अन्य उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।
- नगर की घातकता सम्बन्धी सूचना एकत्र करना तथा उन्हें जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को भेजना।
- नगर आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना को नगर के विभिन्न स्तरों पर लागू करना।
- विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को सामुदायिक पूर्व तैयारी के लिये तैयार करना।
- नगर की आपदा सम्बन्धी दस्तावेज एवं रिपोर्ट तैयार करना तथा आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सौंपना।

ऑपरेशन ग्रुप—

- राहत एवं वचाव में त्वरित कार्यवाही करना।
- खाद्य सामग्री, दवाई, पानी आदि की आपातकालीन आपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करना।
- आपातकालीन यातायात सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- नगर में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता सुचारु करना एवं आवश्यकता अनुसार उपकरणों के क्रय हेतु जिला कार्यालय को सूचित कर बजट का आवंटन कराना।
- जिलाधिकारी, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र एवं आपातकालीन आपरेशन केन्द्र में सम्पर्क करना।
- नगर आपदा राहत एवं वचाव कार्यों की सुचारु देखरेख करना।

अधिशासी अधिकारी की भूमिका—

आपदा के समय अधिशासी अधिकारी के निम्न कार्य होंगे—

- अन्य विभागों से सम्पर्क कर संसाधनों की व्यवस्था करना।
- जिला आपदा प्रबन्ध एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र के निरन्तर सम्पर्क में रहना।

स्थल परिचालन केन्द्र की स्थापना एवं राहत शिविर—
योजना का अनुमान—

आपदा के स्वभाव एवं नुकसान की प्रवृत्ति को देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि स्थल परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों की स्थापना की जाये। इस स्थिति में—

1—अधिकांशी अधिकारी आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष द्वारा आपदा के उचित प्रबन्ध हेतु दुर्घटना स्थल के आस पास एक स्थल परिचालन केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।

2—राहत एवं पुर्नवास कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों को बंद किया जा सकता है।

3—स्थल परिचालन केन्द्र का कार्य अवर अभियन्ता द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी वे किसी भी आपदा से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में जागरूक रहेंगे। जब भी कोई ऐसी सामने आती है अथवा आने की सम्भावना हो उस सूचना को अविलम्ब क्षेत्र के तहसीलदार/नगर के आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देंगे जिसका दूरभाष नं० 05963220003 एवं 05963220030 है। किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना के आदान प्रदान हेतु पुलिस विभाग के वायरलेस सेटों का प्रयोग किया जायेगा। उपरोक्त सूचना तुरन्त उप जिलाधिकारी को दी जायेगी तथा उप जिलाधिकारी तुरन्त स्थापित आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष के नोडल अधिकारियों को सूचित करेंगे। नोडल अधिकारी नियन्त्रण कक्ष में आकर विभिन्न डेस्कों का कार्य देखेंगे तथा प्रभावित क्षेत्र की सूचना के अनुसार उप जिलाधिकारी क्षेत्रों में स्थल परिचालन केन्द्र की स्थापना करवायेंगे। अधिकांशी अधिकारी नगरपालिका परिषद बागेश्वर प्रभावित लोगों से प्राप्त सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय के आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायेंगे और इन सूचनाओं के आधार पर ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना की जायेगी।

स्थल परिचालन केन्द्र का मुख्य कार्य जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं राहत शिविरों के मध्य सूचना एवं संचार तथा राहत कार्यों का सामंजस्य स्थापित करना है।

अतिमहत्वपूर्ण

नगर के समस्त वार्डों एवं क्षेत्रों *आपदा प्रबंध कार्यदल*ों का गठन कर उन्हें *खोज बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा* में प्रशिक्षण दिया जाना है। यह दल किसी भी आपातकालीन स्थिति में नगर तथा अन्य राहत दलों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

नीति अभिधारणा.

नगर में आपदा जैसी जब भी कोई स्थिति सामने आती है अथवा आने की सम्भावना हो उसकी सूचना अविलम्ब कन्ट्रोल रूम को देंगे। सूचना के आदान प्रदान हेतु पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के वायरलेस सेटों का प्रयोग किया जा सकता है। सम्भावित विभागों से आशा की गयी है कि वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे। कन्ट्रोल रूम में आने वाली किसी भी आपदा की सूचना जिलाधिकारी को भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। नगर का कन्ट्रोल रूम का फोन नं० 05963220030 / 05963220003 है। वर्षा ऋतु में सभी सेट कार्यशील रहेंगे तथा किसी भी आपदा की सूचना तुरन्त कन्ट्रोल रूम को प्रेषित करेंगे।

त्वरित वाढ

नीति अभिधारणा—

त्वरित बाढ विना चेतावनी देकर आती है। इनके प्रबन्ध हेतु उच्च स्तर पर अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख ऐजेन्सियां—

- 1-इनके प्रबन्ध हेतु राजस्व लो०नि०वि०, सिंचाई, अग्निशमन तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख ऐजेन्सियां हैं।
- 2-इन आपदाओं के कारण जन सेवाओं की अत्यधिक हानि होती है इसलिये विद्युत एवं संचार विभाग उप विभाग के रूप में कार्य करेंगी।
- 3-फसलों एवं पशुधन की हानि को कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग देखेगा।
- 4-इन आपदाओं के प्रबन्ध हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र/राज्य परिचालन केन्द्र की सहायता आवश्यक है।

सम्भावित प्रभाव-

व्यक्तिगत-

1-मानव हानि

2-घायल

सामूहिक प्रभाव-

1-मकान

2-पशुधन

3-फसलें

4-भूमि

5-सड़कें एवं रेल

6-पुल

7-विद्युत

8-जल

9-भूमिगत केविल

अनुक्रिया-

1-नगर में राहत शिविरों की स्थापना की जायेगी।

2-घायलों को तुरन्त इलाज एवं मलवे में दबे हुये लोगों को विभागों के सम्बन्धित विभागों का सहयोग लेकर उपकरणों एवं खोजी कुत्तों की सहायता से निकाला जायेगा।

3-खोज एवं वचाव कार्य में खोज एवं वचाव दल, पुलिस तथा अग्निशमन के विशेषज्ञों की सहायता ली जायेगी।

4-टूटे मकानों, पुलों, सड़कों, विद्युत, जल तथा अन्य संरचना का तकनीकी सर्वे कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

5-पुनः स्थापना हेतु नये स्थानों का चयन किया जायेगा।

6-महामारी न फैले इसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

7-भूमि एवं पशुधन की हानि को दूर करने हेतु दीर्घकालिक योजना बनाई जायेगी।

सड़क मार्ग दुर्घटनाएँ

नीति अभिधारणा-

1-सड़क मार्ग दुर्घटनाएँ स्थानीय स्तर पर होती हैं।

2-इसलिये अनुक्रिया हेतु स्थानीय स्तर पर तैयारी की आवश्यकता होती है।

3-दुर्घटना के समय अगर ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली वस्तु शामिल है तो स्थानीय लोगों को अन्यत्र कहीं थोड़े समय के लिये हटाया जा सकता है।

प्रमुख ऐजेन्सियां-

1-इसके प्रबन्ध हेतु प्रमुख ऐजेन्सियां पुलिस एवं क्षेत्रीय यातायात विभाग है।

2-बड़ी दुर्घटना के समय इन ऐजेन्सियों के अलावा अग्निशमन एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवायें भी ली जा सकती हैं।

सम्भावित प्रभाव-

व्यक्तिगत-

1-मानव हानि

2-आघात

3-जलना

4-घायल

सामूहिक -

1-वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2-सामान का नष्ट होना

अनुक्रिया-

1-दुर्घटना के उपरान्त हड़डी विशेषज्ञ एवं सर्जन की सेवायें ली जायेंगी।

2-वाहन में फंसे लोगों को निकालने हेतु मैटल कटर की आवश्यकता होगी।

3-वाहन अगर ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली वस्तु ले जा रहा है तो दुर्घटना के उपरान्त अग्निशमन एवं सेना के विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी।

4-वाहन अगर दुर्घटना के उपरान्त नदी में गिर गया है तो गोताखोरों की सहायता ली जायेगी।

5-रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ से प्रभावित लोगों के लिये विशेष उपचार की व्यवस्था की जायेगी।

6-राहत कार्यों में अनावश्यक देरी ना हो इसलिये दुर्घटना के उपरान्त हानि का आंकलन तुरन्त किया जायेगा।

अग्निकाण्ड

प्रमुख एजेन्सियां-

1-इन घटनाओं में मुख्यतः अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्य किया जायेगा।

2-बड़े अग्निकाण्ड में अग्निशमन विभाग द्वारा पॉवर कॉपोरेशन एव जल संस्थान की सहायता ली जायेगी।

सम्भावित प्रभाव -

1-मकानों का जलना

2-सम्पत्ति का नष्ट होना

3-घायल

4-मानव हानि

अनुक्रिया-

1-गम्भीरता से जले लोगों को तुरन्त अस्पताल में ले जाया जायेगा।

2-जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा खोज वचाव कार्य एवं अग्नि पर काबू पाया जायेगा।

3-दुर्घटना के कारण हुई हानि का आंकलन तुरन्त किया जायेगा।

4-परिवारों के विच्छड़ने की दशा में दुर्घटनास्थल पर सूचना केन्द्र खोले जायेंगे।

5-दुर्घटना के कारण बाधित हुई सेवाओं जैसे- जल, विद्युत, संचार एवं अन्य को तुरन्त बहाल किया जायेगा।

6-दुर्घटना स्थल के आसपास कानून व्यवस्था बनाई जायेगी जिससे राहत कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।

स्वयंसेवी संगठन एवं सामुदायिक सहाभागिता के क्षेत्र

स्वयंसेवी संगठन अपने समर्पित कार्यकर्ताओं एवं क्षमता के अनुरूप आपदा प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिये ये संगठन किसी भी आपातकालीन स्थिति में खोज एवं वचाव, राहत, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अन्य कार्यों में उपजिलाअधिकारी बागेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। यह संगठन नगर आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना के एक इकाई के रूप में प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुये कार्य करेंगे।

सामुदायिक सहाभागिता के क्षेत्र-

दुर्घटना उपरान्त प्रभावित लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु स्थानीय संसाधनों का भरपूर उपयोग करने हेतु एवं अन्य कार्यों में समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। समुदाय एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी निम्न क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी।

आपदा पूर्व निकास के दौरान-

1-सम्पूर्ण सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये आपदा पूर्व निकाय जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से एक साथ किया जायेगा।

2-यातायात के अपर्याप्त साधन होने की दशा में एवं अन्य कोई घटना घटित ना हो इस लिये सबसे पहले गम्भीर बीमार लोगों को, उसके बाद बच्चे, महिलायें एवं अपंग लोगों को तथा बाद में बूढ़े लोगों को निकाला जायेगा।

3-किसी भी आपातकालीन निकासी के दौरान प्रत्येक परिवार अपने साथ 2 से 3 दिन का पानी, खाना, कपड़े, पहचान पत्र, महत्वपूर्ण कागजात, डायरी तथा अन्य सामान रखे ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

4-घर छोड़ने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति मुख्य स्विच से पानी, गैस एवं विजली बंद करे, ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।
आपदा के दौरान-

1- प्रत्येक व्यक्ति संयम एवं धैर्य रखे।

2- प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित स्थान में रहे एवं चोटों से स्वयं को बचाये।

3- टूटी तथा खतरनाक इमारतों में प्रवेश ना करे।

4- विजली के पोलों एवं तारों को ना छुए।

5- टेलीफोन का इस्तेमाल फालतू ना करे।

6- घायलों का ध्यान रखे किन्तु उन्हें हिलाये नहीं।

7- प्राथमिक उपचार करे।

8- राहत कार्यों में बाधा ना डाले।

वैकल्पिक व्यवस्था - आपदा के दौरान पालिका द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तथा कर्मचारियों से कार्य लिया जाएगा।

सहायता एवं पुर्नवास के दौरान-

किसी भी आपदा के पश्चात समुदाय आघात की स्थिति में होता है। इसलिये आघात की स्थिति से उबरने के लिये राहत एवं पुनर्वास के दौरान समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

6.10 :: कृषि विभाग बागेश्वर :

जनपद पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां मुख्यतः पथरीली तथा बलुई किस्म की मिट्टी तथा नदियों की घाटी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहां पर सीढ़ीनुमा खेत हैं जिस कारण खेती का कार्य साधारण रूप से होता है तथा मशीनरी का कम से कम प्रयोग किया जाता हैं तलाऊ भूमि प्रायः समतल होती हैं। खरीफ में मुख्यतः धान, मक्का मण्डुवा, सोयाबीन, कालाभट्ट एवं उर्द तथा रबी में गेहूँ, मसूर एवं सरसों की खेती की जाती है। बीच-बीच में कुछ नकदी

फसलें जैसे- आलू, प्याज, अदरक, हल्दी एवं अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। जनपद की भूमि उपयोगिता के आँकड़ें निम्न प्रकार हैं:-

क्र०सं०	मद	इकाई	ऑकड़ें
1	2	3	4
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि०मी०	2246
2	प्रतिवेदित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	207902
3	वन	हैक्टेयर	110160
4	खेती के लिए उपलब्ध नहीं (बंजर एवं अन्य भूमि)	हैक्टेयर	11396
5	परती भूमि के अतिरिक्त अकृष्य भूमि	हैक्टेयर	58460
6	परती भूमि	हैक्टेयर	3432
7	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	24454
8	कुल बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	42375
9	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	17921
10	फसल गहनता (प्रतिशत में)	हैक्टेयर	173.28
11	वास्तविक बोया गया सिंचित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	5866
12	सम्पूर्ण बोया गया सिंचित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	11690
13	एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	5824
14	वास्तविक बोया गया असिंचित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	18588
15	सम्पूर्ण बोया गया असिंचित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	30685



भूकम्प/बाढ़ के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र राहत कार्य हेतु कार्य योजना

1. **कृषि के लिए व्यवस्थाएँ**— भूकम्प/बाढ़ आने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों/खेतों का सर्वेक्षण कर चिन्हित करना, यदि भूकटाव व मलवा खेतों में आने पर उन स्थानों का संरक्षण किया जा सकता है। भूमि कटाव वाले स्थानों पर चारा वाली फसलों जैसे— नैपियर घास, औस घास, रिंगाल आदि का वृक्षारोपण किया जा सकता है।
2. **बीज की व्यवस्थाएँ**— भूकम्प/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ व रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का आवंटन मिनीकिट के रूप में निशुल्क किया जा सकता है। इस हेतु जनपद में 3 विकासखण्डों व 35 न्याय पंचायतों के माध्यम से यह कार्य जनपद के प्रत्येक गांव तक सम्भव किया जा सकता है।

जनपद में आपदा के समय सम्भावित बीज की आवश्यकता निम्न प्रकार हो सकती है(धनराशि लाख में एवं मात्रा कु0 में)

क्र0 सं0	निवेश/बीज	बागेश्वर		गरुड़		कपकोट		सम्पूर्ण योग	
		मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
1	खरीफ बीज विभिन्न फसलों व प्रजाति के बीज	80	3.75	40	1.87	50	2.34	170	7.96
2	रबी बीज विभिन्न फसलों व प्रजाति के बीज	80	3.70	50	2.31	60	2.77	190	8.78
योग		160	7.45	90	4.18	110	5.11	360	16.74

3. **रसायन की व्यवस्थाएँ**— आपदा के समय कृषकों की फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट, रोगों का प्रकोप ज्यादा होने की सम्भावना रहती है। अतः फसलों की कीटों व रोगों से सुरक्षा हेतु रसायनों के लिए लगभग 5.00 लाख (पांच लाख) रू0 की आवश्यकता होने का अनुमान है। संतुलित उर्वरकों हेतु लगभग 4.00 लाख (चार लाख) रू0 की आवश्यकता हो सकती है एवं भण्डारण के लिए बुखारी/कुठला हेतु लगभग 1.20 (एक लाख बीस हजार) रू0 की आवश्यकता होगी। साथ

ही फसलों पर लगने वाले कीट रोगों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र काफलीगैर के वैज्ञानिकों को मार्ग दर्शन/भ्रमण हेतु विभाग त्वरित कार्यवाही करेगा।

4. **सूखा राहत कार्य योजना**— जनपद के तीन विकासखण्डों व 35 न्याय पंचायतों में सूखा पड़ने की स्थिति होने के कारण फसल उत्पादन न होने / बहुत कम होने की दशा में कृषकों की फसलों का सर्वेक्षण कर आपदा प्रबन्धन केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही / सहयोग हेतु अवगत करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों से त्वरित कार्यवाही की जायेगी। एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जायेगी, तथा कृषकों को फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी फसलों का बीमा कराकर भी नुकसान से बचा जा सकता है। बीमा के लिए कृषि विभाग तथा एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड देहरादून के प्रतिनिधि भी जनपद में कार्य कर रहे हैं।

जनपद में विकासखण्डों / न्याय पंचायतों की स्थिति—

क्र०सं०	जनपद	विकासखण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या
1	बागेश्वर	बागेश्वर	16
		गरुड़	7
		कपकोट	12

उपरोक्तानुसार विकासखण्ड में सूखे/अतिवृष्टि की स्थिति का आकलन करते हुए कार्य योजना के अनुरूप यथास्थिति कार्य किया जायेगा।

5. विकासखण्डवार कार्य योजना के संचालन हेतु उत्तरदायित्व—

क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड प्रभारी (कृषि) का नाम	मोबाईल नं०
1	बागेश्वर	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	7500073001
2	कपकोट	श्री गोविन्द सिंह कोरंगा	9456108090
3	गरुड़	श्री नारायण सिंह मेहरा	9411366190

6. **उपलब्ध संसाधन**— जनपद में एक कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई, एक केन्द्रीय बीज भण्डार, तीन विकासखण्ड व प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर बीज भण्डार, एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (कठायतबाड़ा बागेश्वर में स्थित) तथा 35 न्याय पंचायतों में कृषि निवेश केन्द्र हैं। उक्त केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कृषकों को विभागीय सुविधाएँ (जैसे— बीज वितरण, रसायन वितरण, कृषि यंत्र वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा परीक्षण, गोष्ठी के माध्यम से विभिन्न तकनीकी जानकारीयाँ आदि) उपलब्ध करायी जा रही हैं। शासन से प्राप्त बजट के अनुसार उक्त केन्द्रों पर निवेश उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों की फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

7. **वैकल्पिक व्यवस्थाएँ**— विभागीय संसाधनों के अतिरिक्त दैवीय आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु अतिरिक्त निवेश तथा पुनर्निर्माण हेतु धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जो दैवीय आपदा मद से कराया जाना प्रस्तावित है।

8. सम्भावित विशिष्ट आपदाओं के प्रबन्धन हेतु संकट प्रबन्धन के राहत कार्य हेतु गठित टीम-

क्र० सं०	विकासखण्ड	टीम लीडर का नाम	टीम के सदस्य	न्याय पंचायत का नाम	दूरभाष संख्या
1	बागेश्वर	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	श्री शिव दत्त पाण्डे, वर्ग- 3	पंतगांव, बोहाला, सैज	8449877717
			श्री हरीश चन्द्र बुधानी, वर्ग- 3	काण्डे, गुरना	8476055394
			कु० मंजरी नेगी, वर्ग- 3	आरे, फल्याटी	7467884267
			श्री भुवन चन्द्र तिवारी वर्ग-2	रवाईखाल, अमसरकोट, देवलधार	9412166688
			श्री राम किसोर कश्यप, वर्ग- 3	काण्डा, सानिउडियार	9456512073
			श्री उमाशंकर पाल, वर्ग- 3	चौरा, बनलेख	9456366595
			श्री कुंवर सिंह, वर्ग- 3	रावतसेरा, खातीगांव	8958881170
2	कपकोट	श्री गोविन्द सिंह कोरंगा	श्री डुंगर सिंह रैकुनी, वर्ग- 3	भराड़ी, सिमगढी	9411194901
			श्री दीपक पाण्डे, वर्ग- 3	कर्मी, बदियाकोट	8006618144
			श्री सतीश कुमार, वर्ग- 3	लोहारखेत, सूपी	9756682041
			श्री भगवान दास पटेल, वर्ग- 3	शामा, माजखेत	9411337915
			श्री चन्द्र प्रकाश, वर्ग- 3	होराली, दियाली	9690998749
			कु० ममता आर्या	असौं, उत्तरौड़ा	
3	गरुड	श्री नारायण सिंह मेहरा	श्री पवन कुमार, वर्ग-3	गढसेर, भगरतोला, लौबांज	8979673323
			श्री सुन्दर प्रसाद, वर्ग- 3	बैजनाथ,	7409599206
			श्री महेश चन्द्र काण्डपाल, वर्ग- 3	पिंगलों, भिलकोट	9411526045
			श्री सुन्दर प्रसाद वर्ग-3	तिलसारी	7409599206

9. सम्भावित आपदाग्रस्त क्षेत्रों हेतु भूमि संरक्षण कार्य सम्बन्धी कार्य योजना

1. कृषकों के खेतों में मलवा आने से क्षति के सुधार हेतु

क्र०सं०	मलवा आने से सम्भावित क्षति (हैक्टेयर में)	इकाई	दर प्रति	धनराशि
1	30	हैक्टेयर	6000.00	180000.00

2. भूमि कटाव से हुई क्षति की सुरक्षा हेतु वायर क्रेट निर्माण कार्य-

क्र०सं०	भूमि कटाव को रोकने हेतु सम्भावित क्षेत्र	इकाई	दर प्रति	धनराशि
1	750.00	हैक्टेयर	15000.00	10500000.00

3. भूस्खलन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य-

क्र०सं०	रोपित किये जाने वाले पौधों की सम्भावित संख्या	इकाई	दर प्रति	धनराशि
1	25000	संख्या	30.00	750000.00

4. भूस्खलन क्षेत्रों एवं खेतों की मेड़ों में घास रोपण कार्य-

क्र०सं०	घास रोपण हेतु सम्भावित क्षेत्र	इकाई	दर प्रति	धनराशि
---------	--------------------------------	------	----------	--------

1	300.00	हैक्टेयर	730.00	219000.00
---	--------	----------	--------	-----------

5. अतिवृष्टि से खेतों के क्षतिग्रस्त पुस्तों की मरम्मत हेतु—

क्र०सं०	क्षतिग्रस्त सम्भावित पुस्त मरम्मत कार्य क्षेत्र	इकाई	दर प्रति	धनराशि
1	2400.00	घन मी०	1184.00	2841600.00

आरक्षित कर्मचारियों की टीम

1. श्री नवीन चन्द्र जोशी, वर्ग-2, भण्डार प्रभारी बागेश्वर।
2. श्री श्रीनिवास जोशी, वर्ग-2, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री मोहित कुमार, वर्ग-1, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
4. श्री नरेन्द्र सिंह, वर्ग-1, कार्यालय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कठायतबाडा, बागेश्वर।
5. श्री हरगोविन्द जोशी, वर्ग-2, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर।
6. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, वर्ग-2, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर।
7. श्री कैलाश चन्द्र भट्ट, वर्ग-2, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर।

:

6.11 उद्यान विभाग

1. पूर्व की तैयारी

- आपदा आने से पूर्व सम्भावित आपदा क्षेत्रों का चिन्हीकरण कराना।
- चिन्हीकरण के उपरान्त सम्भावित क्षेत्रफल में होने वाले नुकसान का आंकलन करना।
- कास्तकारों को बीमा हेतु पूर्व में ही तैयार करना ताकि आपदा उपरान्त उचित मुआवजा प्राप्त हो सके।
- एन्टीहेलनेट लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्रभारियों को विकास खण्ड आपदा प्रभावित अधिकारी बनाना तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा अपने-अपने विकास खण्डों में स्थित क्षेत्रीय अधीनस्थों को कार्यालयों में सूचनाएँ संकलित करना।

आपदा पूर्व आपदा न्यूनीकरण हेतु उद्यान विभाग के जोन/विकास खण्डवार ड्यूटी चार्ट।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	जोन का नाम	विकास खण्ड नोडल अधिकारी का नाम	मोबाईल नं०	जनपद/मुख्यालय पर नोडल अधिकारी/कर्मचारी	अतिरिक्त प्रतिस्थानी
1	बागेश्वर	बागेश्वर काफलीगैर काण्डा	प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बागेश्वर	8954678463	श्रीमती आशा गोस्वामी, स०उ०अधि०	श्री गिरीश चन्द्र जोशी, ज्ये०उ०नि० श्री पूरन सिंह परिहार, स०वि०अ०
2	गरुड़	गरुड़ कौसानी वज्यूला पिंगलों	प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र गरुड़	9456369278		
3	कपकोट	कपकोट कर्मी शामा	प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र कपकोट	9639330655		

2. आपदा उपरान्त

- जनपद के समस्त उ०स०द० केन्द्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ एवं मुख्यालय स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग।
- कास्ताकारों को औद्यानिक उपजों के नुकसान का सही-सही आंकलन करना तथा बीमा उपलब्ध करवाना।
- आपदा उपरान्त आंकलन के अनुसार सब्जी बीज आदि औद्यानिक सामग्रियों/धनराशि की मांग।
- निःशुल्क फल पौधों का वितरण।
- आपदा राहत कीट (सब्जी, बीज, कीटनाशक रसायन, औद्यानिक यन्त्र आदि) का वितरण।

6.12 क्या करें :-

- राहत एवं बचाव उपकरण के समस्त आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं (विद्युत उपकरण, केन, जे0सी0बी0, संचार उपकरण, जनरेटर आपदा उपकरण तथा उनके कलपुर्जे) के साथ बैठक।
(समस्त उपजिलाधिकारी)
- समस्त निजी व राजकीय चिकित्सालयों, विद्यालयों, समस्त कार्यालयों, बस स्टेशनों व भीड़ भाड़ वाले स्थलों जल निकासी, अग्निशमन उपकरण व ब्लिचिंग पाउडर का पर्याप्त स्टॉक रखना।
(समस्त कार्यालयध्यक्ष)
- समस्त कार्यालयों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों की आपदा की मिनी कार्ययोजना तैयार करना
(समस्त कार्यालयध्यक्ष)
- समस्त नदियों, नदी तट बन्धों, डैम, कलवर्ट, जल विद्युत गृहों इत्यादि जल प्लावित क्षेत्रों में पूर्व निरीक्षण कर जल निकासी अनुरक्षण के उपाय करना।
(समस्त उपजिलाधिकारी/लो0नि0वि0/सिंचाई)
- आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा सैन्य व अर्धसैन्य बलों का सतर्क करना। (जिला आपदा कन्ट्रोल रूम)
- दृश्य तथा श्रव्य संचार माध्यमों से आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थलों/रिलीफ कैम्पों में जाने के लिए संदेश प्रसारित करना।
(समस्त उपजिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी)
- स्थानीय व्यापार मण्डल, सस्ता गल्ला विक्रेता संघ, मैडिकल ऐशोसियेशन, वस्तुओं की कृत्रिम कमी ना करने, काला बाजारी न करने तथा मूल्य सूची अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर प्रदर्शित करने की अपील करना।
(समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/औषधि निरीक्षक)
- खादयान सामग्री के 05 किलो के पर्याप्त पैकेट तैयार करना। (जिला पूर्ति अधिकारी)
- आवश्यक होने पर घातकतो वाले क्षेत्रों से बल पूर्वक भी लोगों व जानवरों को खाली करवाना। – आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34।
(समस्त उपजिलाधिकारी/ पुलिस विभाग)
- पेट्रोल पम्पों, केरोसीन विक्रेताओं की बैठक कर उनको पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने की अपील।
(जिला पूर्ति अधिकारी)

क्या न करें :-

- मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने हेतु लापता लोगों की शिकायतों/सूचनाओं को हल्के मे ना लें ।
(समस्त उपजिलाधिकारी/ पुलिस विभाग)
- अफवाहें न फैलाये तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें।
(समस्त उपजिलाधिकारी/ पुलिस विभाग)
- मानव तथा पशुओं के शवों को सड़ने ना दे।
(मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)
- किसी भी दशा में एन0जी0ओ0, तथा निजी स्रोतो से कोई भी धनराशि व राहत सामग्री सीधे प्राप्त ना करें रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही लें तथा उसका पूर्व लेखा – जोखा रखें।
(समस्त उपजिलाधिकारी)
- अप्रशिक्षित स्वयं सेवको को बचाव कार्यो में ना लगायें।
(समस्त उपजिलाधिकारी/ पुलिस विभाग)

प्रारूप

9.1 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अर्न्तगत वाहनों के अधिग्रहण आदेश।

सेवा में,

वाहन स्वामी का नाम श्री.....पुत्र श्री.....

पता.....जिला.....

.....वाहन सं०—.....प्रकार.....

चालक का नाम श्री.....पुत्र श्री.....

पता.....जिला.....

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 65(1.ब) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के तहत अध्यक्ष, जिला आपदा, प्रबंधन प्राधिकरण/जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेशानुसार आपका वाहन सं०—.....को दिनांक—.....समय.....से दिनांक—.....तक आपदा से संबन्धित राहत कार्य हेतु अधिग्रहित किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वाहन सं०—.....

.....को दिनांक—.....समय.....को स्थान.....

.....पर अनिवार्यतः आपदा प्रबंधन राहत कार्य हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वाहन निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर प्रस्तुत न करने की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 57 के अर्न्तगत वाहन स्वामी एवं चालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके अर्न्तगत दोषी पाये जाने की दशा में एक वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

दिनांक—.....

स्थान—.....

आज्ञा से,

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

IRS Form- 000

[illegible]

Source: Uttarakhand State Disaster Management Authority, Government of Uttarakhand

Incident Briefing- IRS Form 001

Government of Uttarakhand

Name of District/Subdivision:Date:/...../2018 Time::.....

Name of the Site	What Happened									Action already taken	Support Required From District (Pl. specify the location of deployment)	
	INSTRUCTIONS: Please specify number of injured and death. In case of infrastructure specify the location wherever possible.											
	Injured		Dead	Infrastructure Damaged					Any other			Expected date/time to restoration
Severe	Minor	Road		Power	Water	Comm.. Mobile Tower)	Hospitals					

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Record of Performed Activities

IRS Form 004

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:	2. Operational period	3. Prepared Date:/...../2018 Time::.....		
4. Name of the Section: COMMAND STAFF Branch/Division/Unit:				
5. Name of the Facilities where (ICP/Site chief coordination center/Incident Base/Camp/Relief camp/Staging Area, Medical Camp/Helibase/Helipad/Any other) Resource is deployed (Specify with exact location).				
6. Name of the Responder	7. Work Assigned	8. Location of Deployment	9. Status of work (Put tick mark)	
			Completed	Not Completed
10. Any incident/accident happened during the response and action taken				
Incident/Accident (Specify, if any)		Action Taken		
11. Prepared by Name: Designation (Actual): Designation(In IRT):		12. Dispatch: Date:...../...../...../2018 Time: :...:		
		13. Signature of Receiving Officer (EOC command post or ICP)		

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Record of Performed Activities

IRS Form 004

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:	2. Operational period	3. Prepared Date:/...../2018 Time::.....	
4. Name of the Section: OPERATIONS SECTION Branch/Division/Unit:			
5. Name of the Facilities where (ICP/Site chief coordination center/Incident Base/Camp/Relief camp/Staging Area, Medical Camp/Helibase/Helipad/Any other) Resource is deployed (Specify with exact location).			
6. Name of the Responder	7. Work Assigned	8. Location of Deployment	9. Status of work (Put tick mark) Completed Not Completed
10. Any incident/accident happened during the response and action taken			
Incident/Accident (Specify, if any)	Action Taken		
11. Prepared by Name: Designation (Actual): Designation(In IRT):	Signature Site Chief Date:...../...../2018 Time: ...:		12. Dispatch: Date:/...../2018 Time:
			13. Signature of Receiving Officer (EOC command post

		or ICP)
--	--	---------

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Record of Performed Activities

IRS Form 004

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:		2. Operational period		3. Prepared	
				Date:/...../2018 Time::.....	
4. Name of the Section: PLANNING SECTION Branch/Division/Unit:					
5. Name of the Facilities where (ICP/Site chief coordination center/Incident Base/Camp/Reliefcamp/Staging Area, Medical Camp/Helibase/Helipad/Any other) Resource is deployed (Specify with exact location).					
6. Name of the Responder	7. Work Assigned	8. Location of Deployment	9. Status of work (Put tick mark)		
			Completed	Not Completed	
10. Any incident/accident happened during the response and action taken					
Incident/Accident (Specify, if any)			Action Taken		
11. Prepared by Name: Designation (Actual): Designation(In IRT):			Signature Site Chief Date:...../...../2018 Time:		12. Dispatch: Date:...../...../2018 Time:
					13. Signature of Receiving Officer (EOC

		command post or ICP)
--	--	----------------------

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Record of Performed Activities

IRS Form 004

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:	2. Operational period	3. Prepared		
		Date:/...../2018		Time::....
4. Name of the Section: LOGISTICS SECTION Branch/Division/Unit:				
5. Name of the Facilities where (ICP/Site chief coordination center/Incident Base/Camp/Relief camp/Staging Area, Medical Camp/Helibase/Helipad/Any other) Resource is deployed (Specify with exact location).				
6. Name of the Responder	7. Work Assigned	8. Location of Deployment	9. Status of work (Put tick mark)	
			Completed	Not Completed
10. Any incident/accident happened during the response and action taken				
Incident/Accident (Specify, if any)		Action Taken		
11. Prepared by Name: Designation (Actual): Designation(In IRT):		Signature Site Chief Date:...../...../2018 Time::....		12. Dispatch: Date:...../...../2018 Time::....
				13. Signature of Receiving

		Officer (EOC command post or ICP)
--	--	-----------------------------------

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Organization Assignment List
IRS Form 005
(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:	2. Operational Period:	3. Prepared:
		Date:...../...../2018 Time::.....
4. Name of the Section to whom work assigned:		
5. Name of the supervisory Officer concerned:		
6. Name of the responder:		
7. List of task assigned		
Sl.	Task	Location
i.	Restoration of road from.....KM to.....KM	
ii.	Restoration of bridge	
iii.	Restoration of power from KM to..... KM	
iv.	Restoration of water from.....KM to..... KM	
v.	Restoration of mobile tower (BSNL / Idea / Airtel / Vodafone/ Aircel / Tata Indicom / Uninor / Reliance/ Any Other)	
vi.	Conduct of Search and Rescue activity	
vii.	Managing Community kitchen	
viii.	Provide medical treatment to no's of affected communities	
ix.	Management of camp (For responders)	
x.	Management of Relief camp	
xi.		
xii.		
xiii.		
xiv.		
xv.		
xvi.		
xvii.		

Example of OS

8. Name and designation of officer Prepared by:	9. Approved by PSC:
---	---------------------

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Incident check-in and Deployment list

IRS Form 006

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1.Name of the Incident:				2. Name of the section/Branch/Division/Unit/ Site Chief and Facility:				3.Operational Period:		4.Prepared: Date:/....../2018 Time::		
5.Resource Check-in information				6.Source of Mobilization		7.Check-in		8.Status of Resources				
Personnel		Equipment		Govt.	Private	Date	Time	If still in Facility (Put Tick mark)	Sick/out of service/Maintenance (Put Tick mark)	Location of site if deployed (specify)	Date	Time
Agency	Nos. of Personnel	Kind/Type or Size	Nos. of Equipment's									

9. Prepared by (Name and designation of officer):

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

On Duty Officers List-IRS Form 007

(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the incident:	2. Name of Section/Branch/Division/Unit/ Site Chief(Specify):			3.Operational Period:		4.Prepared Date:/...../2018 Time::.....	
SI	5.Name of Officer's	6.Designatio n in Normal Period	7. Phone No./E-mail Id	8.Designation in IRT	9.Location of Deployment	10. Location of camp with contact details	11. Any other Information
12. Name and designation of officer Prepared by						14. Dispatch to command staff (EOC command post)	

	13. Signature of the section chief	Date:/...../2018 Time::.....
--	------------------------------------	---

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Medical Plan-IRS Form 008
(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1.Name of the incident:		2.Operational period:		3.prepared Date:/...../2018 Time: ...		4. Total Nos. of medical aid camp to be established:								
4.1 SL.		4.2 Location (s)		4.3 Resources Available in the medical camp (Integrate information of IRS Form 001)										
				No.o f Medi cal	No. of Parame dics staff	Others (ANM & trained volunteers Specify)		Lifesaving drugs/Appliances Yes No		Facilities of referral services and Blood Yes No		Any other (Specify)		
5.Status of Ambulance Services				6.Availability of Regular Medical Facilities in the affected area as mentioned in 4.2 (Specify in Nos.)(Use										
Govt.		Private		Paramedics		6.1 Govt.				6.2 Private				
		Yes	No	Locations	Sub centr	PHC	Hospi tals	Medical college	Locations	Clinic	Nursing Home	Hospit al	Medical College	RMP
7.Road map of the affected area circulated among the ambulance service				8.Referral Medical Facilities in the Neighborhood										
Yes		No		Location		Address		Specialization						

9. Name and designation of officer Prepared by (Medical Unit)			10. Approve p,l	

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Communication Plan-IRS Form 009
(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1. Name of the Incident:		2. Operational Period:						3. Prepared						
								Date:/...../2018 Time: ..:..						
3. List of locations where communication is available (Integrate information of IRS Form 001)														
Name of location	Organization	Requirement of Power		Type of communication										
				Wireless			Telephone			HAM Radio	Web			
		H	VHF	Mors	Land	Mobile	Satellit	E-mail	Skype					
		Yes	N											
5. List of location where communication has to be setup ((Integrate information of IRS Form 001))														
Name of location	Organiza tion responsi ble	Requireme nt of Backup		Personnel requirement(S pecify Nos. if		Wireless			Telephone			HAM Radio	Web	
						HF	VHF	Morse	Land line	Mobile	Satellite		E-mail	Skype
		Yes	No	Yes	No									
6. Arrangements for repair and replacement of faulty sets:									7. In stock available sets (Specify Nos. Kind and type)					

7. Networking plan for integration i.e; inter –organizational communication facilities with the local setup (Army/NDRF, etc)-Weather	8. Transport requirements for supervision and maintenance:
9. Name and designation of officer prepared by:	

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

Demobilisation Plan-IRS Form 010
(Attach a separate Sheet if space is not sufficient)

1.Name of the incident:	2.Name of section/Branch/Division/Unit to be demobilized (Specify):				3.Operational Period:	4.Prepared Date:/...../2018Time: ...
5.Name of responder(s)/ details of resources to be demobilized	6.Location from where demobilization will take place	7.Date & Time	8. Mode of transport	9.Transit destination, if any	10. Final Destination & name of agency to whom returned	11. Ultimate destination of officer demobilized
12. Demobilization plan for out of service equipment's and sick personnel						
Name of sick personnel/out of service equipment's	Location from where demobilization will take place	Date & time	Mode of transport	Transit destination, if any	Final Destination & name of agency to whom returned	Exact location of the resource

13. Name and designation of officer prepared by 14. Approved by RO/IC 15. Issued by

Source: Adapted from IRS Guidelines, NDMA

TASK FORCE/STRIKE TEAM FORMAT

IRS FORM 011

Task Force/ Strike No: Staging Area: Contact Number: Time: Date: / / 2018

Location of Incidence: Name of Site Chief: Contact Number:

S.No.	Composition of Tsk Force / Strike Team (Put Mark)	In-charge with Contact Number	Unit Size with resource detail
1.	Police		
2.	Medical Team		
3.	Ambulances		
4.	Fire		
5.	Home Guard		
6.	PWD		
7.	PHD		
8.	BRO		
9.	NCC		
10.	NSS		
11.	Jalsansthan		
12.	SDRF		
13.	NDRF		
14.	Army		
15.	SSB		

16.	ITBP		
17.	CRPF		
18.	NGO		

Source: SDMA & DMMC Uttarakhand

Signature

Staging Area Manager

REQUISITION FOR AIR FORCE HELICOPTER

To Secretary, Disaster Management Government of Uttarakhand
Dehradun

1. Name of affected area _____

2. PS Coordinates of Location: _____

3. Dimension of Helipad/air field: _____

_____ 4.

Altitude/ Elevation: _____

5. Name of the contact person (s) Telephone No. _____

District Magistrate: _____

(O _____ (Fax) _____

SSP/SP/ADM/SDM: _____

6. Appointment of contact person DM/ADM, SSP/SP _____

7. Accommodation Arrangements ----- (Y/N)

8. Dining Arrangements ----- (Y/N)

9. Mobile No to Crew for Communication with their superiors in Air
Force ----- (Y/N)

10. Refueling arrangements ----- Barrel or IOC Bowser (-----
----Details)

11. Hanger for parking and security of Helicopters -----
----- (Y/N)

Event: -----

Present Status: -----

Helicopter required On -----,

Time -----

Chairperson, DDMA/
District Magistrate Bageshwar

